श्रम संगम

वर्ष: 3, अंक: 2

जुलाई-दिसम्बर 2017

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

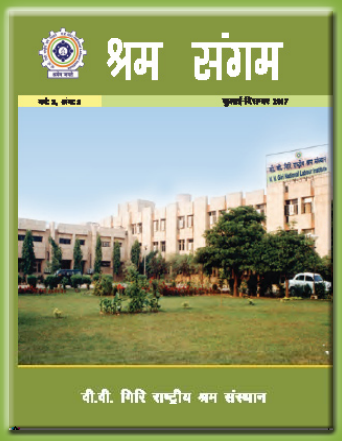

संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान
वरिष्ठ फेलो

डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 3, अंक: 2, जुलाई-दिसम्बर 2017

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से...	ii
❍	मैथिलीशरण गुप्त: व्यक्तित्व एवं कृतित्व	1
❍	पुकार (कविता) – कुसुम उपाध्याय	4
❍	बाबा की कचौड़ी: असंगठित श्रमिकों की व्यथा एवं कथा – डॉ. पूनम एस. चौहान	5
❍	कंठहार (कविता) – चंदन प्रेमी	6
❍	सुधा-सिंधु – डॉ. संजय उपाध्याय	7
❍	अद्भुत महिला (कविता) – डॉ. एलीना सामंतराय	10
❍	सक्षम अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के अवसर – राजेश कुमार कर्ण	11
❍	काव्य-मंजूषा – डॉ. पूनम एस. चौहान	19
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2017 का आयोजन	20
❍	लीला सेठ: ख्यातिप्राप्त महिला जज	22
❍	हमसफ़र (कविता) – कुसुम उपाध्याय	23
❍	चीन की विस्तारवादी नीति – बीरेन्द्र सिंह रावत	24
❍	स्वच्छ भारत: एक कदम स्वच्छता की ओर – राजेश कुमार कर्ण	29
❍	सामाजिक सुरक्षा एक अधिकार के रूप में – डॉ. शशि तोमर	34
❍	सभ्यता का रहस्य (कहानी) – मुंशी प्रेमचंद	41
❍	व्यथित कश्मीर (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	44
❍	आजादी के सत्तर साल – राजेश कुमार कर्ण	45
❍	जगत में सबसे वैभवशाली अपना हिन्दुस्तान हो (कविता) – गजेन्द्र सोलंकी	53
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी वर्ग-पहेली प्रतियोगिता का आयोजन	54

महानिदेशक की कलम से...

हिंदी भाषा सरल, सहज एवं सुबोध होने के साथ ही हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी भाषा के इन्हीं सब गुणों को देखते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी आचार्य केशवचंद्र सेन ने सन् अठारह सौ पचहत्तर में ही ''सुलभ समाचार'' में लिखा था: ''अपनी बात को इस देश में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का सरलतम मार्ग है – हिंदी, क्योंकि हिंदी भारत के जन–सामान्य की आत्मा में बसती है।'' अतः हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सरकारी कामकाज में अधिकाधिक काम सरल एवं सहज हिंदी में करने का प्रयास करें ताकि सभी कर्मचारियों द्वारा यह आसानी से समझी एवं अपनायी जा सके। इसी उद्देश्य के साथ ''श्रम संगम' पत्रिका में शामिल सभी लेखों में भी हिंदी भाषा की सरलता और सहजता को ध्यान में रखा जाता है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रति कृत संकल्प है। इसी क्रम में पिछले वर्षों की भाँति संस्थान द्वारा इस वर्ष भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में 27 दिसम्बर 2017 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी वर्ग पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 29 सदस्य कार्यालयों के 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

'श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों एवं सुझावों का सदैव स्वागत है। अंत में, राजभाषा पत्रिका ''श्रम संगम' के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

एच श्रीनिवास

(डॉ. एच. श्रीनिवास)

मैथिलीशरण गुप्तः व्यक्तित्व एवं कृतित्व

'है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी।।'

उपरोक्त प्रसिद्ध उक्ति के प्रवर्तक राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 03 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगाँव, जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण, राम के भक्त और काव्य–रसिक थे तथा माता सरयू देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। इनका परिवार अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। इनके चार भाइयों में श्री सियाराम गुप्त ही काव्य और साहित्य के क्षेत्र में चर्चित हुए। मैथिलीशरण गुप्त चिरगाँव की प्राथमिक पाठशाला में कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त करने बाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हुए काव्य रचना में लीन रहे। इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का वरदहस्त 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से प्राप्त था। इनकी आरंभिक कविताएँ इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। घर के वैष्णवी संस्कारों और निजी जीवन के अनुभवों के अलावा उनके काव्य व्यक्तित्व को बनाने में तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन एवं समाज सुधार आंदोलन का भी मुख्य हाथ रहा है। इन्होंने हिंदी में उर्दू, संस्कृत, बंगला से अनुवाद कार्य भी किया। गुप्त जी को अपनी अनवरत रचनाशीलता के लिए साहित्य–जगत से यथोचित सम्मान प्राप्त हुआ था। 1936 में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से 'साकेत' के लिए 'मंगला प्रसाद' पुरस्कार प्रदान किया गया। 1946 में इन्हें सम्मेलन की ओर से साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें मानद डी.लिट. की उपाधि से विभूषित किया। वे 1952 से 1964 तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रहे। हिंदी जगत में वे राष्ट्रकवि और दद्दा के रूप में जाने जाते रहे। 12 दिसंबर 1964 को गुप्त जी को दिल का दौरा पड़ा और हिंदी साहित्य का जमगमाता तारा अस्त हो गया।

नख–शिख वर्णन वाली रीतिवादी परम्परा और रूढ़िवादिता से मुक्त होने का जो आंदोलन भारतेंदु युग में शुरु हुआ था, वह अगले युग 'द्विवेदी युग' में और भी अधिक सक्रिय एवं सशक्त हुआ और इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनके परम प्रिय शिष्य मैथिलीशरण गुप्त को है। इस सक्रियता के अन्य कारण भी हैं – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना तथा दयानंद सरस्वती का धार्मिक समाज के सुधार करने का भगीरथ प्रयत्न, जनामनस पर कांग्रेस तथा गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलनों का प्रभाव तथा साहित्यकारों की दृष्टि में साहित्य को युग, समाज, सामान्य जनता से जोड़ने की प्रवृत्ति। इन बदली हुई परिस्थितियों में काव्य के विषय, भाषा एवं शैली और काव्य–रूपों आदि सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन को राष्ट्रीय जागरण कहा जाता है। यथार्थ की बदलती परिस्थितियों में भाषा, विषय और कहने का ढंग, इन तीनों में नये विषय की तलाश द्विवेदी युग की एक विशेषता रही है। गद्य की भाषा तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के रूप में पाँव जमा चुकी थी। अब पद्य की भाषा खड़ी बोली/बोलचाल की भाषा हो, इसका प्रयास द्विवेदी युग में होता दिखाई पड़ता है। गुप्त जी 1901 से स्वाधीनता प्राप्ति तक लिखते रहे। गुप्त जी 1903–04 के आसपास महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए थे। इसके बाद ही वे काव्य की पारंपरिक ब्रजभाषा और रीतिवादी काव्य परंपरा से मुक्त हुए और साहित्य एवं समाज के नये रिश्तों की पहचान की उनकी यात्रा आरंभ हुई। गुप्त जी की 1909 में प्रकाशित काव्य–रचना 'रंग में भंग' यदि स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाने वाली, पाठकों में राष्ट्रप्रेम जागृत करने वाली प्रथम रचना है तो 1912 में प्रकाशित 'भारत भारती' नवजागरण की लहर उत्पन्न करने वाली अगली सशक्त रचना है। इस काव्य रचना के तीन खंड हैं – अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। 'भारत भारती' के अतीत खंड में अतीत का वर्णन करके देशवासियों को अपने स्वर्णिम अतीत के गौरव का, प्राचीन गरिमामंडित संस्कृति का बोध कराकर उनमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन की भावना, आत्मसम्मान से जीने की इच्छा पैदा की गयी।

चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी,
वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी।
इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था?
क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था?

उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है,
चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है।
अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति–कला,
उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन हो क्या भला?

वर्तमान खंड में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का अधःपतन दिखाकर गुप्त जी ने अपनी उत्कट पीड़ा और असंतोष ही व्यक्त नहीं किया है, पाठकों के साथ–साथ समस्त देशवासियों को झकझोर कर उन्हें जगाने का प्रयास भी किया है।

थे ब्रह्म–मूर्ति यथार्थ जो अब मुग्ध जड़ता पर हुए,
जो पीर थे देखो वही; भिश्ती, बावर्ची, खर हुए।
वे वैश्य भी अब पति होकर नीच पद पाने लगे,
बनिए कहाकर वैश्य से बक्काल कहलाने लगे।
हा, गाढतर तमसावरण से आज हम आच्छन्न हैं,
ऐसे विपन्न हुए कि अब सब भाँति मरणासन्न हैं।
हम ठोकरें खाते हुए भी होश में आते नहीं,
जड़ हो गये ऐसे कि कुछ भी होश में आते नहीं।

भविष्य खंड में गुप्त जी उन्नति की कामना करते हुए देश के सभी वर्गों, जन–समूहों, आबाल–वृद्ध, नर–नारी का आह्वान करते हैं कि वे अपने दुर्गुण, आलस्य को त्याग दें क्योंकि अभी जागने का समय है और मरणासन्न जाति पुनः जीवित हो सकती है। साथ ही वे एकता, पुरुषार्थ, सहयोग और कर्मठता का संदेश भी देते हैं।

निज पूर्वजों के सद्‌गुणों को यत्न से मन में धरो,
सब आत्म–परिभव–भाव तज निज रूप का चिंतन करो।
हे भाइयो, सोये बहुत, अब तो उठो, जागो, अहो,
देखो जहाँ अपनी दशा, आलस्य को त्यागो अहो।
कुछ पार है, क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके,
अब भी सजग होगे न क्या? सर्वस्व तो खो चुके।
आओ, मिलें सब देश–बांधव हार बनकर देश के,
साधक बनें सब प्रेम से सुख–शांतिमय उद्‌देश्य के।
क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता है अहो,
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो?

गुप्त जी भारत भारती में भारत के अतीत की गौरवगाथा एवं वर्तमान भारत की विषमता को सामने रखते हैं। वर्तमान भारत की समसामयिक समस्याओं में अकाल दारिद्रय, कृषि संस्कृति, उद्योग आदि जैसे कई विषयों को वे कविता का प्रश्न बनाते हैं। भारत भारती में अतीत खंड में यदि शाश्वत प्रकृति का विवेचन है तो भविष्य खंड में भारत के नव–निर्माण पर विचार किया गया है। राष्ट्रीयता के संदर्भ में इस कृति की सार्थकता आज भी बनी हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन में नवजागरण के जो भी प्रश्न उठते रहे, देशभक्ति का प्रश्न, सभी भाषा–भाषी, संप्रदाय, जाति, संस्कृतियों में एकता का प्रश्न, स्त्री शिक्षा, पुरुषों के साथ स्त्री समानता का प्रश्न आदि सभी प्रश्नों को गुप्त जी ने अपनी रचना का विषय बनाया और काफी आक्रामक ढंग से सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हुए उनमें सुधार की इच्छा व्यक्त की है। सरल, सहज, गद्यमयी एकअर्थीय भाषा में लिखने के कारण उनकी रचनाएँ लोकप्रिय भी खूब हुईं। राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को अपनी रचना में उठाने के कारण गाँधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी।

गुप्त जी के काव्य की दूसरी बड़ी उपलब्धि है उनकी स्त्रियों के प्रति भावना। उन्होंने इतिहास में से उपेक्षित पात्रों को ले कर उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें साहित्य में पुनर्जीवित किया। उर्मिला, यशोधरा, जैनी, हिडिम्बा आदि के जीवन चित्रण के माध्यम से उन्होंने नारी विषयक दृष्टिकोण को बदलने पर बल दिया, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका पर बल दिया। द्विवेदी युग में भी पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति को देखकर गुप्त जी ने उसकी व्यथा–कथा को निम्नलिखित पंक्तियों में चित्रित किया: 'अबला जीवन तेरी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी।'

यशोधरा की उपरोक्त पंक्ति में नारी के केवल दो रूप ममतामयी, कर्तव्यपरायण माँ तथा पति–वियोग में दिन–रात रोती हुई दयनीय पत्नी का रूप बताये गये हैं। परंतु संपूर्ण काव्य का अध्ययन करने पर उसमें दो रूप और मिलते हैं – स्वाभिमानी का रूप और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मानिनी पत्नी का रूप। सत्य की खोज में जब गौतम बुद्ध पत्नी–बच्चे को रात में सोते छोड़ कर अचानक एक दिन घर से निकल जाते हैं तो निम्न पंक्तियों में यशोधरा के जागरूक होने का पता चलता है।

सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात,
पर चोरी–चोरी गये, यही बड़ा व्याघात।

सखि, वे मुझसे कह कर जाते, कह,
तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते।।

इसी तरह 'साकेत' की सीता स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्शमूर्ति बन जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्शमूर्ति वह है जहाँ वह पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन के रूपों के साथ–साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। इसलिए 'साकेत' की सीता का कहना है:

औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ,
अपनी पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ।

श्रमवारि बिंदु फल स्वास्थ्य शुचि फलती हूँ,
अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ।

भारत की मूल रीढ़ इस देश का किसान और उसका जीवन है। किसान जीवन की महागाथा निश्चय ही प्रेमचंद के 'गोदान' में 1936 में अभिव्यक्ति पाती है किंतु उससे बीस वर्ष पूर्व ही गुप्त जी ने यथार्थ शैली में 'किसान' खंडकाव्य लिखकर अपनी सोच, समझ और जनप्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी। गुप्त जी कहते हैं कि भारत का किसान उद्यमी है, कठिन परिश्रम करता है, मौसम के कष्टों की चिंता किए बिना, कष्ट सहकर भी रात–दिन खेतों में कठोर परिश्रम करता है, परंतु सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था के कारण उसे दीन–हीनों का जीवन बिताना पड़ता है,

बरसा रहा रवि अनल भूतल तवा–सा जल रहा,
है चल रहा सन–सन पवन, तन से पसीना बह रहा।

देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे,
किस लोभ से इस अग्नि में वे निज शरीर गला रहे।।

यही नहीं, जब लगभग 1850 से अंग्रेज फिजी, ट्रिनीडाड और मॉरीशस आदि द्वीपों पर खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजूदर किसानों को ले जाने लगे और कुछ रास्ते में ही मर जाते थे तथा वहाँ पर भी उन्हें कष्टप्रद जीवन बिताना पड़ता था तो गुप्त जी ने उनकी दुर्दशा का चित्रण 'किसान' खंडकाव्य में निम्न प्रकार किया:

प्रभुवर! हम क्या कहें कि कैसे दिन भरते हैं?
अपराधी की भाँति सदा सबसे डरते हैं।

याद यहाँ पर हमें नहीं यम भी करते हैं,
फिजी आदि में अंत समय जाकर मरते हैं।।

(इन्हीं मजूदर किसानों की मेहनत के बल पर ये द्वीप आज फल–फूल रहे हैं और इनकी संतानें वहाँ पर सफलता के झंडे गाढ़ रही हैं।)

मातृभूमि के गुणगान एवं मनुष्यों को जागृत करने पर गुप्त जी द्वारा रचित प्रेरणादायक कविताओं 'भारत माता का मंदिर', 'मातृभूमि, 'मनुष्यता' एवं 'नर हो, न निराश करो मन को' के कुछ–कुछ अंश निम्न प्रकार हैं:

भारत माता का मंदिर

यह भारत माता का मंदिर, समता का संवाद जहाँ।
सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ।
जाति–धर्म या संप्रदाय का, नहीं भेद–व्यवधान यहाँ।
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ।
राम, रहीम, बुद्ध ईसा का, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ।
भिन्न–भिन्न भव संस्कृतियों के, गुण गौरव का ज्ञान यहाँ।
नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ।
सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ।

मातृभूमि

क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी है।
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है।।
विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुःखहर्त्री है।
भय निवारिणी, शांतिकारिणी, सुखकर्त्री है।।
हे शरणदायिनी देवि, तू करती सब का त्राण है।
हे मातृभूमि! संतान हम, तू जननी, तू प्राण है।।
जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे।
उससे हे भगवान! कभी हम रहें न न्यारे।।
लोट–लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे।
उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे।।
उस मातृभूमि की धूल में, जब पूरे सन जाएंगे।
होकर भव–बंधन–मुक्त हम, आत्म रूप बन जाएंगे।।

मनुष्यता

विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी,
मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी।
हुई न यों सु–मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिये,
नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए।।
यही पशु–प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती,
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती,
तथा उसी उदार का समस्त सृष्टि पूजती।।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।।

न हो, न निराश करो मन को

नर हो, न निराश करो मन को,
कुछ काम करो, कुछ काम करो।।
किस गौरव के तुम योग्य नहीं,
कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं।
जान हो तुम भी जगदीश्वर के,
सब हैं जिसके अपने घर के।
फिर दुर्लभ क्या उसके जन को,
नर हो, न निराश करो मन को।।
करके विधि वाद न खेद करो,

निज लक्ष्य निरंतर भेद करो।
बनता बस उद्यम ही विधि है,
मिलती जिससे सुख की निधि है।
समझो धिक् निष्क्रिय जीवन को,
नर हो, न निराश करो मन को।।

भारत भारती, गुरुकुल, स्वदेश संगीत, द्वापर आदि अपनी रचनाओं में कवि ने देश की अखंडता के लिए सामाजिक समता और भावनात्मक एकता के महत्व को रेखांकित किया है। साकेत, द्वापर, पंचवटी, यशोधरा, हिडिम्बा आदि रचनाओं में गुप्त जी ने भारतीय नारी की समस्या पर गंभीरता से प्रकाश डाला है। नारी मुक्ति की समस्या को, भारतीय नारी के आदर्शों को, नारी की ममतामयी मूर्ति को उपर्युक्त प्रबंध काव्यों में अत्यंत सहानुभूति के साथ इन्होंने चित्रित किया है। अपने विस्तृत भाव जगत को अत्यंत व्यापक पाठक समुदाय के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैथिलीशरण गुप्त ने भारतेंदु की तरह 'आम फहम' हिंदी को अपनी रचना का आधार बनाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्धारित व्याकरण सम्मत भाषा का ही अधिक प्रयोग किया है। स्थान–स्थान पर मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा कवि ने अपनी भाषा को लोकोन्मुखी बनाने का भी प्रयास किया है। कुछ संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के कुशल संयोग से इन्होंने तद्भव प्रधान भाषा को अपनी काव्य–भाषा का मुख्य आधार बनाया है। अतः इनकी भाषा में हिंदी खड़ी बोली के जातीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा की गयी है।

इनकी काव्य–यात्रा द्विवेदी युग से आरंभ होकर छायावाद, प्रगतिवाद, नयी कविता के लम्बे दौर तक फैली हुई है। इनकी चिंतनधारा में पूरे 50–60 वर्षों की काव्य–यात्रा में प्रायः कोई विशेष मोड़ या परिवर्तन नहीं दिखाई देता। हिंदी की राष्ट्रीय–सांस्कृतिक काव्य–धारा के माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह 'दिनकर' आदि कवियों के साथ गुप्त जी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्वीकृत हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की भारत के भविष्य की कल्पना का आधार रामायण, महाभारत और अन्यान्य भारतीय पौराणिक कथाओं में निहित है। अतः इसमें कहीं–कहीं पुररुत्थान का भी आभास मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय–जागरण और स्वाधीनता के मूल्यों से जुड़कर उनकी पुनरुत्थानवादी चेतना अगतिशील नहीं होने पाती। वर्तमान की अनेक समस्याओं का समाधान अतीत की घटनाओं के आधार पर करने के बावजूद गुप्त जी अतीतोन्मुखी नहीं हुए हैं। इसके लिए इनकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता की चेतना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से लेकर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कृषक–मजदूर आंदोलन, स्वाधीनता प्राप्ति का हर्षोल्लास, देश के विभाजन का आतंक, संसदीय कार्यविधि तथा राष्ट्रभाषा का प्रश्न इनके काव्य का प्रमुख विषय बना है।

पुकार

कुसुम उपाधयाय*

अब की बार लिखो खत तो
आने का पैगाम ही देना
याद हमारी जब–जब आये
मिलने की सौगात ही देना।

अब तो वर्षों बीत चुके हैं
खत पाकर भी दिल रोता है
क्या परदेश में जाने वाले
न आने का मन होता है।

आँखें सूनी पतझड़ हाये
होठों में वह प्यास कहाँ है
गुमसुम सी हैं शून्य निगाहें
हँसने में वह चाह कहाँ है।

बहुत अकेलापन घेरे है
खतम न होती लम्बी रातें
थकी–थकी सी बोझिल साँसें
किससे करूँ मैं दिल की बातें

उपहार जो भेजे अब तक तुमने
वह मेरा उपहास उड़ाते
गीत जो लिखे तुमने मुझपर
वो भी मुझको रोज रुलाते।

देखो! अगला सावन अपना
साथ में बीते, साथ ही खेलें
ऐसा ना हो बिना तुम्हारे
सावन मेरी जान ही ले ले।

* *वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर, नौएडा*

बाबा की कचौड़ी: असंगठित श्रमिकों की व्यथा एवं कथा

डॉ. पूनम एस. चौहान*

नौएडा का बोटेनिकल गार्डन का मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पकड़ने को भागते यात्री – स्त्री–पुरुष और बच्चे, छात्र एवं छात्राएँ, एक ओर से स्टेशन से आते यात्री। कोई थ्रीव्हीलर को पुकारता, कोई बसों के पीछे भागता तो कोई 10रू वाले टेम्पो में अपनी जगह बनाता। काफी भीड़–भाड़, साँस लेने का मौका नहीं। कार पार्किंग की मुसीबत। खैर जब पार्किंग मिली तो कुछ राहत भी मिली।

मैं किसी अपने की दिल्ली से आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इधर–उधर दौड़ती नज़र अचानक रुक गई। सामने ही कंपकपाती सर्दी को अपने अपूर्ण वस्त्रों में समेटता, सिर पर मफलर बाँधे एक व्यक्ति उस ठंडी जमीन पर बैठ कर कचौड़ी बेच रहा था। मफलर के छिद्र से झाँकते उसके काले, तेल से चुपड़े बाल, उसकी गरीबी का परिचय दे रहे थे।

उसके डिब्बे पर लिखा था – "बाबा की कचौड़ी"। हर आता–जाता व्यक्ति वहाँ रुकता और कचौड़ी की मांग करता। वह व्यक्ति शांत स्वभाव से किंचित मुस्कान बिखेरता सभी को कचौड़ियाँ खिला रहा था। कचौड़ी का प्रस्तुतीकरण मनलुभावन था। वह गरम कचौड़ी निकालता, एक कटोरी में सब्ज़ी सजाता, मूली प्याज की सलाद तथा मीठी चटनी का ज़ायका। लोग चटकारे लेकर रूचि से उसका सेवन कर रहे थे। कोई रेलिंग पर लटककर, तो कोई रेलिंग पर एक टाँग टिका कर कचौड़ियों का आनंद उठा रहा था। कुछ लोग भूमि पर बैठ कर खा रहे थे।

तभी दृष्टि पड़ी एक नौजवान पिता एवं उसकी छोटी सी पुत्री पर। पुत्री की आयु लगभग एक साल से कम थी। गोरा–चिट्टा चेहरा और काजल से भरी उसकी बड़ी–बड़ी कजरारी आँखें। लड़की के नाक–नक्श अत्यन्त सौन्दर्यपूर्ण थे। उस मनोरम कन्या से आँखें हट नहीं रही थीं। पिता गरम कचौड़ी फूँक–फूँक कर अपनी पुत्री को खिला रहा था एवं स्वयं भी खा रहा था। यदि किंचित विलम्ब हो जाता तो उसकी पुत्री अपने नन्हे हाथों से इशारा करती– "पापा मुझे भी खिलाओ"। उस नन्ही–सी जान को भी बाबा की कचौड़ियाँ मन भा गई थीं। कचौड़ियाँ बेचने वाला अपने पैसे बटोरते हुए ग्राहकों को लुभाने का प्रयत्न कर रहा था।

इधर–उधर बहुत से विक्रेता अपना सामान बेचने का प्रयत्न कर रहे थे। ठंडी हवा के थपेड़ों से मुँह छिपाते हुए ग्राहकों को हाँक लगा रहे थे। वो फुटपाथ ही उनकी दुकान है। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वे हफ्ते के रूप में या किसी अन्य रूप में गंवा देते हैं। ऊपर खुला आसमान ही उनकी छत है। काम की परिस्थितियाँ पूर्णतया असुरक्षित और कष्टदायी हैं।

लगभग 94 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शहरों में रिक्शॉ चलाते, फुटपाथ पर सामान बेचते, अपने सिरों एवं पीठ पर बोझा उठाते, कृषि के विभिन्न काम करते, सड़क बनाते, बिल्डिंग बनाते, मोची का काम करते, धोबी का काम निभाते, शहर का कचरा ढोते, घरों में काम करते, कॉन्ट्रेक्ट पर कार्य करते तथा श्मशान में मुर्दा जलाते आदि सभी व्यक्ति असंगठित बाज़ार का अभिन्न अंग हैं।

ये श्रमिक निरक्षर अथवा कम पढ़े हुए किसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित, विकास कार्यक्रमों से अनभिज्ञ, किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि के क्षेत्र में तीन से चार महीने का ही काम मिलता हैं, अतः कृषि श्रमिक या तो गाँव में कोई अन्य काम करते हैं या फिर कस्बों/शहरों की और पलायन करते हैं। शहर में जो भी काम मिलता है मज़बूरीवश वही करना पड़ता है। मज़दूरी भी कम मिलती है। कम मज़दूरी मिलने पर कर्ज उन्हें बंधुआ भी बनाता है जहाँ वे बेगारी करते हैं और अत्यन्त पीड़ा सहते हैं। सड़कों की लाल बत्तियों पर भीख मांगते बच्चे एवं वृद्ध स्त्री–पुरुष अपने ही सम्मान को रोंदने के लिए विवश हो जाते हैं। मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, एवं गिरिजाघरों के सामने भिक्षुकों का अम्बार लगा रहता है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत औरतें न केवल शोषण का शिकार होती हैं वरन् यौन शोषण की पीड़ा भी सहती हैं।

* *वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

घरों में कार्य करने वाले मज़दूरों की दशा भी छिपी नहीं है। अच्छे–अच्छे घरों में भी घरेलू कामकाजी महिलाओं के साथ मार–पीट तथा अन्य दुर्व्यवहार भी किया जाता है।

बेरोज़गारी कालसर्प की भाँति मुहँ फैलाए हुए है। गाँवों में कार्य के विकल्प लुप्त हो गये हैं। ऐसे में गरीब फुटपाथ का ही सहारा लेता है। फुटपाथ पर सब्जी एवं फल बेचने वालों की व्यथा अत्यन्त पीड़ादायक है।

पुलिस का आतंक सबसे भयावह है। छोटे विक्रेताओं के हृदय में डर समा गया है कि कब कोई ताकतवर उन्हें फुटपाथ से उठा फेंक दे और उनका धन्धा चौपट कर दे। इनके मान–सम्मान की तो किसी को भी फिक्र नहीं है।

कैसी है ये अर्थव्यवस्था? जिसमें असंगठित मज़दूर भय एवं अनिश्चितता की भँवर में जकड़ा हुआ है। काम होगा तो घर में चूल्हा जलेगा और बच्चों को भोजन मिलेगा। छोटी सी पूँजी में बच्चों को खाना खिलाना भी मुश्किल से संभव होता है। बहुत खींचतान के कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजना मतलब, अपने पेट को काटना। जनसंख्या वृद्धि भी इस विडम्बना का महत्वपूर्ण कारण है। देश में खाद्य–पदार्थों की जितनी उत्पादकता है, उससे अधिक खाने वाले हैं। कहीं न कहीं हमें इस दिशा में भी ठोस एवं सख्त कदम उठाने होंगे।

शिक्षित होकर भी सही नौकरी नहीं मिलती। तब लोग अधिक हतोत्साहित हो जाते हैं। अतः फिर वही फुटपाथ मिलता है और बेचनी पड़ती हैं – "बाबा की कचौड़ियाँ"। जीवन निर्वाह तो करना ही है, तो मौसम की परवाह क्यों करें। परिवार का बोझ जब कंधों पर रहता है तो कोई भी काम हो और कैसी भी परिस्थितियाँ हों, जूझना तो पड़ता ही है। कोई विकल्प भी नहीं है। आज आवश्यकता है असंगठित श्रमिकों के लिए ठोस और कारगर नीति बनाने की, जिसमें उचित काम के उचित दाम तथा मान–सम्मान भी शामिल हो।

हमारे देश की जी.डी.पी. में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का काफी योगदान है। यह योगदान कई गुना बढ़ सकता है यदि उचित काम और उचित मज़दूरी मिले। सभी को काम मिले और न्यूनतम मज़दूरी अवश्य मिले।

शायद इससे इन श्रमिकों की व्यथा की कथा में कुछ अन्तर आये।

कंठहार

चंदन प्रेमी*

स्वर–व्यंजन बावन मुक्तामणि से
नव रस जिसकी रसधारा है
रस–छंद अलंकृत अलंकार
जिस भाषा का प्रवाह है
इन रत्न–जड़ित सब मणियों से
एक कंठहार–सा बनता है।
तब साहित्य जगत के हृदय पटल पर
आभामय होकर खिलता है
जो कवियों की कल्पना बनी
हम उस भाषा के उद्भाषी हैं
अविभूषित होकर कहते हैं
हम हिंदी भाषा भाषी हैं।

यह देशप्रेम की भाषा है
सीमा पर साथ निभाती है
जहाँ सिख, ईसाई, गुरखा, मद्रासी
सबकी अभिव्यक्ति बन जाती है

जिस साहित्य जगत की रचनाएं
जीवन पथ को दिखलाती हैं
जाज्वल्यमान होकर जीवन
इतिहास बनाती जाती है।
कहीं सूर, कबीर, तुलसी बनकर
भाषा का मार्ग दिखाती है
कैसे बनते हैं पुरुषोत्तम
निज–निज वाणी बतलाती हैं
इस भाषा की सामर्थ्य बड़ी,
भूमिका बदली जा सकती है
जैसे ही बदली भूमिका है
फिर भूमिका बदली जाती है।
कोई भी भाषा बुरी नहीं,
मैं सबका आदर करता हूँ।
पर अंतःकरण की उर्वियों से
हिंदी को शत–शत नमन करता हूँ।

** पूर्व प्रधानाध्यापक एवं हिंदी पखवाड़ा–2017 के दौरान निर्णायक*

सुधा सिंधु

डॉ. संजय उपाध्याय*

- समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है।
- अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं .... पहला जो पसंद है उसे हासिल कर लो और दूसरा जो हासिल है, उसे पसंद करना सीख लो ।
- जिन्होंने सफलताएं पायी हैं, उन्होंने सपने कम देखे हैं और प्रयत्न अधिक किए हैं
- मात्र वही कार्य सही होते हैं, जिनके लिए कोई स्पष्टीकरण न देना पड़े तथा जिनके लिए कोई क्षमा न मांगनी पड़े।

- दुनिया किसी व्यक्ति को उस वक्त तक नहीं हरा सकती, जब तक कि वह खुद से न हार जाए।
- आत्मविश्वास के साथ–साथ अपनी योग्यता और मंजिल को ध्यान में रखते हुए अनवरत प्रयास सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है।
- सब्र एक ऐसी सवारी है, जो गिरने नहीं देती अपने सवार को, न किसी की नजरों से न किसी के कदमों में।
- तुम पानी जैसे बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे न बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है।
- किसी व्यक्ति का सम्मान उन शब्दों में नहीं है, जो उसके सामने कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है, जो उसकी गैर मौजूदगी में कहे जाते हों।
- सपना वह नहीं जो नींद में आए, दिल में झूठी उम्मीद जगाए, बल्कि सपना वह है जो पूरा न होने तक सोने न दे और जिंदगी में खुद को पूरा करने की प्रेरणा दे।
- अपने सम्पूर्ण आत्म बल के साथ कार्य में लग जाने पर किसी भी व्यक्ति के लिए लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ठीक वैसा ही है जैसा कि अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं।
- प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है।
- जब कभी भी मन में पुरानी दुःखद स्मृतियाँ सजग हों तो उन्हें भुला देने में ही समझदारी है।
- स्वयं को सुधारने का संकल्प लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं।
- समझदारी और विचारशीलता का तक़ाज़ा यह है कि दुनिया में आने वाले सभी सकारात्मक बदलावों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रखा जाए।
- एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता।
- कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों और संस्कारों से ओत–प्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है।
- दूसरों से यह अपेक्षा करना कि सभी हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का और निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है।
- वास्तविक सुख–शांति का निवास मात्र भौतिक सुख–साधनों की प्रचुरता में नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक उत्कर्ष में है।
- कोई भी देश या राष्ट्र उसकी जनसंख्या के आकार के आधार पर नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की चारित्रिक शक्ति (उनके बौद्धिक स्तर, परिश्रमशीलता, त्याग भावना व कर्तव्यनिष्ठा) के आधार पर महान बनता है।
- क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृतिलोप, स्मृतिलोप से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश होने पर व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है।

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा* *द्वारा विभिन्न स्रोतों से संकलित*

- चरित्र वह ज्योति है, जो सूर्यास्त हो जाने और सभी रोशनियाँ बुझ जाने के बाद भी आलोकित होती रहती है।
- उदार बनो पर इस्तेमाल न होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज न खोने दो।
- ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं, जो दीये की तरह जलते हैं। खुद रोशन हों न हों, औरों को रोशन करते हैं।
- हम जो हैं, वह हमारे माता–पिता की देन है, पर जो बनेंगे वह माता–पिता को हमारी देन होगी।
- अच्छे लोग भोजन में नमक की तरह होते हैं, जिसकी मौजूदगी का एहसास हो या न हो पर उसकी गैर–मौजूदगी सारे भोजन का स्वाद खराब कर देती है।
- एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है।
- व्यर्थ के काम भारीपान व थकान लाते हैं जबकि श्रेष्ठ कार्य हमें प्रसन्न व हल्का बनाकर ताजगी प्रदान करते हैं।
- यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुःख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न गँवाइये।
- सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखना ही प्रसन्नता की चाबी है।
- यदि मैं एक क्षण खुश रहता हूँ तो इससे मेरे अगले क्षण में भी खुश होने की संभावना बढ़ जाती है।
- मूर्ख व्यक्ति चाहता है कि सब उसकी ओर ध्यान दें, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की परवाह ही नहीं करता है।
- ईमानदार व सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनावमुक्त अनुभव करता है।
- यदि आपका मन अतीत के बंधनों तथा बीती बातों में उलझा हुआ है, तो आप वर्तमान का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे।
- यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी इच्छाएँ सीमा से आगे न बढ़ने पायें।
- जो स्वयं को हर परिस्थिति के अनुसार ढालना जानता है, उसे जीवन जीने की कला आ जाती है।
- सदा याद रखें कि इस सृष्टि रूपी नाटक में आप अति विशिष्ट व्यक्ति हैं। आपके पार्ट को, आपसे अच्छा अन्य कोई भी अदा नहीं कर सकता।
- धूर्त व्यक्ति सच्ची मानसिक शांति का आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने छल–कपट से वह स्वयं ही उलझनों में फँसा रहता है।
- ईमानदार व्यक्ति स्वयं से स्वयं भी संतुष्ट रहता है तथा दूसरे भी उससे संतुष्ट रहते हैं।
- आज समाज, राष्ट्र व विश्व की सबसे जटिल समस्याओं का एकमात्र हल है चारित्रिक उत्थान। चरित्र बिगड़ जाने पर कोई प्रतिष्ठा बाकी नहीं रहती।
- यदि आप दूसरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप वह हैं, जो कि आप नहीं हैं, तो मूर्ख कौन बना?
- जब आप क्रोधित होते हैं तो बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, अतः शक्ति का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करें।
- मौन से मस्तिष्क को आराम मिलता है और इसका अर्थ है शरीर को आराम मिलना। कभी–कभी सिर्फ आराम रूपी औषधि की ही शरीर को आवश्यकता होती है।
- जहाँ बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, वहाँ बल प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता।
- मूर्ख व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पूँजी संतुष्टता ही है।
- क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है, तो क्यों न हम विवके से काम लें?
- आप जितना कम बोलेंगे, दूसरे व्यक्ति उतना ही अधिक ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे।
- यदि कोई आपसे क्रोध से बात करता है तो क्रोध की आग पर प्रेम का शीतल जल डाल दीजिये।
- जब जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना ही है तो प्रेम से सामना क्यों न करें?
- आदर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि पहले आप दूसरों का आदर करें।
- आपके अपने स्वभाव के सिवाय अन्य कोई आपको दुःख नहीं दे सकता। अपना स्वभाव मधुर व प्रेमयुक्त बनायें तथा सबका दिल जीतें।
- दुःखों से भरी इस दुनिया में सच्चे प्रेम की एक बूँद भी मरुस्थल में सागर की तरह है।
- यदि मन में दृढ़ निश्चय व विश्वास है, तो विजय निश्चित है। अगर संकल्प कमजोर हैं, तो पराजय होगी।
- अपने मार्ग में आने वाले किसी भी विघ्न से घबरायें नहीं। हर विघ्न को उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी समझें।

- कर्म करने व सभी समस्यायें हल करने का समय ''अब'' है, अतः इसे बहानेबाजी में मत गँवायें।
- हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनका सामना किस ढंग से करते हैं।
- संसार में समस्यायें बढेंगी, इसलिए मुझे समस्याओं का सामना करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए।
- जो मैं अब अनुभव कर रहा हूँ, वह अतीत का फल है, भविष्य में जो अनुभव करूँगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं ''अब'' क्या करता हूँ।
- यदि आप बहुत लोगों पर निर्भर रहते हैं तो इससे आपके निराश होने के अवसर बढ़ जाते हैं।
- जब प्रगति होती है तब परिवर्तन स्वाभाविक है। यदि आप परिवर्तन से डरते हैं तो उन्नति कैसे हो सकती है?
- जब तक हम आत्म–सम्मान की भावना जागृत नहीं करते, तब तक हम दूसरों के अधीन रहेंगे।
- अच्छा वक्ता तो कोई भी बन सकता है, परंतु दूसरों के लिए अनुकरणीय श्रेष्ठ जीवन कितने लोग जीते हैं?
- घोर संकट के समय भी मुसकराते रहना संतुलित मन की निशानी है।
- अधिकांश लोग सोचते बहुत हैं व बोलते भी बहुत हैं, किंतु जब करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं।
- स्वयं पर अधिकार ही वास्तविक सामर्थ्य है। दूसरों पर अधिकार असली शक्ति का परिचायक नहीं है।
- कोई भी कार्य करने से पूर्व एक क्षण के लिए रुकें, उसके परिणाम के बारे में सोचें, फिर प्रारंभ करें।
- जिन चार बातों ने हमारे जीवन को सर्वाधिक बर्बाद किया है, वे हैं– ''मैं'' व ''मेरा'', ''तू'' व ''तेरा''। अतः इनको नियंत्रण में रखने में ही समझदारी है।
- ज्ञान सबसे बड़ा धन है। स्वयं से पूछें – ''मैं कितना धनवान हूँ?''
- हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हों, परंतु दुनिया हमें हमारे कर्मों के द्वारा पहचानती है।
- आप अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक न रहें अपितु इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सही मार्ग पर हैं या नहीं।
- समय ही जीवन है। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है।
- हमारे विचारों का स्तर ही हमारी निजी प्रसन्नता का स्तर निर्धारित करता है।
- आलसी व्यक्ति को आसान से आसान काम भी कठिन लगता है।
- यदि आपने एक अवसर गँवा दिया तो आँसुओं के बादलों से अपनी दृष्टि धुंधली मत कीजिये। अपनी दृष्टि स्वच्छ रखिये ताकि अगले अवसर न गँवायें।
- अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषतायें देखिये। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियाँ छोड़िये।
- अहंभाव से मानव में वे सारे लक्षण आ जाते हैं, जिनसे वह अप्रिय बन जाता है।
- एक अच्छा, स्वच्छ मन वाला व्यक्ति दूसरों की विशेषतायें देखता है। दूषित मन वाला व्यक्ति दूसरों में बुराई ही ढूँढता है।
- यदि आपकी प्रतिभाओं व गुणों का दुरुपयोग होता है तो इसमें सिर्फ आपकी ही हानि है।
- आपका सद्विवेक आपका अच्छा मित्र है, इसकी बात प्रायः सुनिये।
- यदि आप गलती करके स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो समय आपकी मूर्खता पर हँसेगा।
- यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं, तो जो आप सोचते हैं, वह कहना तथा जो आप कहते हैं वह करना सरल हो जाता है।
- यदि आपके चेहरे पर चिंता की रेखायें हैं तो आप दूसरों को भी चिंतित कर देते हैं। क्या यह अच्छी बात है?
- गलतफहमी प्रेमपूर्ण व शुद्ध विचारों से तथा सही समय पर सही ज्ञान देकर दूर की जा सकती है।
- स्वयं एक समस्या बनने की बजाय क्यों न हम दूसरों की समस्यायें हल करने में सहायक बन जायें?
- हमारे बीच राजा वे हैं जो स्वयं को भूल मानवता की सेवा करते हैं।
- यदि आप केवल अपना ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे।
- खुशी से बढ़कर पौष्टिक खुराक और कोई नहीं है।
- जिस क्षण मैं अपने साथियों का अपमान करता हूँ, इसी क्षण मैं दूसरों का आदरभाव खो देता हूँ।
- अपनी उन्नति का प्रयत्न करते रहिए। स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी।

अद्भुत महिला

डॉ. एलीना सामंतरार्य*

तुम एक अद्भुत महिला हो,
पैदा हुई हो सफल होने के लिए

आती हो तुम उन्मुक्त और भरपूर ऊर्जा के साथ चलने
अगत पथ पर कभी नहीं ठहरती
चाहे जो भी आए तुम्हारे रास्ते में
क्योंकि तुम एक अद्भुत महिला हो
पैदा हुई हो सफल होने के लिए

जंजीरों से जकड़े हुए और जीवन के चक्र में फंसे हुए
कभी शिकायत नहीं करती तुम
तुम मुस्कुराती हो और जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करती हो
सपने देखती हो तुम, प्राप्त करती हो तुम और सफल होती हो
क्योंकि तुम एक अद्भुत महिला हो
पैदा हुई हो सफलता प्राप्त करने के लिए
पैदा हुई हो हौसला रखने के लिए और पैदा हुई हो जीने के लिए

तुम परवाह करती हो, तुम प्यार करती हो
तुम कड़ी मेहनत करती हो, और कठिन परिश्रम करती हो
जबकि दूसरे पढ़ना, खेलना, काम या मजे करते हैं
तुम खुद से करती हो सवाल
क्या सिर्फ मैं परवाह करने के लिए पैदा हुई हूँ?
फिर भीतर से, आंतरिक आवाज कहती है
कोई भी मुझे नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ
मैं खुशी और शांति चाहती हूँ
मेरे सपने, मेरी आकांक्षाएं तथा मेरी महत्वाकांक्षाओं की
क्या किसी ने परवाह की?

परंतु फिर भी तुम एक अद्भुत महिला हो
भले ही दुनिया आलोचना और घृणा करे या मजाक करे
पर तुम विजयी रूप से उभर कर आती हो, तुम निडर होकर निकलती हो
क्योंकि तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हारी है,
और तुम जानती हो चलना अगत पथ पर
तुम एक अद्भुत महिला हो
पैदा हुई हो सफल होने के लिए

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

सक्षम अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के अवसर

राजेश कुमार कर्ण*

प्राचीन काल में भारत 'सोने की चिड़िया' कहलाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार, पहली सदी से लेकर दसवीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विश्व की कुल जीडीपी का 32.9% था। वर्ष 1000 में यह 28.9% और वर्ष 1700 में 24.4% था। किंतु अंग्रेजी शासनकाल में भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजी शासकों ने यहां के कुटीर एवं लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया क्योंकि वे भारत में अपने देश की मशीन निर्मित वस्तुओं को खपाकर मुनाफा कमाना चाहते थे। उन्होंने भारत की प्रचुर खनिज सम्पदा का भरपूर दोहन किया। मशीनों ने हाथ की अपेक्षा कई गुणा अधिक उत्पादन करके असंख्य दस्तकारों को बेरोजगार कर दिया। आजादी के बाद देश का तीव्र गति से विकास करने के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास पर बल दिया गया और इस प्रकार देश को विकास पथ पर ले जाने में उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु इससे रोजगार देने वाले कुटीर, लघु और पुराने श्रम–प्रधान उद्योग धीरे–धीरे बंद होते गए जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हुए हैं।

देशी बड़े पूंजीपति घरानों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो कारखाने लगाए जा रहे हैं उनमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, मशीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण और स्वचालन के कारण बहुत कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, वह भी कुशल कर्मकारों को ही, किंतु अधिक लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। अर्थात आधुनिक बड़े उद्योगों की प्रगति के बावजूद उनमें रोजगार बढ़ने के बजाय कम हो गया जबकि इन उद्योगों में पूंजी–निवेश, इनके कुल उत्पादन मूल्य एवं मुनाफा में कई गुणा वृद्धि हुई किंतु कर्मकारों की मजदूरी घटी है। औद्योगिकीकरण के लिए आधारभूत संरचनाओं अर्थात् सड़क, परिवहन, संचार व्यवस्था एवं ऊर्जा के विकास की आवश्यकता पड़ती है, देश की प्रगति एवं समृद्धि के लिए विभिन्न स्तरों पर इन्हें लगातार बेहतर करना होता है और आवश्यकतानुसार इसके लिए प्रयास किए गए हैं परिणामस्वरूप इससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हुई है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। आज भारतीय अर्थव्यस्था अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व के कुल 17 प्रतिशत लोगों का भरण–पोषण करती है। आजादी के चार दशक तक भारत की विकास दर मात्र 3.5% थी। भ्रष्टाचार और कुशासन ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया था। वर्ष 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, परिणामस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की गई और भारत विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। भारत में विदेशी पूंजी निवेश की बाढ़ आने लगी। इसके बाद से भारत के विकास दर में प्रतिवर्ष लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीडीपी पिछले चार वर्ष में 48% बढ़ी है। आज वैश्विक उथल–पुथल के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित है तथा 7.2% की विकास दर के साथ विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही है तथा अर्थव्यवस्था के जानकार कह रहे हैं कि यह रफ्तार अभी और बढ़ेगी। 7.2% विकास दर उस समय है जब हमारे देश में अभी भी बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा आबादी वाले लोकतंत्र के लिए बेरोजगारी शर्मनाक तो है ही, देश की संभावनाओं के रास्ते रोकने वाली भी है। एक दूसरा सच यह भी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। अगर हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरूस्त कर लें और हर हाथ को काम दे सकें तो यह विकास दर काफी ऊंची जा सकती है। तब हमारी विकास दर में बेहतर स्थायित्व तो आएगा ही, हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल जरूरत यह है कि जो विकास दर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, उसका इस्तेमाल हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और लोगों को रोजगार देने में करें। अर्थव्यवस्था का आधार इसी से मजबूत होगा। उम्मीद है कि आगामी वर्षों में विकास दर में बेहतर वृद्धि हासिल कर पाना मुमकिन होगा। भारत में 10% से भी ज्यादा विकास दर प्राप्त करने की क्षमता है। सारे सूचकांक यही उम्मीद बंधा रहे हैं। पूरी

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संभावनाएं देख रही हैं। फिलहाल दुनिया की आर्थिक कथा में भारत सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला देश है। जब दुनिया की उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो हमारी जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ जाती हैं।

नोटबंदी एवं जीएसटी से एक तरफ पारदर्शिता बढ़ी है एवं कालाधन व भ्रष्टाचार घटा है जिससे विकास में स्थिरता भी आएगी और विश्वसनीयता भी, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे वित्तीय घाटे के लक्ष्य से भटकने का खतरा नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक करवाकर सभी प्रकार के लेनदेन/सब्सिडी हस्तांतरण में पारदर्शिता लाई गई है जिससे वित्तीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। आज भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राजकोषीय घाटा 3.5% तक नियंत्रित कर लिया गया है। कंपटीटिवनेस सूचकांक भी यही बताता है कि कारोबार की दुनिया में हमारी संभावनाएं बढ़ रही हैं। इन सबको देखते हुए 9–10% विकास दर की उम्मीद की जा सकती है। यह अनुमान बहुत ज्यादा नहीं लगता क्योंकि जीएसटी से टैक्स का दायरा एवं टैक्स संग्रहण में पर्याप्त वृद्धि होने से सरकारी खर्च में वृद्धि हो रही है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी पुनरुत्थान है। यह भी सच्चाई है कि उच्च विकास दर रोजगार सृजन में सक्षम बनाती है।

विकास, महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार व वित्तीय घाटे की स्थिति नियंत्रण में है। तेल की कीमतें अमूमन स्थिर हैं एवं शेयर बाजार ऊंचाई पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की महंगाई दर 3.3% है जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डालर तक पहुंच गया है। यूएनआईडीओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 बड़े मैन्युफैक्चर देशों में भारत नौवें से छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब फ्रेजाइल फाइव से टॉप फाइव में पहुँच गई है। यह एक उपलब्धि है और इसके परिणाम अच्छे होंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व अर्थतंत्र, रोजगार और वैश्विक नीतियों को निर्धारित करेगा।

भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारत वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर (665 लाख करोड़ रुपए) की अर्थव्यवस्था बन कर 17.5 करोड़ रोजगार के सृजन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो विदेशी नीति को घरेलू आर्थिक सुधारों के साथ जोड़ना जरूरी है। तभी हम विदेशी पूंजी को बड़े पैमाने पर सतत आकर्षित कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। अभी देश की जीडीपी 152

लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। उन्होंने हर विदेशी द्विपक्षीय वार्ता के केन्द्र में आपसी आर्थिक विकास को रखा है। उनकी विदेश नीति के कई सार्थक आर्थिक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने में सफल हुआ है जिससे विकास की कई बाधाएं दूर हुई हैं। भारत को लगभग 300 अरब डॉलर निवेश का आश्वासन विभिन्न देशों से प्राप्त हुआ है।

देश में निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में 'इन्वेस्टर्स समिट' के सफल आयोजन ने विकास और रोजगार को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। विकास एवं रोजगार की यह कहानी स्वयं प्रधानमंत्री जी के मार्ग–निर्देशन में लिखी जा रही है। लखनऊ में 'यूपी इन्वेस्टर्स समिट' के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने पांच 'पी' का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पोटेंशियल, पॉलिसी, प्लानिंग और परफार्मेंस से ही प्रोग्रेस आती है। इन निवेश समिट से राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इससे निवेश एवं रोजगार बढ़ेगा।

2014 में भारत का कुल आयात–निर्यात जीडीपी का 46% था जिसे अगले दशक में दोगुना करने का लक्ष्य है। 2019 तक हम विश्व के अग्रिम स्टार्टअप वाले देश बन जाएंगे और व्यापार के क्षेत्र में सुगमता की दृष्टि से 50वें पायदान के आसपास आ जाएंगे, देश में 60% डिजिटल पेनीट्रेशन हो जाएगा। वर्ष 2022 तक भारतीय उद्योग जगत का जीडीपी में योगदान 15% से बढ़कर 25% हो जाएगा। इससे अपेक्षित विकास एवं रोजगार सृजन होगा।

पिछले तीन–चार वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति को मजबूती दी है। भारत विश्व की जीडीपी का मात्र 3% हिस्सा है किंतु वह विश्व की आर्थिक प्रगति में 7 गुणा ज्यादा योगदान कर रहा है। जितने भी सूक्ष्म आर्थिक मापदंड हैं–महंगाई, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, जीडीपी विकास दर, ब्याज दर, एफडीआई अन्तर्वाह आदि, भारत आज सभी

में अच्छा काम कर रहा है। यही वजह है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में सुधार कर रही हैं। आज दुनिया की टॉप थ्री प्रोस्पेक्टिव हॉस्ट इकनॉमिज में भारत का नाम लिया जाता है। एफडीआई कंफीडेंस इंडेक्स में भारत को टॉप टू इमर्जिंग मार्केट परफॉर्मस बताया जाता है। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भी भारत को दुनिया के फेवरेट एफडीआई डेस्टिनेशंस में से एक बताया गया है। वाणिज्यिक मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर है कि विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को 190 देशों की सूची में 100वें स्थान पर रखा है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 30 पायदान की तरक्की की है। पिछले साल भारत को इस रिपोर्ट में 130वां स्थान हासिल हुआ था। केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले वर्ष उद्यम की शुरूआत करने, पंजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन तथा निरीक्षण का सरलीकरण करने, निर्माण कार्यों के लिए परमिट देने और दिवालिया होने की स्थितियों से निपटने के लिए विशेष उपाय किए गए। हाल ही में एफडीआई नियम आसान किए गए हैं। आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन कोशिशों के नतीजे महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक सुधार के कदमों से एफडीआई बढ़ेगा जो रोजगार बढ़ाने के साथ बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण में भी सहायक होगा।

आर्थिक निवेश के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद भारत की रेटिंग को बीएएए3 से बढ़ाकर बीएएए2 कर दिया है। मूडीज ने अपने रेटिंग के जरिए एक तरह से यह स्थापित किया कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरूस्त करने का काम किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से सक्षम और भरोसेमंद बताने वाली रेटिंग सरकार के साथ–साथ उद्योग–व्यापार जगत के लिए भी एक खुशखबरी है। अब इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि विदेशी निवेशक अब कहीं अधिक भरोसे के साथ भारत में निवेश करेंगे और भारत सरकार के लिए ढ़ांचागत क्षेत्र के विकास के लिए धन जुटाना आसान होगा एवं इससे रोजगार बढ़ेगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी एवं जीएसटी के असर से उबर रही है तथा धीरे–धीरे उद्योग–व्यापार में तेजी लौट रही है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने से रोजगार सृजन होंगे। अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए विदेशी निवेशकों के साथ–साथ देसी निवेशकों की सक्रियता भी समय की मांग है। किंतु देसी निवेशक पूंजी होने के बाद भी देश में नए उद्यम लगाने अथवा पुराने उद्यमों का विस्तार करने के लिए उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। इस पहेली का हल खोजा ही जाना चाहिए कि विदेश में कारोबार की संभावनाएं तलाशने वाले भारतीय उद्यमी देश में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?

एक तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर ऊंची है और जीडीपी का आकार बढ़ रहा है दूसरी तरफ रोजगार वृद्धि दर निम्नतम स्तर पर है। इसलिए बहुत से अर्थशास्त्री इसे 'रोजगारविहीन विकास' वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं जो भविष्य के बड़े संकट का कारक बन सकता है। किंतु यह भी सच है कि प्रायः जब विकास दर बढ़ रही होती है तो युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कत कम होती है। देश में श्रमबल के बढ़ते आकार और रोजगार की मांग को देखते हुए जल्द कारगर कदम उठाना जरूरी है।

केन्द्र सरकार द्वारा एफडीआई कानूनों में बड़े पैमाने पर उदारीकरण के कारण पिछले तीन वर्षों में एफडीआई 28.2% की तेज गति से बढ़ा है, फिर भी रोजगार की दर घटी है। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। बहुत से युवा नौकरी में नहीं हैं, मगर बेरोजगार भी नहीं हैं, वे ट्यूशन, पार्ट टाईम या छोटा–मोटा कोई काम करते हैं ताकि खाने व रहने के साथ ही कुछ जेब खर्च निकल जाए। करोड़ों युवा शिक्षा पूरी कर सरकारी नौकरी की चाह में कई वर्षों तक उत्पादक कार्यों में नहीं, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं। शायद विश्व में कहीं भी युवा शक्ति की ऐसी बर्बादी नहीं होती होगी। जो युवा रोजगार में हैं, उनमें से बहुतों को उच्च स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बाद भी बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है क्योंकि बेरोजगारों की अधिकता के कारण उनकी बारगेनिंग/मोलभाव करने की शक्ति दिनानुदिन कमजोर हुई है। वे बेहतर वेतन एवं सुविधा की चाह में विदेश का रूख कर रहे हैं किंतु वहां उन पर तरह–तरह से कड़ाई की जा रही है, बहुतों को धोखाधड़ी का भी शिकार होना पड़ता है एवं कठोर शारीरिक श्रम एवं जोखिम वाला काम करना पड़ता है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अनस्किल्ड कार्यों के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट आई है। विदेशी सरकारें अपने देशवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बाहरी कामगारों को रोक रही हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को ऐसी रोजगार नीति बनानी चाहिए, जो देश–विदेश में रोजगार की संभावना देख रहे लोगों की राह तो आसान करे ही, उन्हें वहां बेहतर वेतन के साथ स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण की गारंटी भी दिला सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार 44 श्रम कानूनों को चार लेबर कोड में बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इससे श्रमिकों के सुरक्षा, संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों/मानकों से समझौता किए बगैर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आकलन है कि 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ हो सकती है। 2016 में यह संख्या 1.77 करोड़ एवं 2017 में 1.78 करोड़ थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार देश में स्थायी रोजगार की जगह अस्थायी और अनुबंध वाले रोजगार को बढ़ावा मिला है। ऐसे में देश के युवाओं में असुरक्षा का भाव पनपा है। शायद इसी कारण उच्च शिक्षा प्राप्त युवा चपरासी बनने के लिए लालायित हैं। जहां कहीं भी भर्ती निकलती है, बेरोजगारों की भीड़ टूट पड़ती है। यह भीड़ बता रही है कि बेरोजगारी के सवाल को अब और टाला नहीं जा सकता है। वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में चपरासी पद की 368 रिक्तियों के लिए 23.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें 1.52 लाख ग्रेजुएट, 25 हजार पोस्ट ग्रेजुएट और 250 पीएचडी धारी थे जबकि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा पांच पास थी। साथ ही, बहुत से चयन स्थलों पर पुलिस, चपरासी आदि के पद पर भर्ती के दौरान अक्सर दंगे जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बेरोजगारी से युवा हताश हो रहे हैं एवं इनमें से कुछ तो इच्छा–मृत्यु तक मांग रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। सभी शिक्षित युवकों को सरकारी नौकरी देना भले ही संभव न हो किंतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें मिलकर (जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर/संघीयता की भावना के आधार पर) उच्च प्राथमिकता देते हुए कुछ ऐसा कर सकती हैं कि ऐसी दुखद स्थितियां हर जगह पैदा न हों। सबसे पहले सभी खाली पदों पर यथाशीघ्र भर्ती करनी होगी तथा इसके लिए भर्ती को पूरी तरह पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाना होगा। सरकार ने भर्ती पर बैन तो हटा लिया है किंतु वे बहुत से खाली पदों पर भर्तियां मुकदमेबाजी के कारण नहीं कर पा रही हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि यूं तो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती बोर्ड हैं, लेकिन उन पर कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और दलालों के गठजोड़ ने कब्जा जमा लिया है, व्यापम इसका सबसे दुखद उदाहरण है जिसमें पिछले 10–15 वर्षों से सरकारी नौकरियों और मेडिकल दाखिले के लिए बड़े पैमाने पर घूसखोरी और बंदरबांट चल रही थी, अन्य भर्ती बोर्ड में भी कमोबेश यही हालात हैं। यह दुखद है कि देश में कहीं दबे–छिपे तो कहीं खुले तौर पर कुछ पदों पर भर्ती का फैसला सिफारिश, रिश्वत, किस्मत या टॉस आदि के जरिए हो रहा है। यह उन योग्य पढ़े–लिखे और मेहनती नौजवानों के कलेजे पर तीर की तरह चुभती है जिन्हें नौकरी के लिए पैरवी से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है। आखिर योग्यता का मजाक कब तक उड़ाया जाएगा?

प्रधानमंत्री जी ने 20 जुलाई 2015 को 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन के दौरान *नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल*

लांच कर एक सराहनीय पहल की है। सभी रोजगार कार्यालय इससे जुड़े हैं। नौकरी के लिए इस पोर्टल ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के लगभग 3000 पेशों की पहचान की है और नौकरी खोजने तथा नौकरी देने वालों के बीच किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह काम कर रहा है। यह कैरियर सलाह, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम, अप्रेन्टिशिप आदि रोजगार से संबंधित सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। साथ ही, केन्द्र सरकार ने ग्रुप सी एवं डी की भर्ती में साक्षात्कार खत्म करके इस दिशा में अच्छी पहल की है।

पिछले तीन वर्षों में भारत में 12.50 लाख करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है जो विश्व में सर्वाधिक है। इतना भारी निवेश होने के बावजूद अपेक्षित रोजगार का सृजन नहीं हो पाना चिंताजनक है। इस निमित्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ–साथ कारोबारी माहौल को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। संशोधित अनुमान बजट अनुमान से ज्यादा है अर्थात सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। साथ ही बैंकों में लाखों करोड़ एनपीए के बावजूद सरकार पर्याप्त पूंजी डाल रही है, इससे बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ेगी तथा निजी निवेश में आ रही गिरावट इससे दूर होगी। नतीजतन, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी एवं रोजगार बढ़ेंगे।

कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण, मैन्युफैक्चरिंग और निजी निवेश खर्च में बढ़ोत्तरी, जीएसटी, नए इन्सॉल्वेंसी कानूनों, मौद्रिक नियमों, आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) जैसे संरचनात्मक सुधारों से मध्यम एवं लंबी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन कारणों का भी निवारण होना चाहिए जिनके चलते बाजार में मांग नहीं बढ़ रही है। किसी उद्योगपति से बिना मांग के उत्पादन की उम्मीद नहीं की जा सकती है और बिना उत्पादन के पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं बढ़ सकते। इसके लिए गरीबों की आय में वृद्धि कर बाजार में मांग बढ़ाई जा सकती है। गरीबी उन्मूलन पर काम करने वाली संस्था 'ऑक्सफैम' की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल भारत में जितनी संपत्ति पैदा

हुई, उसका 73% हिस्सा देश के 1% अमीरों के हाथों में चला गया। हमारे देश में इतनी तेज बढ़ती असमानता दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों को भी आश्चर्यचकित किए हुए है। आर्थिक असमानता के चलते आज हर जगह आम जनता में भारी आक्रोश है, जिसकी अभिव्यक्ति अराजकता और हिंसक प्रदर्शनों के रूप में हो रही है। अमीरों के पास संपत्ति इकट्ठा होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा अनुत्पादक होकर अर्थतंत्र से बाहर हो जाता है। उनका उपभोग न तो उत्पादन में कोई योगदान करता है, न ही उससे विकास दर को गति मिल पाती है। करोड़ों की गाड़ियां, लाखों की घड़ियां और पेन, बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा में लगा हुआ पैसा क्या किसी विकासशील देश में कोई रोजगार पैदा करता है? इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जरिए इन लोगों को एक निश्चित रकम तथा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। जरूरी केवल यह नहीं है कि निजी क्षेत्र में बड़े उद्यम लगे, बल्कि खुद सरकार अपने स्तर पर बड़ी परियोजनाओं को गति दे। यह भी जरूरी है कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का जाल बिछे खासकर कपड़ा, रत्न व आभूषण, चमड़ा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम–बहुल उद्योगों का। इससे अपेक्षित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

निर्यात में कमी ने भी समस्या बढ़ाई है। निर्यात बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है किंतु भारत में इस सेक्टर की बजाय सर्विस सेक्टर का ज्यादा विकास हुआ है जिसमें रोजगार की गुंजाईश कम होती है। पिछले कुछ समय में दुनियाभर में छाई मंदी एवं भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ की कमी के कारण भी तेजी से रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में 'मेक इन इंडिया' नीति की घोषणा की थी, जिसमें सरकार द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा, ऑटो–मोबाइल, रेलवे, टैक्सटाइल्स एवं आईटी उद्योग आदि 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 'मेक इन इंडिया' का महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान वर्तमान 17% से बढ़ाकर 25% करना तथा 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करना है। इससे भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा और करोड़ों रोजगार पैदा होंगे। निर्यात में छोटी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ी है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। विश्व अर्थव्यवस्था में आ रहे सुधार से भारत से निर्यात के और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो विकास दर को भी ऊपर उठाएगी।

वास्तविकता यह है कि भारत में पूंजी निवेश बड़े कारखानों में हो रहा है जहां ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, जिनोम जैसी टेक्नोलॉजी के आने से उद्योगों की कुशलता तथा उत्पादकता तो कई गुणा बढ़ गई है, पर इससे बहुत–सी नौकरियां खत्म हो रही हैं और कुछ नई तरह की नौकरियां सृजित हो रही हैं। नतीजतन, संगठित क्षेत्र का कुल रोजगार में योगदान कम हो रहा है। असंगठित श्रमिकों की संख्या जरूर बढ़ रही है, किंतु उनकी कार्य व जीवन की दशाएं चिंताजनक हैं। आने वाले समय में सेवा क्षेत्र जैसे पर्यटन, ब्यूटीपार्लर, कम्प्यूटर गेम आदि का प्रचलन दिनानुदिन बढ़ेगा। विदेशों में ऑपरेशन महंगा है इसलिए स्वास्थ्य पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। हमें भारत को इन सेवाओं का वैश्विक केन्द्र बनाना होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। देश के पारंपरिक रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। कपड़ा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य–प्रसंस्करण, पर्यटन तथा एग्री–बिजनेस जैसे उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान है। मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार क्षमता हैं, किंतु वैश्वीकरण के बाद से ये उद्योग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हें पर्याप्त सहयोग तथा समर्थन देकर अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (जो 72% रोजगार देता है) के कारोबार को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने एमएसएमई उद्योगों में विनिर्माण व उत्पादन में निवेश की सीमा को बढ़ाकर पांच करोड़ रूपए करने का फैसला किया है। अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार पैदा करने में छोटे उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बजट में एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए उनका टैक्स 30% से कम करते हुए 25% किया गया है। इससे इस सेक्टर का विकास होगा एवं रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। भारत में कॉरपोरेट टैक्स सबसे ज्यादा है और हाल ही में अमेरिका से लेकर जापान तक इसमें कमी की गई है। कम कॉरपोरेट टैक्स से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और नौकरियां पैदा होती हैं।

पूर्व में छोटे उद्योगों के लिए कुछ वस्तुएं आरक्षित थीं, उन वस्तुओं का बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन करने पर प्रतिबंध था। छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए छोटे उद्योगों को पूर्व में उपलब्ध संरक्षण को पुनः बहाल करना चाहिए। कंपनियों को पे–रोल बढ़ाने अर्थात कर्मचारियों की भर्ती करने पर छूट एवं अन्य रियायतें दिया जाना जरूरी है। इसके लिए बजट में केन्द्र सरकार ने कई सराहनीय प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है, जिसमें नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में सरकार की ओर से 12% अंशदान और महिलाओं के पीएफ अंशदान की बाध्यता में 4% की कटौती शामिल है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हीं क्षेत्रों में पूंजी निवेश कर रही हैं, जहां भारतीय उद्योग–धंधे पहले से ही लाभ कमा रहे हैं। ऐसे में भारतीय उद्योग–धंधों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां रूपी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घरेलू उद्योग–धंधों की समाप्ति से बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है एवं बहुत से युवा उपयुक्त रोजगार के अवसर के अभाव में नशाखोरी, आपराधिक प्रवृत्ति, आतंकवाद तथा नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह जापान तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की भांति अपने उद्यमों तथा श्रमिकों के साथ संरक्षात्मक नीति लागू रखे। बड़े उद्योगों से ज्यादा रोजगार पैदा करने की बहुत उम्मीद रखना मृग–मरीचिका होगी। हमारे हर गांव, हर शहर और कस्बे में ऐसे अभाव और समस्याएं मिल जाएंगी जिन्हें आर्थिक अवसरों में बदला जा सकता है, जैसे ग्रामीण युवाओं को अंग्रेजी और कम्प्यूटर की जानकारी देना।

पहले देश में खेती एवं उस पर आधारित उद्योग तथा ग्रामीण लघु उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार दिलाया करते थे, किंतु आज इनकी हालत खराब है। असली चुनौती किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य देने और ग्रामीण बेरोजगारी की है। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मात्र 6% चीजों पर तय होती है जिसे बढ़ाकर सभी खाद्य पदार्थों की एमएसपी तय होनी चाहिए। फिर, एमएसपी सही तरीके से बढ़ती रहनी चाहिए ताकि किसानों की उत्तरोत्तर आमदनी भी बढ़े एवं ज्यादा खाद्य महंगाई भी न बढ़े– एक बेहतर संतुलन की आवश्यकता है। बजट में किसानों को उपज के लागत मूल्य का डेढ़ गुणा मूल्य दिए जाने एवं 22000 हाटों को 'ई–नाम' के तहत कृषि बाजार से जोड़ने की घोषणा एक अच्छी पहल है। सिंचाई की समस्या बढ़ रही है क्योंकि भूजल का स्तर गिर रहा है। उर्वरक के ज्यादा प्रयोग के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका फायदा तभी मिल सकता है जब स्थानीय स्तर पर उद्योग लगें और वहीं कृषि श्रमिकों को रोजगार मिले। इससे केन्द्र सरकार की 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मनरेगा के सफल संचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा इसकी सफलता को राष्ट्रीय गरिमा का विषय बताया जाना उनकी सकारात्मक सोच को दिखाता है।

ग्रामीण इलाकों से संबंधित उद्योग–धंधों को बढ़ावा देना होगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में छोटे–छोटे उद्यमों को शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में नॉन–फार्मिंग सेक्टर को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े छोटे–छोटे उद्योगों को फैलाना होगा। खेती के साथ–साथ उससे जुड़ी हुई गतिविधियों जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी आपस में जोड़ना होगा और उसे बढ़ावा देना होगा, तभी रोजगार बढ़ेंगे। गांव आधारित छोटे उद्यमों से भी लोगों को जोड़ना होगा। ग्रामीणों को शहरों के कारोबार से जोड़े बिना गांवों का समग्र विकास नहीं हो सकता है। निश्चय ही खेती एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी एवं रोजगार बढ़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति एजीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा 'पुरा' (प्रॉविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टु रूरल एरियाज) को अमल में लाने की कोशिश होनी चाहिए। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर का बुनियादी ढ़ांचा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और रोजगार के अवसर पैदा करना।

आज अधिकांश देसी–विदेशी कंपनियां कौशल पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं, लेकिन कुशल लोगों की अब भी भारी कमी है। एक तरफ रोजगार के अवसर नहीं सृजित हो रहे हैं एवं युवाओं को अपनी काबिलियत के मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ इन कंपनियों को जॉब की अपेक्षाओं के अनुरूप कुशल वर्कर नहीं मिल रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली भी इसके लिए उत्तरदायी है जिसमें किताबी ज्ञान पर ही जोर दिया जाता है और आज के युग में उद्योगों में जरूरी हुनर, कला–कौशल, योग्यताएं एवं प्रतिभाएं विकसित नहीं की जाती। हमारे कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का उद्योग–धंधों से कोई विशेष तादात्मय नहीं रहता है। छात्रों को जो शिक्षा मिल रही है वह उन्हें प्रायः सरकारी नौकरियों के लायक ही बनाती है, इसके भरोसे हम रोजगार एवं विकास दर बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा के तीनों स्तंभ– छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बदतर है।

अनपढ युवाओं से ज्यादा बेरोजगारी शिक्षित युवाओं में है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ–साथ युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। कुछ वर्ष पहले तक इंजीनियरिंग एवं एमबीए का जबर्दस्त क्रेज था। ये अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य की गारंटी माने जाते थे। इसलिए छात्रों की भीड़ इसमें बढ़ती गई। किंतु हालात में बदलाव के साथ दोनों सेक्टरों की हालत धीरे–धीरे खराब होती जा रही है। एआइसीटीई के अनुसार इस समय पढ़ाई पूरी करने के बाद 40% इंजीनियरों को ही नौकरी मिल रही है, उनमें से करीब आधे अपनी तकनीकी योग्यता से कम वेतन की नौकरी करने को विवश हैं। कमोबेश यही हाल बिजनेस स्कूल के छात्रों का भी है। अधिकांश तकनीकी

व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की पढ़ाई के गैर–पेशेवर तरीके भी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। वे छात्रों से मोटी फीस लेते हैं किंतु रोजगार लायक शिक्षण–प्रशिक्षण नहीं दे पाते। इसलिए उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाना होगा जिससे शिक्षकों की संख्या एवं कॉलेजों/विश्वविद्यालयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़े और अंततः शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे। रोजगार बढ़ाने के साथ–साथ देश के तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में जरूरत के मुताबिक और ज्यादा प्रभावी और रोजगारपरक शिक्षण तंत्र विकसित करने की जरूरत है। हमें शिक्षित युवाओं को एक तरफ कौशल विकास से प्रशिक्षित करना होगा, तो वहीं दूसरी ओर गांवों में काफी संख्या में जो गरीब, अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित लोग हैं, उन्हें निम्न तकनीक वाले उत्पादन कार्यों में लगाना होगा।

अक्सर यह शिकायत की जाती रही है कि हमारे ग्रैजुएट काम पर रखने लायक नहीं हैं। यह धारणा हाल के सर्वेक्षण से बदल जानी चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के अलावा दो स्वतंत्र एजेंसियों पीपलस्ट्रांग और वीबॉक्स के संयुक्त सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के नए स्नातकों में रोजगार योग्यता/नियोजनीयता (एम्प्लॉएबिलिटी) पूर्व के वर्षों की तुलना में बढ़ी है। जैसे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एम्प्लॉएबिलिटी 2016–17 में 50.69% थी जो 2017–18 में 51.52% हो गई तथा फार्मास्युटिकल्स में यह पिछले वर्ष 42.3% थी जो, इस वर्ष 47.78% हो गई। सबसे आश्चर्यजनक उछाल कम्प्यूटर एप्लिकेशंस में देखा गया, जहां यह 31.36% से बढ़कर 43.85% हो गई। सर्वेक्षणकर्ताओं का मानना है कि इधर कई संस्थानों ने बदलते वक्त को पहचान कर अपने पाठ्यक्रम का ढ़ांचा बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा और अपने छात्रों को एम्प्लाएबल बनाने के लिए लीक से हटकर प्रयास किए हैं। इससे सरकार के सामने चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि एक निपुण वर्कफोर्स बेरोजगारी को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएगी।

केन्द्र सरकार की ओर से जारी 'भारत कौशल रिपोर्ट 2018' के अनुसार पिछले पांच वर्षों में देश में नई प्रतिभाओं के लिए रोजगार मिलने के अवसरों में 12.5% तक बढ़ोत्तरी हुई है। इस वर्ष यह आंकड़ा 2014 के 33% से बढ़कर 45.60% हो गया है। इस वर्ष रोजगार के अवसरों में 5.6% की वृद्धि हुई है तथा पेशेवरों की मांग में 15% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य पाठ्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक पाठ्यक्रम अधिक रोजगार दक्ष उम्मीदवारों को तैयार कर रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि कुशल मानव संसाधन ही किसी देश को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दिलाकर आर्थिक विकास में मददगार बन सकता है। इसी उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वाकांक्षी कौशल विकास अभियान *स्किल इंडिया* की शुरूआत की एवं वर्ष 2022 तक 40.02 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा। *स्किल इंडिया* के अंतर्गत 20 से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को बेहतर कौशल, रोजगार एवं मेहनताना मिल सके। वैश्विक रोजगार पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में कामकाजी आबादी कम हो रही है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। ऐसे में, भारत की युवा आबादी को अगर कुशल बनाया जाए, तो वह देश–दुनिया के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। किंतु भारत में अभी 20% लोग ही ठीक से प्रशिक्षित हैं, जबकि चीन में 91%। यह जरूरी है कि युवाओं को नए दौर के कौशल प्रशिक्षण से लैस किया जाए। पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों के संगठन नैस्कॉम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रॉसेस, ऑटोमेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, 3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया–मोबाइल जैसे आठ नए क्षेत्रों में 55 नई भूमिकाओं में 90 लाख युवाओं को अगले तीन साल में प्रशिक्षण करने का जो अनुबंध किया है, उसे कारगर तरीके से क्रियान्वित करना होगा।

अब देश में 'उद्यमिता–क्रांति' लानी होगी। सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में 'उद्यमिता–प्रकोष्ठ' बनाकर युवकों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे नौकरी खोजने वाले की बजाए नौकरी देने वाले बनें। साथ ही, 'इन्क्यूबेशन–सेंटरों की स्थापना करनी होगी जो उद्यमी बनने का सपना देखने वाले युवकों को

प्रारंभिक कुछ वर्षों तक हर तरह से सहयोग दें। केन्द्र सरकार ने *मुद्रा योजना* के तहत पिछले तीन वर्षों में 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 10 करोड़ उद्यमियों को दिया है। इन 10 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ बिल्कुल नए ऋण लेने वाले हैं अर्थात 3 करोड़ नए लोग स्वरोजगार से जुड़े और अपने साथ कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। इन ऋण लेनेवालों में 76% महिलाएं हैं। इससे अर्थतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केन्द्र सरकार द्वारा *स्किल इंडिया* के तहत युवाओं को रोजगारपरक कौशल सिखाया जा रहा है तो *मुद्रा* योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही।

प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ से अधिक युवा श्रम बाजार में आते हैं किंतु श्रम बाजार में इतनी नौकरियां सृजित नहीं हो पा रही हैं। इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई महत्वाकांक्षी रोजगार सृजन योजनाएं/नीतियां शुरू की हैं– *प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, मुद्रा,एस्पायर, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री युवा योजना* आदि। इससे दिनानुदिन अधिक से अधिक रोजगार सृजन होने की युवाओं को उम्मीद है। साथ ही, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत केन्द्र सरकार 15000 रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों की नई भर्ती करने पर वस्त्र उद्योग में 12% एवं अन्य क्षेत्र में 8.33% पीएफ का अंशदान कर रही है जिससे नियोक्ता रोजगार के अवसर सृजित करने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं तथा इससे ठेके पर रोजगार देने की प्रवृति भी हत्तोत्साहित हो रही है। किंतु ये सभी प्रयास अभी नाकाफी साबित हुए हैं। इसलिए पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और रचनात्मक सोच की जरूरत है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योगों एवं शिक्षा संस्थानों को संयुक्त रूप से एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जो कम से कम समय में संगठित व असंगठित क्षेत्र, निजी व सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष रोजगार की मांग के अनुरूप जरूरी एक करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित कर सकें। मानव विकास संस्थान में मानद प्रोफेसर अजित के. घोष ने इंडिया एम्प्लायमेंट रिपोर्ट, 2016 में लिखा है कि अपने 'जनसांख्यिकी लाभांश' का फायदा उठाने के लिए देश को अगले 15 साल तक हर साल 1.6 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। करोड़ों की संख्या में रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए युवा स्वरोजगार से जुड़कर खुद के साथ–साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं एवं खुद की प्रगति के साथ–साथ देश की प्रगति में भी भागीदार बन सकते हैं। इसके लिए वे सरकार से कौशल, आर्थिक एवं अन्य जरूरी मदद ले सकते हैं। विभिन्न स्टडी के मुताबिक स्वरोजगार से नियमित वेतनभोगी वर्करों से कम किंतु कैजुअल वर्करों से ज्यादा आमदनी होती है। केन्द्र सरकार *स्किल इंडिया, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया* आदि कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

बजट में 70 लाख औपचारिक नौकरियों के प्रावधान के जरिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है और बुनियादी ढ़ांचे– सड़क, रेल, हवाई अड्डे, हेलीपैड, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले बुनियादी ढ़ांचे के विकास तथा इसके अलावा बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के जरिए रोजगार और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इससे जहां रोजगार का सृजन होगा, वहीं विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी के 'सहकारी संघवाद' के मॉडल को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार जैसे क्षेत्रों में लागू करके आगे बढ़ा जा सकता है। दरअसल विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से सुधार इसी रास्ते पर चलकर संभव है।

देश के पास विशाल युवा आबादी का फायदा है। इस पर हम गर्व महसूस करते हैं किंतु भारत में कार्यशील आबादी की भागीदारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है– यह भारत में 53%, अमेरिका में 68%, चीन में 70%, जर्मनी में 75% तथा जापान में 80% है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत रोजगार के पारम्परिक एवं नए अवसर सृजित कर इसका फायदा लेने में सफल नहीं हुआ है। युवाओं को यदि अद्यतन कौशल विकास (जिसे उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है) से जोड़ दिया जाए और व्यापार–व्यवसाय एवं विदेशी निवेश बढ़ाने के मार्ग की मुख्य बाधा– बिजली–सड़क आदि आधारभूत संरचना की कमी, लचर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नौकरशाही, लालफीताशाही, भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण सहित विभिन्न मंजूरी लेने के जटिल पचड़े आदि को दूर कर दिया जाए तो इससे उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। यह दौर सचमुच खत्म होना चाहिए जिसमें विकास तो हो रहा है मगर बेरोजगारी भी है। यह तभी संभव है जब रोजगार का लगातार सृजन हो और विकास–दर सतत गति से आगे बढ़े, अर्थात हमें विकास भी चाहिए और रोजगार भी।

काव्य-मंजूषा

डॉ. पूनम एस. चौहान*

मनमोहिनी

उसकी अठखेलियाँ, मीठी मुस्कान
मनमोहिनी, मन लुभा गई
पलकें उठाती–गिराती, नयनों से तीर चलाती
मनमोहिनी, हृदय पर तीर चला गई।

पेड़ों के झुरमुट में छिपती झलक दिखलाती
खन–खन पायल बजाती
हिरणी सी इधर–उधर शरमाती
मनमोहिनी, नशे के घूँट पिला गई।

शिवालय के घंटों में गूँजता सुरीला स्वर
भक्ति रस से भरा, मन को छूता
चहुँ ओर संगीत बिखेरती अछूता
मनमोहिनी, मुझमें वीणा बजा गई

चाँदनी रात में चन्द्रप्रभा से ओत–प्रोत
सौन्दर्य की प्रतिमा, दीपक की ज्योत
चन्द्रमा को शरमाती
मनमोहिनी, मन में कसक जगा गई।

खो गया बचपन कहीं

ढाबों में बर्तन धोता
मालिक की डाँट–फटकार सुनता
ग्राहको की दुतकार सहता
भोजन को तरसता
वो बच्चा, अपनी किस्मत को कोसता।
सड़कों पर सामान बेचता
रंगीन गुब्बारों से, गाड़ी सवार बच्चों को लुभाता
सड़कों पर चलती गाड़ियों से बचता–बचाता
भीख की गुहार लगाता
वो बच्चा, अपनी बेबसी को रोता।

कूड़े के ढेर उठाता
उसमें काम की चीज़ ढूँढता
कूड़े की बदबू को आत्मसात करता
पापी पेट के लिए अमानवीय काम करता।
वो बच्चा, अपने बचपन को ढूँढता।
लोगों के जूते चमकाता
उनकी जी हजूरी करता
फुटपाथ पर भुट्टे बेचता
ग्राहकों को अपनी ओर खींचने को दौड़ता
वो बच्चा, अपने दुर्भाग्य पर हंसता।

गरीबी ने जिसे, ढकेल दिया श्रम बाज़ार में
कमाई करने को मज़बूर किया जीवन के हालात में
स्कूल वो जा न सका, जीवन सँवार न सका
स्कूल की ओर लालसा से देखता
वो बच्चा, अपनी खुशी को ढूढता।

लूट लिया बचपन उसका
असंवेदनशील समाज ने
अधिकारों से वंचित किया
समाज के ठेकेदारों ने
जिन नन्ही उंगलियों में
कलम होनी चाहिए थी
उसके नाजुक कन्धों
पर परिवार का बोझ डाल दिया
अपनी भावनाओं को कुचलता
और आँसुओं को पीता
वो बच्चा, अपनी किस्मत को कोसता।

* वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2017 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 सितंबर – 03 अक्टूबर 2017 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2017 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 14 सितंबर 2017 को हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गयी।

हिंदी पखवाड़े के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 48 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 23 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। सामान्य टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्री राजेश कुमार कर्ण ने द्वितीय एवं श्री ए. के. श्रीवास्तव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने भाग लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम, श्री सतीश कुमार ने द्वितीय एवं सुश्री रुचिका चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री कृष्ण कुमार ने प्रथम, श्री विश्वनाथ मल्लाह व श्री दिलीप सासमल ने द्वितीय एवं श्री हरीश सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, डॉ. शशि तोमर ने द्वितीय एवं श्री ए. के. श्रीवास्तव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने भाग लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण अथवा वर्तनी एवं वर्ग

पहेली प्रतियोगिता में श्रीमती गीता अरोड़ा ने प्रथम, श्री नरेश कुमार ने द्वितीय एवं श्रीमती सुधा वोहरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में डॉ. शशि तोमर ने प्रथम, श्री प्रकाश मिश्रा ने द्वितीय एवं श्रीमती श्रीमती सुधा वोहरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में श्रीमती गीता अरोड़ा ने प्रथम, श्रीमती पिंकी कालड़ा ने द्वितीय एवं श्री सूरज सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान 23 सितम्बर 2017 को स्टाफ के बच्चों के लिए एक चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता तीन श्रेणियों (कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, तथा कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे) में आयोजित की गयी तथा प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार रखे गये थे। पुरस्कार विजेता बच्चों के नाम इस प्रकार हैं:

कक्षा 1 से 5: प्रथम पुरस्कार – कु. सृष्टि श्रीवास्तव (सुपुत्री श्री ए. के. श्रीवास्तव)

द्वितीय पुरस्कार – कु. प्रतिभा चौहान (सुपुत्री श्री राम किशन चौहन)

कक्षा 6 से 8: प्रथम पुरस्कार – मा. अभिषेक श्रीवास्तव (सुपुत्र श्री ए. के. श्रीवास्तव)

द्वितीय पुरस्कार – कु. राम्या रावत (सुपुत्री श्री हर्ष सिंह रावत)

कक्षा 9 से 12: प्रथम पुरस्कार – कु. मानसी (सुपुत्री श्री कृष्ण कुमार)

द्वितीय पुरस्कार – कु. पिंकी ससमल (सुपुत्री श्री दिलीप ससमल)

सभी विजयी प्रतिभागियों को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर 03 अक्टूबर 2017 को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

लीला सेठः ख्यातिप्राप्त महिला जज

साभार: दैनिक हिंदुस्तान

20 अक्तूबर 1930 को अपनी ननिहाल लखनऊ में जन्मीं और भारत के किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनीं लीला सेठ का पाँच मई 2017 को नौएडा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। प्रस्तुत है स्मृति स्वरूप लिखा गया वरिष्ठ लेखक भारत भारद्वाज का आलेखः

'मृत्यु प्रकृति का अंतर्विरोध है। इसे सहना ही होगा। मृत्यु पर किसी का वश नहीं है।' यह वाक्य हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने मेरी धर्मपत्नी गीत त्रिवेदी के आकस्मिक और अप्रत्याशित निधन के बाद एक पत्र में सांत्वना देते हुए मुझे 1988 में लिखा था। मुझे लगता है – मृत्यु का न कोई गणित होता है और न व्याकरण। बस मृत्यु की सत्ता होती है। लीला सेठ के लंबे सक्रिय जीवन में कानून की पेचीदगियां एक तरफ थीं, तो दूसरी तरफ परिवार को संभालने की नैतिक जिम्मेदारी। किसी को भी यह सोचकर हैरानी हो सकती है कि उन्होंने 'घर और अदालत' के बीच कैसे संतुलन बैठाया होगा।

लीला सेठ के पिता ब्रिटिश सरकार की इंपीरियल रेलवे सेवा में थे। उनकी माँ की शिक्षा–दीक्षा मिशनरी स्कूल में हुई थी। घर का वातावरण अंग्रेजी वाला था। यहीं पर उनके बड़े बेटे विक्रम सेठ (अब अंग्रेजी के बड़े लेखक) से बाटा शू कंपनी, इंडिया, जहाँ लीला सेठ के पति प्रेमो काम करते थे, के मित्र येनसेक ने पूछा–'तुम्हारी मातृभाषा क्या है?' तो, उसने जवाब दिया, 'मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मेरी माँ की अंग्रेजी है।' विक्रम उस वक्त महज आठ साल के थे। यह भविष्य के होनहार अंग्रेजी लेखक विक्रम सेठ की हाजिर जवाबी थी, जो सबको पसंद आई। लीला सेठ की आत्मकथा 'ऑन बैलेंस' शीर्षक से पेंगुइन–यात्रा बुक्स सिरीज में 2003 में आई थी। आत्मकथा का आधार यह था कि कई क्षेत्रों में अग्रणी इस महिला ने कानून के क्षेत्र में एक बड़ी लकीर खींची थी। उनकी यही आत्मकथा जब सात वर्ष बाद 2010 में पेंगुइन से ही प्रदीप तिवारी के अनुवाद में आई तो हिंदी संसार में अचानक चर्चा में आ गई। उस वर्ष के सर्वेक्षण में इसे खासी प्रमुखता मिली।

लीला सेठ की शादी 13 मार्च 1951 को प्रेमो (प्रेम नाथ सेठ) से हुई थी। मई 1954 में उन्हें लंदन के बांड स्ट्रीट स्थित बाटा डेवलपमेंट ऑफिस में काम करने का मौका मिला। लीला और प्रेमो अपने दो साल के बेटे विक्रम को नानी के पास भारत में छोड़ गए। लंदन पहुंचने पर लीला सेठ मांटेसरी डिप्लोमा कोर्स करना चाहती थीं, लेकिन वक्त ने उन्हें लंदन बार पहुंचा दिया। बार की परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान मिला और इस पर लंदन के दैनिक अखबार 'पोस्ट' ने जो विशेष समाचार छापा था, उसका शीर्षक था–'लीला सेठः मदर इन लॉ'। यह शीर्षक द्वि–अर्थक है। लीला सेठ के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता थी। हालांकि इससे पहले भी कई भारतीयों को ऐसी प्रसिद्धि मिल चुकी थी – खासकर पटेल बंधुओं को। अकादमिक सफलता से लबरेज भारत लौटीं लीला सेठ को जीवन का पहला ब्रेक कलकत्ता कोर्ट में मिला। 1958 में प्रेमो का तबादला पटना हो गया तो वह भी वहीं आ गईं और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरु कर दी। उस वक्त पटना हाई कोर्ट में दो ही महिला वकील थीं। धर्मशीला लाल, जो प्रसिद्ध इतिहासकार के. पी. जायसवाल की बेटी थीं और लीला सेठ। लीला सेठ पटना हाई कोर्ट में लगभग दस साल रहीं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे पिताजी मुकदमा लड़ते थे और उनके कई मुकदमे हाई कोर्ट में लंबित थे। वे प्रायः मुकदमे के निर्णय मुझसे पढ़वाकर सुनते और धर्मशीला लाल और लीला सेठ का नाम लिया करते थे। लीला सेठ चार बच्चों की माँ थीं। दो बेटे विक्रम और शांतम तथा दो बेटियां–आराधना और इरा। इरा को उन्होंने अपने भाई शशि को गोद दे दिया था, जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी। बाद में लीला सेठ पहली महिला जज बनीं और फिर हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। इसके अतिरिक्त भी लीला सेठ ने अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभायीं। वे विधि आयोग से भी जुड़ी रहीं और 16 दिसम्बर 2012 के निर्भया कांड के बाद गठित न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के तीन सदस्यों में भी शामिल थीं। अंग्रेजी के चर्चित लेखक विक्रम सेठ की माँ कहलाने से पहले वह स्वयं बड़ी लेखिका भी थीं। 'ऑन बैलेंस' के अलावा उनकी उल्लेखनीय किताब 'टॉकिंग ऑफ जस्टिसः पीपुल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया' भी देर तक स्मृतियों में बनी रहेगी। लीला सेठ को नमन।

नीचे प्रस्तुत हैं लीला सेठ की आत्मकथा 'ऑन बैलेंस' के हिंदी अनुवाद 'घर और अदालत' से कुछ अंशः

वकालत नहीं, जाकर शादी-वादी करो

मैं चैम्बर से जुड़ने के लिए पूरे जोर–शोर से एक अच्छे सीनियर की तलाश में लग गई थी। इस सिलसिले में कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार श्री अहमद से मिलने पहुंची, जिनके पास तीस बैरिस्टरों की ऐसी सूची थी, जो प्रशिक्षु रखने के लिए अधिकृत थे और जूनियर वकीलों की तलाश में भी थे। मैंने उन्हीं से पूछा कि मुझे किसके

चैम्बर में शामिल होना चाहिए। जवाब में उन्होंने पूछा कि मैं इस सूची में शामिल महानुभावों में से किसको जानती हूँ। मेरे यह कहने पर कि मैं तो किसी को नहीं जानती तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, 'फिर तुम इस पेशे में क्यों आ रही हो?'....इस पर मैंने कहा कि वह मुझे सिर्फ यह बता दें कि सबसे बेहतरीन बैरिस्टर कौन है, बाकी मुझ पर छोड़ दें....थोड़ी टालमटोल के बाद उन्होंने दो वकीलों के नाम सुझाए, एक सचिन चौधरी, दूसरा एलिस मायर्स। एलिस मायर्स नाम काफी अंग्रेजी लगा, इसलिए तय किया कि मुझे सचिन चौधरी को ही चुनना चाहिए।

मुझे बचपन की सिखाई बात याद आई, अगर तुम अच्छा फल पाना चाहती हो तो सबसे ऊँची डाल तक चढ़ना ही पड़ेगा। जब सचिन चौधरी से मिलने पहुंची तो काफी डरी और हड़बड़ाई हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कराहट के साथ खुद को बहादुर दिखाने में कोई कसर नहीं रखी। इस बारे में थोड़ा–बहुत जानते हुए भी कि मैं उनके पास क्यों आई हूँ, वह स्थिति एकदम साफ कर लेना चाहते थे। काफी गंभीर एवं कड़क आवाज में बोले, 'क्या है?' मैंने उन्हें बताया तो बोले, 'कानूनी पेशा अपनाने के बजाय जाकर शादी–वादी करो।' तो मैंने कहा, 'लेकिन श्रीमान मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ।' उनकी सलाह थी, 'तो जाकर बच्चे पैदा करो।' मेरे यह बताने पर कि 'बच्चा भी है' – उनका अगला वाक्य था, 'यह तो ठीक नहीं है कि बच्चा अकेला रहे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोचो।' तब मैंने कहा, 'चौधरी जी, मेरे पहले से ही दो बच्चे हैं।' अब तीसरी बार वह चौंके और बोले, 'तब ठीक है, मेरे चैम्बर में शामिल हो जाओ। तुम दृढ़ निश्चयी युवती हो और बार में अच्छा काम करोगी।

ईश्वर या सत्यनिष्ठा

शपथ ग्रहण समारोह के कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेना चाहती हूँ या फिर सत्यनिष्ठा की। मैं थोड़ी उलझन में पड़ गयी और पूछा कि बाकी सब लोग क्या करते है। उन्होंने बताया कि यह तो अपनी–अपनी पसंद की बात है, लेकिन जहाँ तक उनकी जानकारी है, सामान्य तौर पर लोग ईश्वर के नाम पर ही शपथ लेते हैं। बचपन में मेरा धर्म की ओर ज्यादा झुकाव था, लेकिन बाद में मुझे सवालों के दौर से भी गुजरना पड़ा था। मैं एकदम से नास्तिक तो नहीं थी, बल्कि अज्ञेयवादी हो गयी थी। मैंने सत्यनिष्ठा के नाम पर शपथ लेने का फैसला किया, जबकि उसके तुरंत बाद नरिंदर ने धार्मिक आधार पर शपथ ली। शपथ का स्वरूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल शब्द एकदम सुस्पष्ट, काफी अपेक्षाएं रखने वाले और असाधारण तरीके से आत्मीय हैं।

वह गर्वीला क्षण

चीफ जस्टिस टाटाचारी के साथ तेज और स्पष्ट आवाज में जब मैंने ये (शब्द) दोहराए तब मैंने एक अजीब–सी सनसनाहट महसूस की, जो उत्साह और भय की मिली–जुली अनुभूति थी। मैंने अपने अंतर्मन में एक तरह से बदलाव को महसूस किया, खासकर तब, जब 'भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना कर्तव्य पालन' की प्रतिज्ञा ली। मैंने महसूस किया कि एक जज के तौर पर मुझ पर बेहद गंभीर जिम्मेदारी आ गई है। यह एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक तरह से भगवान बन जाने जैसी; क्योंकि एक जज न केवल किसी की स्वतंत्रता, बल्कि उसके जीने का हक भी छीन सकता है।

हमसफ़र

d|l|e mk/;k;*

एक था पँछी, एक थी डाली, एक गुल था, एक भँवरा
सदा संग चारों रहते थे, शाम हो या कि सवेरा।
डाली कहती उस पँछी से दूर कहीं मत जाना
देश पराया, लोग बेगाने पँछी तू अनजाना।
भँवरा कहता उस गुल से, तू नित कैसे मुस्काये
कंटक देह छीलते रहते, देख के दृग भर आये।
शूल–फूल का साथ सदा से, यही नियति की रचना
हर्ष–विषाद रात–दिन जैसे रुदन संग है हँसना।
मधुप नहीं जानो तुम जग में, प्रीत की रीत निभाना
दिये संग जल जाये पतंगा, है ये अमर अफसाना।
काँटे तो बचपन के साथी, सदा संग ही खेले
हर मौसम, दिन, पल छिन, सब दुख–सुख संग झेले।
पँछी तो पँछी है, इक दिन, त्याग शाख उड़ जाये
जैसे मेहमाँ रात ठहरकर, भोर होत चला जाये।
देह मकान समान हमारी, आत्मा (पँछी) है मेहमान
जीवन रात गुजार के, सहर करे प्रस्थान।

* *वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर, नौएडा*

चीन की विस्तारवादी नीति

बीरेन्द्र सिंह रावत*

दुनिया में आबादी (1.379 अरब) के आधार पर पहला स्थान तथा क्षेत्रफल (9.597 मिलियन वर्ग किलोमीटर) के आधार पर चौथा स्थान रखने वाले चीन की सीमाएं दुनिया के 13 देशों के साथ मिलती हैं। इनमें उत्तरी कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। इनके अलावा, पाक अधिकृत कश्मीर के जरिए चीन की सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है। दुनिया में सबसे अधिक 22,117 किलोमीटर की जमीनी सीमा के साथ चीन के अपने पड़ोसियों के साथ कुछ–कुछ सीमा संबंधी विवाद होना लाजिमी है, परंतु पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद के ज्यादातर मामलों में चीन का दावा सदियों पुराने अपने अप्रमाणित इतिहास पर आधारित होता है। पड़ोसी देशों के साथ उसका सीमा विवाद तो है ही, साथ में हजारों किलोमीटर दूर स्थित दूसरे देशों के साथ भी उसका विवाद चल रहा है।

कुल मिलाकर चीन का 23 देशों के साथ विवाद चल रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का अनेक देशों के साथ विवाद चल रहा है। चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर का पूरा इलाका उसका है जबकि इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और ब्रुनेई का दक्षिण चीन सागर के कुछ–कुछ इलाकों पर अधिकार रहा है। कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, और ताजिकिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। इन देशों के साथ हाल ही में चीन ने समझौते किए हैं, जो कि चीन के पक्ष में गए हैं। अफगानिस्तान और चीन के बीच लगभग 93 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा पर पड़ते बदखशां प्रांत के वखन क्षेत्र पर अफगानिस्तान का अधिकार है। इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बहुत पुराना है। वर्ष 1963 में समझौते के बावजूद चीन अफगानिस्तान के बड़े भू–भाग पर आधिपत्य जताता रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ चीन का विवाद पूर्वी चीन सागर के इलाकों के संबंध में है। मंगोलिया के बारे में चीन का मानना है कि युआन राजवंश के शासनकाल (1279 – 1368 ईसवी) में मंगोलिया उसका हिस्सा रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि मंगोलिया के चंगेज खान ने चीन के एक बड़े भू–भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। चीन फिलीपींस, कंबोडिया और उत्तर कोरिया की जमीन पर भी अपना हक जताता रहा है। चीन के मुताबिक वियतनाम और लाओस पर भी उसका हक है क्योंकि मिंग राजवंश के शासनकाल (1368 – 1644 ईसवी) में वियतनाम पर और युआन राजवंश के शासनकाल में लाओस पर उसका अधिकार रहा है। युआन राजवंश के शासनकाल का हवाला देते हुए चीन ने म्यांमार के एक बड़े भू–भाग पर भी अपनी दावेदारी कर रखी है। चीन भूटान के 764 वर्ग किलोमीटर (उत्तर–मध्य भूटान के जाकुरलांग एवं पसामलांग घाटी के 495 वर्ग किमी. क्षेत्र और पश्चिमी भूटान में डोकलाम पठार सहित 269 वर्ग किमी.) भू–भाग पर अपना अधिकार जताता है।

चीन काफी वर्षों से भूटान के कुछ क्षेत्रों पर अतिक्रमण करता आ रहा है, लेकिन डोकलाम विवाद (2017) से पहले तक वहाँ पर चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं थी। डोकलाम एक पठारी इलाका है, जो भूटान का है लेकिन चीन इस पर अपना दावा जताता रहा है। 1984 से इस विवाद पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, अब तक 24 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन के सैनिक अब तक इस इलाके में गश्त के लिए आते रहे हैं, लेकिन वापस चले जाते थे। पहली बार 16 जून 2017 को चीन की सेना की कंस्ट्रक्शन टीम भारी संख्या में मशीनों और वाहनों के साथ आई और डोकोला से जूमली में भूटान की सेना के शिविर की ओर एक सड़क का निर्माण कार्य शुरु कर दिया। इस पर वहाँ जोमपेरी चौकी पर मौजूद भूटान के सैनिकों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। चीन के सैनिकों से यह भी कहा गया कि उनका एकतरफा कदम 1988 और 1998 की संधि का उल्लंघन है। भूटान के सैनिकों के मुकाबले चीन के सैनिक भारी संख्या में थे और उन्होंने भूटानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। भूटान और भारत के बीच 1949 से ही परस्पर विश्वास और स्थायी दोस्ती का करीबी संबंध है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

करार है। लिहाजा, भारतीय सेना ने 18 जून 2017 को डोकलाम में चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया।

इस क्षेत्र को लेकर भारत के पास दो प्रमुख मुद्दे हैं, जो भारत के लिए प्रत्यक्ष चिंता का कारण बने हुए हैं। चीन एकतरफा ट्राई–जंक्शन बिंदु को बदलने की कोशिश कर रहा है, और भारत इसे 2012 के आपसी समझौते का उल्लंघन मानता है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार डोकलाम इलाके में चीन के सड़क बनाने से इलाके की मौजूदा स्थिति में अहम बदलाव आएगा। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इस रोड़ के बन जाने से चीन को भारत पर एक बड़ा सैन्य लाभ हासिल होगा, इससे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ने वाला सिलिगुड़ी कॉरिडोर चीन की जद में आ जाएगा। चीन का कहना था कि इस क्षेत्र पर उसका अधिकार है और यह रोड़ उसके तिब्बत–सिल्क रोड़ का एक हिस्सा है, भारत को तुरंत पीछे हटना होगा। वहीं भारत और भूटान का कहना था कि जब तक इस विवादित क्षेत्र पर कोई फैसला नहीं हो जाता, यहाँ पर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य न किया जाए।

डोकलाम विवाद के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा था, 'हम कई बार जोर देकर कह चुके हैं कि डोकलाम चीन का हिस्सा है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। जिस इलाके में सड़क बनाई जा रही है, वह पूरी तरह चीन की सीमा के अंदर आता है। इस इलाके का इस्तेमाल तिब्बत के लोग पारंपरिक चारागाह के रूप में करते हैं। 1960 के दशक से पहले बॉर्डर पर रहने वाले भूटान के लोगों को यहाँ अपने मवेशी चराने के लिए चीन की इजाजत लेनी पड़ती थी।' यहाँ यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि विवादित इलाकों पर अपना दावा जताने के लिए चीन हमेशा से 'इतिहास के अपने संस्करण' का सहारा लेता है चाहे बात दक्षिण चीन सागर की हो, जापान के साथ विवाद की हो, मध्य एशियाई देशों कजाखिस्तान, ताजिकिस्तान आदि के साथ विवाद की हो या फिर भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद की। डोकलाम विवाद पर चीन की ओर से तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया। दरअसल जिस 'सिक्किम–तिब्बत संधि 1890' के दस्तावेज दिखाकर चीन डोकलाम पर दावा करता है, उस पर तिब्बत सरकार ने हस्ताक्षर ही नहीं किये थे। स्वयं चीन ने भी 1960 तक भूटान–तिब्बत और सिक्किम–तिब्बत सीमाओं को लेकर किसी संधि पर सहमति नहीं दी थी तथा विशेषज्ञों के अनुसार डोकलाम पर दावा करते वक्त चीन ने ऐसे किसी दस्तावेज का जिक्र भी नहीं किया था। तिब्बत मामलों के जानकार और इतिहासकार क्लॉड आर्पी के अनुसार तिब्बत की सरकार ने 1890 के समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि या तो उसे इसकी जानकारी नहीं दी गयी थी या फिर उसे इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था। चीन यह मानकर चल रहा था कि संधि के लिए तिब्बत की स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र सरकार ने अपना राजदूत भेज दिया था। लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि 1890 में चीन का तिब्बत पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं था। 18 जून 2017 को शुरु हुए डोकलाम गतिरोध का अंत 28 अगस्त 2017 को हुआ जब भारत और चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया।

भूटान सरकार के सूत्रों के अनुसार चीन के सैनिक पहले भी इस इलाके में घुस चुके हैं और आपत्ति जताने पर उन्होंने भूटान के सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। चीन इस इलाके में एक स्थायी सड़क का निर्माण करना चाहता है और इसी को देखते हुए भारत को यहाँ दखल देना पड़ा। शायद सड़क का निर्माण कार्य शुरु करने पर चीनी सैनिकों को सिर्फ भूटान के सैनिकों द्वारा प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, जिन पर हावी होने का उन्हें पूरा भरोसा रहा होगा। इस अनुमान को इसलिए भी सही माना जा सकता है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन का बर्ताव हाल में ऐसा ही रहा है। वहाँ चीन पूरे इलाके में कृत्रिम द्वीप बनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन उस इलाके में अपनी वर्षों पुरानी इस रणनीति के तहत काम कर रहा है कि पहले खाली पड़े इलाकों में अपने सैनिक भेजो, उन पर कब्जा करो और फिर चुनौती देने वाले पर वार करने के बजाय, उसे पहले हमला करने के लिए ललकारो ताकि विश्व समुदाय के सामने वह आक्रांता के तौर पर न जाना जाए। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, पर ज्यादातर मामलों में चीन की रणनीति यही रही है कि किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी 'सैन्य ताकत' का इस्तेमाल करने की बजाय अपने 'सैनिकों की ताकत' का इस्तेमाल किया जाए। इस काम में उसे अब महारत हासिल हो गयी है। चीन को यह पता है कि एक बार उसके सैनिकों का कब्जा किसी इलाके में हो गया, तो फिर अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत के जरिए वह छोटे पड़ोसी देशों को दबा देगा। इसके बाद किसी भी देश के पास यही विकल्प बचता है कि वह कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय

कानून का सहारा ले। लेकिन इन विकल्पों के जरिए ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। फिलीपींस से बेहतर यह कौन जानता है।

दरअसल, अप्रैल 2012 में दक्षिण चीन सागर में स्थित फिलीपींस के नियंत्रण वाले एक विवादित इलाके 'स्कारबोरो शोआल', जिस पर चीन के साथ ही ताईवान भी अपना हक जताता है, में फिलीपींस की नौसेना ने चीन के मछुआरों की आठ नौकाओं को पकड़ा था। इनके बचाव में चीन की नौसेना भी कूद पड़ी तथा इस पर लगभग तीन माह तक गतिरोध बना रहा। अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ था कि जब तक शोआल के स्वामित्व पर स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक दोनों देश शोआल से अपनी–अपनी सेनाओं को हटा लेंगे। इस समझौते के तहत फिलीपींस ने तो शोआल से अपनी नौसेना को हटा दिया परंतु चीन मुकर गया और उसने कुछ महीनों के अंदर शोआल के प्रवेश–द्वार पर बैरियर लगा दिया। तब से हर वर्ष चीन उकसाने वाले कार्य करता रहता है। चीन निःसंकोच इस नियम पर चलता है कि जो कुछ उसने कब्जा कर लिया है उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, पर जिन क्षेत्रों पर उसका दावा है, केवल उसी के संबंध में वार्ता की जा सकती है।

सीमा विवाद से जुड़े मामलों में अपने छोटे पड़ोसी देशों पर दबाव बनाकर उनसे अपनी बात मनवाने की फितरत के अलावा चीन की एक और कुटिल नीति है, जिसके तहत उसने मध्य एशिया, दक्षिण–पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि या तो वे चीन के सीमा संबंधी दावे को स्वीकार करें या फिर ज्यादा ब्याज पर लोन लेने के लिए तैयार रहें। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ताईवान जैसे अनेकों देश इस दबाव का शिकार हुए हैं। कोई देश अगर ब्याज ज्यादा होने की वजह से लोन नहीं चुका पाता है तो चीन उस प्रोजेक्ट और जमीन का अधिग्रहण कर लेता है। इसी तरह अभी हाल ही में श्रीलंका ने सामरिक रूप से अहम हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन की सरकारी कंपनी को दे दिया है। हालांकि श्रीलंका की मौजूदा सरकार को चीन के मुकाबले भारत के ज्यादा करीब देखा जाता है, सो भारत की चिंता को दूर करने के लिए श्रीलंका में कहा गया कि बंदरगाह की सुरक्षा हमारी नेवी के हाथ में रहेगी, लेकिन श्रीलंका चीन के बिछाए कर्ज के जाल में फंस चुका है और इसी जाल से निकलने की कोशिश में उसे हंबनटोटा बंदरगाह चीनी हाथों में सौंपना पड़ा।

भारत के साथ भी चीन का सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है। दरअसल पहले चीन की सीमा कहीं भी भारत के साथ नहीं मिलती थी क्योंकि इन दोनों देशों के बीच तिब्बत शताब्दियों से एक ''बफर'' राज्य की भूमिका निभाता रहा था। यही कारण है कि भारत की सीमा या तो तिब्बत के साथ लगती थी या फिर कुछ हद तक पूर्वी तुर्किस्तान के साथ। जब चीन ने तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया तो एक छोटे से भू–भाग में वह भारत की एक छोटी–सी सीमा पर आ उपस्थित हुआ और तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तो भारत में पश्चिमी राज्यों जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्व में सिक्कम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ लगती सीमा लगभग 3500 किलोमीटर तक हो गई।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में सबसे पुराना एवं प्रमुख मुद्दा है अक्साई चिन का। अक्साई चिन, चीन, पाकिस्तान और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर–पश्चिम में कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे स्थित है। ऐतिहासिक रूप से यह भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का जरिया था। भारत से तुर्किस्तान का व्यापार मार्ग लद्दाख और अक्साई चिन के रास्ते से होते हुए काश्गर शहर जाया करता था। अक्साई चिन जम्मू–कश्मीर के कुल क्षेत्रफल के पांचवे भाग के बराबर है। यह भारत के जम्मू–कश्मीर राज्य का उत्तर–पूर्वी हिस्सा है, जबकि चीन ने इसे प्रशासनिक रूप से शिनजियांग (तुर्किस्तान पर कब्जे के बाद स्थापित) प्रांत के काश्गर विभाग के कार्गिलिक जिले का हिस्सा बनाया है। चीन ने 1950 के दशक में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। दरअसल भारत तब से ही चीन की चालाकी का शिकार होता रहा है। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच 'पंचशील समझौता' हुआ जिसमें शांति के साथ रहने और दोस्ताना संबंध की बात कही गयी थी। इस समझौते की प्रस्तावना में इन पाँच बातों का उल्लेख किया गया थाः क) एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुत्ता का सम्मान, ख) एक दूसरे पर आक्रमण न करना, ग) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, घ) सामान और परस्पर लाभकारी संबंध, तथा ङ) शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व। शुरुआती दौर में इस

समझौते के बाद हिंदी–चीनी, भाई–भाई के नारे लगाये जाने लगे और ऐसा लग रहा था कि दुनिया की दो बड़ी सभ्यताओं ने साथ रहने की नई मिसाल पेश की है। परंतु इस समझौते की आड़ में चीन ने भारत को तीन तगड़े झटके दिये। पहला, भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया, दूसरा सितम्बर 1957 में चीन के सरकारी अखबार 'पीपुल्स डेली' में एक खबर छपी कि चीन के शिनजियांग से तिब्बत तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से बन चुकी है। शिनजियांग से तिब्बत जाने वाली सड़क अक्साई चिन से होकर जाती है और इस तरह शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की आड़ में चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। 'पंचशील समझौता' की वैधता आठ साल की थी और यह वैधता खत्म होते ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, इसमें भारत को हार का मुँह देखना पड़ा।

भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के समाधान हेतु वार्ताएं भी काफी समय पहले से चल रहीं हैं, परंतु ये देश अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये हैं। सच्चाई यह है कि इन वार्ताओं के निष्फल रहने के लिए काफी हद तक चीन जिम्मेदार है क्योंकि उसके द्वारा गलत तरीके से जम्मू–कश्मीर के पाँचवें भाग पर किए गए कब्जे को वह वार्ता का विषय नहीं बनाना चाहता है। इसके विपरीत, वह तवांग घाटी, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण गलियारा है, को अपने भू–भाग में शामिल करने के लिए भारत से अपनी सीमाओं के पुनःसीमांकन की माँग कर रहा है। चीन निःसंकोच इस नियम पर चल रहा है कि जो कुछ उसने कब्जा लिया है उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, पर जिन क्षेत्रों पर उसका दावा है केवल उसी के संबंध में वार्ता की जा सकती है। चीन अरुणाचल प्रदेश का अस्तित्व नहीं मानता है, वह इसे दक्षिण तिब्बत मानता है। उसका मानना है कि अगर पूरा प्रदेश न सही तो तवांग इलाका उसे सौंप दिया जाए। वह भारतीय नेताओं की अरुणाचल यात्रा चर ऐतराज जताता रहता है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षामंत्री के दौरों के साथ–साथ चीन ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा पर भी भारत से अपना ऐजराज जताया था। अप्रैल 2017 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा के विरोध में तो चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम ही बदल दिये थे। तब चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा, 'चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुरूप 14 अप्रैल 2017 को 'दक्षिण तिब्बत', जिसे भारत 'अरुणाचल प्रदेश' कहता है, की छह जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और रोमन वर्णों में मानकीकृत कर दिए हैं। तब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कंग ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के चीनी नामों का मानकीकरण 'वैध कार्रवाई' है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की गतिविधियां भारत सरकार की चीन को लेकर की गई प्रतिबद्धता के खिलाफ है। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे की पुष्टि करना है।

चीन 'मैकमोहन रेखा' को मानने से भी इनकार करता है। भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा को 'मैकमोहन रेखा' के नाम से जाना जाता है। यह अस्तित्व में 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी और इस सीमा रेखा का नाम तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर हैनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तब सीमा विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कई दिनों के विचार–विमर्श के बाद तीनों देशों ने एक संधि का प्रारूप तैयार किया। उसके अनुसार चीन के सीमा के साथ लगते अमदों एवं खम क्षेत्र के कुछ हिस्से चीन को दिये जाने थे तथा भारत और तिब्बत की शताब्दियों से चली आ रही सीमा रेखा पर मोहर लगानी थी। लेकिन चीन इस संधि को स्वीकरने में हिचकिचाहट दिखा रहा था और बातचीत को लंबा खींचने का प्रयास कर रहा था। तब यह निर्णय हुआ कि तिब्बत और चीन के बीच की सीमा की समस्या दोनों देश सुलझाते रहेंगे लेकिन जहाँ तक भारत और तिब्बत का प्रश्न है, ये दोनों देश आपस में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इस स्थिति में भारत और तिब्बत ने आपस में एक संधि की और दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही सीमा रेखा को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। अब चीन 1914 के शिमला समझौते को मानने से इनकार करता है जबकि 1914 में शिमला समझौते से पहले हुई कॉन्फ्रेंस में तीन संप्रभुत्ता सम्पन्न राष्ट्रों भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चीन के आधिकारिक मानचित्रों में मैकमोहन रेखा के दक्षिण में 56 हजार वर्ग मील के क्षेत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। 1962 के भारत–चीन युद्ध के समय

चीनी फौजों ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार भी जमा लिया था। इस कारण ही अभी तक इस सीमा रेखा पर विवाद बना हुआ है।

चीन के अड़ियल रवैये के पीछे मुख्यतः दो कारण नजर आते हैं। पहला, आर्थिक और सैन्य ताकत के तौर पर उभार ने उसे आक्रामक विदेश नीति अपनाने को प्रेरित किया है। दूसरे, तिब्बत में ढाँचागत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही चीन ने भारत के खिलाफ तेजी से सेना की तैनाती की क्षमता हासिल कर ली हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आगे भी चीन और भारत के संबंधों में कुछ तनाव दिखाई दिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सीमा में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ की 500 से अधिक वारदातें हुई हैं। 1987 में चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के समडोरोंग चो घाटी में घुस आए थे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी उनके सामने मोर्चा खोल दिया। यह गतिरोध लंबे समय तक चला और आखिरकार 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने बीजिंग का दौरा किया और तब जाकर हालात धीरे–धीरे सामान्य हुए। इसके बाद 1993 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने भारत–चीन के बीच शांति समझौता किया। इस समझौते में लिखा हुआ है कि दोनों देश ताकत का इस्तेमाल किए बिना सीमा से जुड़े हर विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालेंगे। इसे आधार मानते हुए पिछले 24 साल से दोनों देश सीमा पर विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करते आ रहे हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय सैनिकों द्वारा कभी भी चीन की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया गया जबकि चीन के सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल के दिनों में चीन के सैनिकों ने जुलाई 2017 में उत्तराखंड के चमोली जिले के बाड़ाहोती, अगस्त 2017 में लद्दाख में पेंगॉन्ग झील के पास तथा दिसम्बर 2017 में अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग इलाके में घुसपैठ की। तूतिंग इलाके में तो चीन के सैनिक सड़क निर्माण सामग्री के साथ करीब एक किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। 28 दिसम्बर 2017 को भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बाद चीन के सैनिक अपने उपकरण वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि ये उपकरण बाद में उन्हें लौटा दिये गये। भारत की ओर से इस घटना को लेकर चीन के सामने चिंता जताये जाने पर चीन ने कहा कि उसके सड़क निर्माण दल ने गलती से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी।

परंतु चीन की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल में घुसपैठ करना उसकी आदत बन चुकी है। 28 अगस्त 2017 को डोकलाम विवाद सुलझने के चंद महीनों बाद ही चीन ने उस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरु कर दिया है तथा वह चारों ओर से भारत को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उसके संबंध जगजाहिर हैं ही। पाकिस्तान में रह रहे आंतकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्तावों को चीन वीटो के माध्यम से पास नहीं होने दे रहा है, साथ ही भारत के परमाणु आपूतिकर्ता समूह (एनएसजी) में प्रवेश को भी बाधित कर रहा है। पाकिस्तान के बाद मालदीव दक्षिण एशिया में दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चीन के साथ स्वंतत्र व्यापार समझौता किया है। यही नहीं, मालदीव को कर्ज का तीन–चौथाई हिस्सा चीन से मिला है तथा अपुष्ट सूत्रों के अनुसार चीन मालदीव के 17 द्वीपों में निवेश करने जा रहा है। नेपाल में चीन–समर्थक सरकार का रास्ता तय हो चुका है, वहाँ पर भी चीन ने अपना निवेश बढ़ा दिया है और भौगोलिक दूरियों को मिटाने के लिए रेल लिंक की भी बात चल रही है।

यह देखते हुए कि सीमा संबंधी विवादों का समाधान चीन अपनी शर्तों पर करवाने के चक्कर में समझौतों का उल्लंघन करता रहता है, चीन की चिकनी–चुपड़ी बातों पर आँख मूँदकर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत को ज्यादा यथार्थवादी, नवीनीकृत एवं कारगर सोच अपनानी होगी। भारत को आक्रामक कूटनीति अपनाने के साथ ही दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मध्य–पूर्व एवं अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध और बेहतर बनाने तथा अमेरिका, जापान एवं आस्ट्रेलिया जैसे मित्र देशों के साथ सामरिक गठजोड़ को और मजबूत बनाने की जरूरत है। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण 73 प्रस्तावित सड़कों में से पिछले 15 सालों में महज 27 सड़कें बनायी गयी हैं और 14 रेल लाइनों का निर्माण कार्य आज तक शुरु नहीं हुआ है। चीन की किसी भी चाल का सामना करने के लिए ये निर्माण कार्य शीघ्र शुरु किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, सेना का आवागमन सुगम बनाने के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण दर्रों को शीघ्र ही बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने की भी अत्यंत आवश्यकता है।

स्वच्छ भारतः एक कदम स्वच्छता की ओर

राजेश कुमार कर्ण*

भारतीय संस्कृति में देवत्व के बाद स्वच्छता को ही स्थान दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता का पालन ईश्वर भक्ति के बराबर है। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, लेकिन वे सिर्फ आजाद भारत ही नहीं चाहते थे, वह एक स्वच्छ भारत भी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आजादी से पहले 'क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया' का नारा दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वराज्य प्राप्ति के लिए अर्पित किया तथा आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर भारत को गुलामी से मुक्त कराया। किंतु आजादी के बाद दुर्भाग्य से गांधीजी के स्वप्न को भुला दिया गया। विदेशी गुलामी से आजादी तो हमें 70 वर्ष पहले मिल गई थी, लेकिन देश को स्वच्छ बनाने का उनका संकल्प अभी पूरा होना बाकी है। इन वर्षों में इतनी प्रगति के वावजूद विश्व में हम गंदगी के लिए जाने जाते रहे हैं। खुले में शौच, घर का कचरा सड़क पर फेंकना आम दृश्य हैं। इससे दुनिया के सामने देश की छवि खराब होती है जबकि हम उसी दुनिया से निवेश मांगते हैं और उसी के बीच अपना बेहतर मुकाम भी चाहते हैं। साथ ही, गंदगी से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य एवं आर्थिक सम्पन्नता को चोट पहुंचाती हैं इसलिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। भारत में इस छवि को जनांदोलन के जरिए ही सुधारा जा सकता है।

साफ–सफाई को लेकर दुनियाभर में भारत की छवि बदलने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बहुत गंभीर हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के महत्व को स्वीकार किया है और इसे अपना एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनाया है। स्वच्छता एवं साफ–सफाई के प्रति जागरूकता सृजित कर देश को साफ–सुथरा एवं गंदगी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छ भारत अभियान' का शुभारंभ प्रधान मंत्री जी ने नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में 2 अक्तूबर, 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर झाड़ू लगाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने गांधीजी को याद करते हुए कहा कि गांधी जी ने साफ–सुथरे देश का सपना देखा था लिहाजा देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसमें अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि यदि देश की जनता यह संकल्प ले तो साफ और स्वच्छ भारत हकीकत बनकर उभरेगा। हालांकि 2 अक्तूबर, 2014 को इसकी औपचारिक शुरूआत से पहले ही उन्होंने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले से भाषण के दौरान इस तरफ इशारा किया था कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश को गंदगी मुक्त भारत बनाना उनका सपना है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत एक शपथ पत्र के साथ हुई जिसमें लोगों ने सफाई की शपथ ली– ''मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूंगा।'' बाद में इसमें केन्द्रीय कर्मचारियों को भी जोड़ा गया। इसी दिन उन्होंने कुछ चर्चित लोगों को नामांकित किया। इसके बाद उन्होंने दो बार पुनः कुछ चर्चित लोगों को नामांकित किया। इन हस्तियों से यह अपेक्षा की गई कि वे नौ अन्य लोगों को निमंत्रित करें और इस तरह स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध लोगों की एक लम्बी कतार बन जाए। यदि श्रमदान की परंपरा कायम रही, तो तय है कि देश की सेहत संबंधी कई समस्याएं खुद–ब–खुद सुलझ जाएंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस अभियान में आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वस्तुतः स्वच्छता सामाजिक उत्थान का विषय है। यह संतोष की बात है कि हमारे राजनेता, अभिनेता एवं आम जनता सब लोग जाति–धर्म व वैचारिक मतभेद से ऊपर उठकर इस मिशन को अपना मिशन मान रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने स्वर्ण मंदिर, अमृतसर; अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर; सीएसटी, मुम्बई; कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी; मणिकर्णिका घाट, वाराणसी; मीनाक्षी मंदिर, मदुरै; वैष्णो देवी मंदिर, कटरा; जगन्नाथ मंदिर, पुरी; ताजमहल, आगरा; और तिरुमाला मंदिर, तिरूपति को चिन्हित किया है जिन्हें पहले चरण में पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। दूसरे चरण में भी ऐसे 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है।

देश में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयास का असर अब दिखने लगा है। स्वच्छता को लेकर समाज में सकारात्मक माहौल बना है। सफाई देश के एजेंडे पर आ गई है। इस अभियान में सबसे ज्यादा जोर शौचालय के निर्माण

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

पर दिया गया है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली जरूरत है। इसी पर बल देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को काफी सक्रिय किया जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 6.5 करोड़ शौचालय बनाए गए, जबकि वर्ष 1947 में आजादी से वर्ष 2014 तक के दौरान 6.5 करोड़ शौचालय ही बने थे, अर्थात दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। देश में स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 39% से बढ़कर आज लगभग 80% हो गई है। यह बढ़ोतरी भी दोगुना से ज्यादा है। इससे काम के स्केल और रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। नमामि गंगे योजना के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए 4464 गांवों सहित लगभग 3 लाख 4 हजार गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 287 जिले और 7 राज्य खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 में कहा गया है कि वर्ष 2014 में खुले में शौच जाने वालों की आबादी 55 करोड़ थी, जो जनवरी 2018 में घटकर 25 करोड़ हो गई है तथा इससे ओडीएफ क्षेत्रों में सकारात्मक स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों में से 85% का इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खासकर ऐसे समाज में जहां अधिसंख्य लोगों को बाहर खुले में शौच जाने की आदत हो। शौचालयों के निर्माण में निर्माण की गुणवत्ता, उन्नत रख–रखाव, सीवेज–प्रबंधन प्रणाली और पानी की उपलब्धता का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है।

यह अभियान शौचालयों के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें कूड़े का निपटारा और स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। नवंबर 2017 तक देश के कुल 82607 वार्डों में से 55913 वार्डों में घर–घर से कूड़ा उठाने का प्रबंध किया गया है। इन वार्डों से 1,45,626 मीट्रिक टन कूड़ा प्रत्येक दिन इकट्ठा किया जाता है। इसमें से मात्र 23% कूड़े की ही इस वक्त प्रोसेसिंग हो पा रही है। कूड़ा अब नए तरह की आफत बन रहा है। सरकार उसके निबटान के लिए तकनीकी व अन्य प्रयास भी कर रही है। किंतु हम कूड़ा–कबाड़ा बढ़ा रहे हैं। दूध की थैलियां; प्लास्टिक के बोतल; मेकअप का सामान; अस्पताल का कूड़ा; पारा, कोबाल्ट आदि अनेक जहरीले रसायन से युक्त बैटरियों, कम्प्यूटर एवं मोबाइल का कूड़ा; बाजार से सामान लाते समय पॉलिथीन की थैलियां लेना; घर में होने वाली पार्टी में डिस्पोजेबल बरतनों का प्रयोग; तथा हर छोटी–बड़ी चीज की पैकिंग, ऐसे ही न जाने कितने तरीके हैं, जिनसे हम कूड़ा–कबाड़ा बढ़ा रहे हैं। जबकि असल में कोशिश तो कचरे को कम करने की होनी चाहिए। इसके लिए

केरल के कन्नूर जिले का उदाहरण सामने है कि जब समाज तथा जिला प्रशासन ने ठान लिया, तो अब वहां न तो पॉलिथीन मिलती है और न ही डिस्पोजेबल बरतन और न ही रीफिल वाले बॉल पेन। एक तथ्य यह भी है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है लेकिन वे कचरे का सही निस्तारण करने में नाकाम हैं। यदि यह नाकामी जारी रही तो शहरों को कचरे के ढ़ेर में तब्दील होने से रोकना मुश्किल होगा। उपयोग की गई वस्तु को रीसाइकल कर लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। इसके अलावा कचरे से वर्मी कम्पोस्ट जैसे प्राकृतिक उर्वरकों का निर्माण किया जा सकता है।

हरेक व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी इस अभियान का एक अहम लक्ष्य है। इसलिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने जब वर्ष 2014 में इस अभियान की शुरूआत की तो इसमें स्वच्छ पेयजल पर भी जोर दिया गया एवं सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम के जरिए अब तक 77% बस्तियों तक रोजाना प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी पहुंचाया गया है। 54% ग्रामीण आबादी को अब नल का पानी मिल रहा है। किंतु पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड की समस्या से करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। हाल ही में जारी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में 6 करोड़ 34 लाख लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यह संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिशा में सुधार जरूर हो रहा है लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। सतत् विकास लक्ष्य में सफाई और स्वच्छ जल की आपूर्ति छठा अहम बिंदु है। भारत सहित पूरी दुनिया को यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक हासिल करना है। इसलिए इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। इस मामले में नालों की साफ–सफाई, कचरा प्रबंधन, जल–शोधन की चुनौती, प्रशिक्षित कर्मचारी का

अभाव, तकनीक और उपकरणों की उपलब्धता के अलावा लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को व्यावहारिक, सांगठनिक और तकनीकी ढ़ांचा तैयार करना चाहिए।

देश को स्वच्छ बनाने के लिए पहले भी कोशिश की गयी थी लेकिन समय के साथ आबादी के बढ़ते बोझ और लोगों में जागरूकता की कमी के चलते इसमें वांछित सफलता नहीं मिली। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान काफी हद तक सफल रहा है। आज गांवों में कई महिलाओं ने अपनी ससुराल में शौचालय बनवाने पर जोर दिया है और इसके लिए डटी रहीं। गांवों में लोग अब खुद आगे आकर शौचालय बनवा रहे हैं। यह परिवर्तन निरंतर प्रचार की देन है। इससे पहले भी भारत में कई सामाजिक बदलाव लंबे प्रचार से ही संभव हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत के साथ ही सरकार, गैर–सरकारी संगठनों और सिलेब्रिटीज द्वारा इस संबंध में प्रचार किए जा रहे हैं, जिनका धीरे–धीरे असर हो रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन का क्लिप, 'दरवाजा बंद तो बीमारी बंद' तथा इस अभियान का सबसे कल्पनाशील विज्ञापन जिसमें अभिनेत्री विद्या बालन महिलाओं के समूह से कहती हैं कि यदि नई दुल्हन खुले में शौच करने जाएगी, तो उसका घर में घुंघट उठाकर रखने में क्या हर्ज है, काफी प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हैं। अक्षय कुमार ने खुले में शौच पर आधारित एक फिल्म बनाई है– 'टॉयलेट–एक प्रेमकथा', जो लोगों को इस मुद्दे पर सोचने के लिए बाध्य करती है। समाज के विभिन्न वर्गों ने आगे आकर स्वच्छता के इस जन अभियान में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पर लगातार जोर दिया है। इन तीन सालों के दौरान अपने अनेक भाषणों में उन्होंने लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। उनके अपील के बाद वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 76 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 'स्वच्छता एक्शन प्लान' के लिए 5247 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। 1 अप्रैल, 2017 को शुरू हुई 'स्वच्छता एक्शन प्लान' की प्रत्येक तीन महीने पर समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय सरकार ने शहरी निकायों में साफ–सफाई को लेकर एक स्वस्थ स्पर्धा विकसित करने के लिए अब तक दो स्वच्छ सर्वेक्षण किए हैं। केन्द्र सरकार की ओर से स्वच्छता सेवाओं में सुधार, बुनियादी ढ़ांचागत विकास, इससे आम नागरिकों का जुड़ाव और जमीनी स्तर पर नजर आने वाले प्रभावों को मापने के लिए देश के सभी 4041 शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 शुरू किया गया है जो 10 मार्च 2018 तक पूरा होगा। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण से लोगों में एक चैलेंज की भावना आती है कि हमारा शहर दूसरों से बेहतर हो, अच्छी रैंकिंग आए। इससे लोगों में सफाई के प्रति जोश बढ़ा है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने के कारण शहरों में साफ–सफाई की प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन कुछ बुनियादी समस्याओं का हल खोजे बगैर स्वच्छता अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता।

अधिकांश शहरों का स्वरूप अनियंत्रित तरीके से बदल रहा है। उन पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ बढ़ने से साफ–सफाई के पारंपरिक तरीके बेकार हो जाते हैं। बेतरतीब ढ़ंग से हुए निर्माण कार्य ने सफाई के पुराने ढ़ांचे को तहस–नहस कर दिया है। इसलिए सबसे पहले एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कूड़ा उठाने, उसकी डंपिंग और रीसाइक्लिंग के लिए नवीनतम तकनीक का इंतजाम करना होगा। देश के लगभग सभी शहरों में कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए उचित गारबेज प्लांट नहीं हैं। गारबेज प्लांट्स को लेकर ज्यादातर शहरों में मामले कोर्ट के विचाराधीन हैं। फिर स्थानीय निकाय की कार्य–संस्कृति को सुधारना होगा। सफाई व्यवस्था तभी चुस्त–दुरूस्त हो सकती है, जब स्थानीय प्रशासन के स्तर पर एक मजबूत कार्य–संस्कृति मौजूद हो। दरअसल, कूड़ेदान की व्यवस्था करने, कूड़ा उठाने, उसकी डंपिंग और रीसाइक्लिंग करने का काम नगर निकायों का है। इसमें ढ़ीलापन रहने से आम नागरिकों की कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिए इन निगमों को चुस्त–दुरूस्त होना होगा। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए सरकारी तौर पर खर्च होते हैं फिर भी न जाने कितने बच्चों का जीवन कचरा बीनते हुए ही खत्म हो जाता है।

हर शहर में सफाईकर्मियों की संख्या जरूरत से कम है। उनके पास पूरे सुरक्षा उपकरण तक नहीं हैं। मेनहोल की सफाई के लिए उन्हें मौत के कुएं में धकेल दिया जाता है जबकि विकसित देशों में यह काम मशीन करती है। वर्ष 1993 में एक कानून के जरिए सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को अवैध बनाया गया। यही नहीं, वर्ष 2013 में इस कानून में संशोधन कर सीवर और सेप्टिक टंकियों की सफाई को मैला ढ़ोने के समान मानकर अवैध घोषित किया गया। इसके बावजूद ये दोनों चीजें आज भी कहीं न कहीं कायम हैं।

श्रम कानूनों को ताक पर रखकर सफाई के कार्य को ठेकेदारी प्रथा के हवाले कर दिया गया है। रोजगार के नाम पर सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा की चक्की में पिस रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा इनका जमकर शोषण किया जा रहा है। न इनके कार्य की कोई समय–सीमा निर्धारित है, न ही उचित वेतन और न ही अवकाश की व्यवस्था है, न इलाज का प्रबंध और न ही कोई भविष्य निधि आदि की कटौती जबकि स्वच्छता अभियान के असली नायक वे ही

हैं। सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का तकाजा है कि सफाई कर्मचारियों को सम्मान से देखा जाए एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उनके हित में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास जैसे कल्याणकारी योजनाएं न सिर्फ बनाई जाएं बल्कि उन्हें सुचारू रूप से लागू किया जाए। देश को साफ करने के लिए हमें उन लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा जिन्होंने जीवनभर पूरे देश की सफाई की है। साथ ही, एक बड़ी आबादी शौचालय नहीं बनवा सकती क्योंकि उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल है। इसका गहरा रिश्ता अशिक्षा तथा गरीबी से है। इसका भी हल ढूंढा जाना जरूरी है। प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण के साथ–साथ लोगों को उनके इस्तेमाल के प्रति भी जागरूक करना होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारें स्वच्छता के लिए लगातार कोशिशें करती रहीं हैं। कई गैर–सरकारी संस्थाएं भी सफाई अभियान में जुटी हैं, लेकिन ये सभी प्रयास अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं क्योंकि अधिसंख्य लोग मात्र अपने घर को साफ करते हैं लेकिन अन्य सार्वजनिक जगहों पर साफ–सफाई के मामले में उदासीन रहते हैं। गांव, कस्बे या शहरों की गलियां आज भी गंदगी उजागर करती हैं। स्वच्छता को प्राथमिकता देना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ठीक ही कहा करते थे कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। गंदगी हर वर्ष लाखों लोगों के प्राण हर लेती है। स्वच्छता के अभाव में मलेरिया, डायरिया, एनीमिया, हैजा, डेंगू और हेपेटाइटिस जैसी 15 गंभीर बीमारियां भारतवासियों पर कहर बरपा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर साल मानव मल जनित बीमारियों से 50 लाख लोगों की मौत हो जाती हैं जिसमें एक–चौथाई भारतीय हैं तथा इनमें पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या अधिक होती है। सोचा जा सकता है कि खुले में शौच कितना घातक है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष हमारे देश में 11 महीने तक की उम्र के एक लाख बच्चे गंदगी की वजह से अकाल काल के गाल में समा जाते हैं। इनमें से कई बच्चे तो अपने जीवन का पहला महीना भी पूरा नहीं कर पाते, जिनको बचाया जा सकता है। स्वच्छता महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में सुधार करता है जो कि किसी देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। खुले में शौच से मुक्ति से महिलाओं को अपमान से मुक्ति मिलेगी तथा उनका सशक्तीकरण होगा।

वस्तुतः स्वच्छता की कमी से होने वाला नुकसान उससे कहीं ज्यादा है, जितना यह ऊपर से नजर आता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार मुख्यतः स्वच्छता की कमी के कारण भारत के 40% बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। हमारी भावी कार्यशक्ति का इतना बड़ा हिस्सा अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता ही हासिल न कर सके, यह हमारी युवा शक्ति, हमारे जनसंख्या बल के लिए एक गंभीर खतरा है। इस समस्या के समाधान से आर्थिक महाशक्ति बनने का हमारा सपना साकार हो सकता है। वर्ल्ड बैंक का भी अनुमान है कि स्वच्छता के अभाव से भारत को उसकी जीडीपी के 6% का नुकसान होता है।

प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक को सालाना औसतन 6500 रुपए का नुकसान बीमारियों के कारण होता है। उन्होंने कहा कि यदि संपन्न लोगों को इससे हटा दिया जाए तो गरीबों पर सालाना 12–13 हजार रुपए का बोझ केवल गंदगी के कारण होता है। इस तरह देखा जाए तो हम स्वच्छ रहकर इस आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार खुले में शौच से मुक्त गांव में हरेक परिवार प्रतिवर्ष 50000 रुपए की बचत करता है। यह बचत दवाओं पर होने वाले खर्च में आई कमी तथा समय व जीवन बचने से हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त समुचित ठोस व द्रव कचरा प्रबंधन से अच्छी मात्रा में धन प्राप्ति की भी संभावना है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि स्वच्छता से होने वाला प्रति परिवार आर्थिक लाभ 10 वर्षों के समेकित निवेश (सरकारी तथा अन्य स्रोतों द्वारा किए गए खर्च तथा परिवार द्वारा लगाए गए पैसे) का 4.7 गुना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छता उम्मीद से ज्यादा फायदा देने वाला निवेश है। स्वच्छ भारत अभियान पर केन्द्र और राज्य सरकारें इन पांच वर्षों (2014–19) में 20 अरब डॉलर खर्च करने वाली हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र, विकास एजेंसियों, धार्मिक संगठनों और नागरिकों की ओर से भी इसके लिए काफी धनराशि आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत योगदान माता अमृतानंदमयी का रहा है। कई निजी कंपनियां अपने सीएसआर फंड से स्कूलों में सफाई की व्यवस्था कर रही हैं। हालांकि इसमें अब भी निजी निवेश की रचनात्मकता और नवाचार के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने–अपने क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इस पर उत्तरोत्तर ज्यादा धनराशि खर्च कर रहे हैं।

कुल मिलाकर वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी आवश्यकता है। बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति

का कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा। औद्योगिकीकरण के विस्तार के कारण प्रदूषण से गंभीर चुनौती मिल रही है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में साफ–सफाई को एक मुहिम एवं संकल्प की तरह शामिल करने की जरूरत है ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। भारत जहां महाशक्ति बनने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है, वहां खुले में शौच के चलन, गंदगी एवं प्रदूषण को खत्म करना बेहद जरूरी है। यह संतोषजनक है कि साफ–सफाई के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। जगह–जगह सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं एवं कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान रखे गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 तक देश को साफ–सुथरा एवं खुले में शौच से मुक्त बनाने की एक सार्थक एवं क्रांतिकारी पहल की है। इस अभियान के प्रति जनसाधारण को जागरूक करने के लिए सरकार समाचार–पत्रों, विज्ञापनों के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। केन्द्र सरकार के प्रयासों से यह आभास हो रहा है कि सरकार इस अभियान को वर्ष 2019 तक पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। शायद ही कोई ऐसा मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री जी देशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए दो शब्द नहीं बोले होंगे। 2 अक्तूबर, 2017 को गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने ठीक ही कहा था कि ''जनभागीदारी के बिना गंदगी से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। सरकारें चाहे कुछ भी कर लें, हजार महात्मा गांधी आएं, एक लाख नरेन्द्र मोदी आ जाएं और सभी मुख्यमंत्री एवं सरकारें मिल जाएं तो भी स्वच्छता का सपना पूरा नहीं हो सकता। मगर देश के सवा सौ करोड़ जनता इस मिशन के साथ खड़ी हो जाए तो स्वच्छता का सपना साकार हो जाएगा।''

एक आवश्यक लक्ष्य निर्धारित कर सरकार, जनता और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान एक जन–आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जैसे–जैसे समय बीत रहा है, लोग इस आंदोलन से अपने–आप जुड़ते चले जा रहे हैं। तीन साल पहले तक देश में स्वच्छता के प्रति ऐसा माहौल नहीं दिखाई पड़ता था जैसा आज दिखने लगा है। कई सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि अब आम जनता भी यह मानने लगी है कि स्वच्छ भारत अभियान के बाद उनके आसपास अब ज्यादा साफ–सफाई नजर आने लगी है। इससे प्रतीत होने लगा है कि आखिरकार गांधीजी का स्वच्छ भारत का सपना साकार हो रहा है। हालांकि अभी भी दिल्ली दूर है लेकिन इस दिशा में हुई प्रगति की सराहना की जानी चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले डेढ़ वर्ष में इसे और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मान्यता मिल रही है। दुनिया के स्वच्छतम शहरों में सार्वजनिक सफाई तीन बातों पर निर्भर करती हैं– साफ और स्वास्थ्यकर शौचालयों का नेटवर्क जिनमें

पानी तथा हाथ धोने–सुखाने की व्यवस्था हो; निश्चित दूरी पर डस्टबिन तथा रोज कूड़ा उठाने की व्यवस्था; और सार्वजनिक स्थलों को गंदा करने पर जुर्माने का प्रावधान। हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बार–बार बताया है कि खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है, यह सभी का साझा सरोकार है।

वस्तुतः स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य तथा सम्मान से है। सबसे बड़ी बात स्वच्छता को हमें जीवन–पद्धति का एक हिस्सा बनाना होगा। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और इसीलिए वे देश की भावी पीढ़ी माने जाते हैं। यदि बचपन में ही उनमें स्वच्छता के प्रति आग्रह का भाव पैदा कर दिए जाएं तो बड़े होने पर वे एक सजग नागरिक की भूमिका बखूबी अदा कर सकते हैं। बच्चे स्वच्छ भारत अभियान के जरिए परिवर्तन के दूत बन सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सभी देशवासी इस अभियान से जुड़ कर इसे सफल बनाएं। इसके लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। मानसिकता एवं आदत में बदलाव करना हालांकि आसान नहीं होता है लेकिन यदि हम ठान लें तो यह बहुत मुश्किल भी नहीं है। सोच एवं आदत बदलकर हम अपना घर और देश दोनों को स्वच्छ बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यदि हम कम–से–कम खर्च में अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं, तो क्या हम स्वच्छ भारत का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? निश्चय ही, हम यह कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान आम जनता की सोच में रच–बस चुका है। इसमें हर कोई शामिल है। यह जनता का अभियान है और जनता के लिए है। हमें मातृभूमि की स्वच्छता के लिए स्वयं को समर्पित कर गांधी जी के सपने को पूरा करना होगा, तभी हमारी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयन्ती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने–अपने स्तर पर जिम्मेदार हो जाए तो फिर अपने आप स्वच्छता समाज का एक स्वीकृत मूल्य बन जाएगी। उम्मीद है, यह कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा अभियान साबित होगा, जो उस स्वच्छ और स्वस्थ भारत की बुनियाद रखेगा, जिसके हम हकदार हैं।

सामाजिक सुरक्षा एक अधिकार के रूप में

डॉ. शशि तोमर*

प्रस्तावना

भारतीय समाज में सामाजिक सुरक्षा कोई नयी परिकल्पना नही है। सदियों से समाज में प्रत्येक व्यक्ति के समाज के अनुरूप विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेकों संहिताओं और नीति नियमों का प्रावधान किया गया। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति और शुक्र नीति, पुराणों और आदिग्रंथों (वेदों) में व्यक्ति के समाज में समुचित विकास और समावेश के बारे में अनेकों कोड विख्यात हैं। भारतीय प्रार्थनाओं में प्रयुक्त कुछ इन श्लोकों से इसे आसानी से समझा जा सकता है–

हे ईश सब सुखी हों कोई ना हो दुखारी,
सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भण्डारी।
सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों,
दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।

इस प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति भगवान से विनय करते हुए कहता है कि हे प्रभु! सबको वो सब कुछ दो जिससे सबकी मौलिक आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सकें। अन्यथा समाज में व्यापक अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। हर तरफ चोरी, डकैती, षडयंत्र, ईर्ष्या, द्वेष, आदि फैल जाएगा। चारों तरफ मारा–मारी फैल जाएगी। किसी भी सभ्यता के विकसित होने की पहचान भी इसी बात से लगाई जाती है कि उस समाज में कितनी शान्ति है। परेशानियाँ आना तो सृष्टि का नियम है, किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि उन परेशानियों पर कितनी जल्दी काबू पा लिया जाता है। उसके नागरिको को कितनी और किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

हमारी सभ्यता की यह विशेषता रही है कि इसमें छोट–बडे, प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए सदियों से उचित प्रबन्ध किए जाते रहे हैं। प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाल बनाने के लिए समुचित प्रावधान रहे हैं। फलस्वरूप यहाँ की सभ्यता, खुशहाली और समृद्धि ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। छोटे–छोटे राज्यों में बँटे लोग भी नैतिक शिक्षा, व्यवहारकुशलता, शिल्पकला और परम्परागत कार्यों में पूरी तरह निपुण हुआ करते थे। यह कोई प्राकृतिक चमत्कार नही था बल्कि प्रत्येक शिल्प का ज्ञान और जीवन के प्रति भी एक विशेष दृष्टिकोण का सुनियोजित ढंग से समावेश बड़ी महत्वपूर्ण खूबी थी। हमारी इन परम्पराओं का अनेकों देशी और विदेशी लेखकों ने बहुत विस्तार से और बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है।

यह भी वर्णन मिलते हैं कि यह कोई चमत्कार नही था बल्कि प्रत्येक शिल्प का ज्ञान परम्परागत तरीके से आगे बढाने के लिए एवं जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण के प्रत्येक नागरिक में विकास के लिए बड़े ही सुनियोजित ढंग से व्यवस्था विकसित की गयी थी, जो कि नौवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक अपने चरम पर रही थी। किन्तु विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों ने हमारे अकूत खजाने पर ही डाका नही डाला, बल्कि सदियों से चली आ रही हमारी परम्परागत व्यवहारिक, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को भी नष्ट–भ्रष्ट करना आरम्भ कर दिया। यहाँ से मेहनती और बलिष्ठ व्यक्तियों को विदेशी आक्रांता गुलाम बनाकर ले जाने लगे और उनके मानवीय अधिकार छीनकर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने की निकृष्टतम परम्पराएं शुरू हुईं। यह परम्पराएं विदेशियों के देश में बढते प्रभाव के साथ भयावह होती गयीं और पुनर्जागरण काल तक आते आते शोषण का स्तर बहुत बढ गया।

भारतीय समाज में एक ओर जहाँ व्यक्ति को एक समाजोपयोगी, परिवारोपयोगी और परिपक्व व्यक्ति बनाने के लिए अनेकों संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण देकर समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्तियों के शमन का प्रयास किया जाता था, वहीं दूसरी ओर जीवन यापन सम्बन्धी ज्ञान देकर समाज में उसके योगदान को भी सुनिश्चित किया जाता था। वहीं दूसरी और औद्योगिक विकास के फलस्वरूप परिवार से दूर हुए व्यक्तियों के भरपूर शोषण और दोहन की प्रक्रियाएं शुरू हो गयी थीं। समय के साथ–साथ औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों की दशाएं बहुत दयनीय हो गयीं। अपने घरों से विस्थापित हुए फैक्टरी कामगारों को काम के बदले कई बार खाने के लिए भरपेट खाना भी नही दिया जाता था। कोई बीमारी या दुर्घटना होने पर उन्हें मरने के लिए छोड दिया जाता, उठाकर फैक्टरियों से बाहर फेंक दिया जाता। ऐसी घटनाओं से श्रमिको के बीच असंतोष बढने लगा और उसी असंतोष से आधुनिक सामाजिक सुरक्षा के बीज निकले। हमारे समाज ने कई सदियाँ विदेशी

* रिसर्च एसोशिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

शासन के कब्जे में गुजारी हैं। उत्पीड़न और शोषण का एक भयंकर और लम्बा दौर यहाँ के जनमानस ने जिया है। किन्तु अगर सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा की बात करें तो हमारे समाज ने दुनिया को एक ऐसी परिकल्पना दी जोकि बेजोड़ है। इसके अनुसार, ''सामाजिक सुरक्षा केवल बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी, आकस्मिक आपदा आदि में ही आवश्यक नही है बल्कि व्यक्ति के जन्म से लेकर एक वयस्क व्यक्ति बनने तक उसके समन्वित विकास, पोषण, समुचित रोजगार, आदि को सुनिश्चित कर समाज में उसके योगदान को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया का नाम सामाजिक सुरक्षा है।''

हमारे समाज में यह विश्वास है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति में अनेकों आंतरिक एवं बाह्य योग्यताएं होती हैं। इनका समुचित विकास व्यक्ति स्वयं नही कर सकता, समाज को उनके इस समुचित विकास में अपना योगदान देना ही पड़ता है। इसलिए गुरूकुलों, विश्वविद्यालयों की परिकल्पना हुई और ये संस्थान समाज के अति महत्वपूर्ण संस्थानों में शुमार हुए। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा भारतीय दर्शन के विचार से व्यक्ति के समुचित विकास के लिए, उसके जन्म से लेकर उसके एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक संसाधनों, संस्थाओं, रीति–नीतियों, प्रक्रियाओं आदि का नाम है जो एक बिल्कुल अनजान, अनभिज्ञ व्यक्ति को विकसित कर उसे स्वयं एवं समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति में परिवर्तित कर देती है। एक व्यक्ति को समाज में आत्मसात होने में सहायता करती है। उसकी प्रत्येक दुख–तकलीफ से उबरने में सहायता करती है। आर्थिक परेशानियाँ व्यक्ति के विकास में बाधक बनती हैं, व्यक्ति अपने उत्कर्ष तक न पहुँचे, इसके लिए व्यवस्था करती हैं। अतएव सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है–

''सामाजिक सुरक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संकटों में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है।'' वास्तव में यही राजनीति के महान उद्देश्यों में सर्वोत्तम एवं सर्वोपरि भी है।

अगर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर गौर किया जाए तो सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को व्यक्ति के अत्यधिक महत्वपूर्ण मानवाधिकारों के रूप में निर्धारित मानव अधिकारों की घोषणा में प्रमुख स्थान दिया गया है। जिसे 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया था और यह घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक संसाधनों द्वारा उसके अधिकारों को, गरिमापूर्ण ढंग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के निःशुल्क विकास को सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए यूएनओ के प्रत्येक सदस्य देश को आम जनता के इस मूल अधिकार को बढावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। वास्तव में यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने भी सामाजिक सुरक्षा को मानवाधिकार के तौर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईएलओ ने इसे सार्वभौमिक स्वीकार्य सिद्धान्तों के रूप में विकसित करने और सामाजिक सुरक्षा के मानक तौर पर स्थापित करने में बडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईएलओ संविधान द्वारा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गयी। 1952 में आईएलओ ने सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अपने 102वे सम्मेलन में स्वीकृत की। आईएलओ यह सुरक्षा नौ वर्गों के लिए प्रदान करता है जैसे कि:

(1) चिकित्सा देखभाल;
(2) बीमारी में लाभ;
(3) रोजगार लाभ;
(4) वृद्धावस्था लाभ;
(5) रोजगार चोट के लाभ;
(6) पारिवारिक लाभ;
(7) मातृत्व लाभ;
(8) अपंगता सुरक्षा लाभ; और
(9) उत्तरजीवी लाभ;

उपर्युक्त सम्मेलन में यह कहा गया कि सदस्य देश जो इस का अनुमोदन करना चाहते हैं, वे अपने देश में उपरोक्त नौ में से तीन लाभ अवश्य प्रदान करें। जिनमें नं. तीन रोजगार लाभ, नं. चार वृद्धावस्था लाभ/नं. पाँच रोजगार चोट के लाभ या नं. आठ अपंगता सुरक्षा लाभ अवश्यंभावी घटकों में होने चाहिए। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा लिए गये सामाजिक सुरक्षा संकल्प यह व्यवस्था करते हैं कि मानव सुरक्षा के रूप में सामाजिक सुरक्षा के प्रबन्ध किए जाने चाहिए जो कि सामाजिक समन्वय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को बढावा देने का एक साधन है। विदित हो कि हमारे देश ने अभी तक इस कन्वेंशन को लागू नही किया है।

ग्रामीण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता को भी इसके प्रारम्भ से ही अंतर्राष्ट्रीय

श्रम संगठन ने स्वीकार किया था। 1921 में बीमारी बीमा (कृषि) सम्मेलन, 1933 में न्यूनतम आयु (कृषि) सम्मेलन, 1921 में छुट्टियाँ और भुगतान (कृषि) सम्मेलन, 1952 में श्रम और निरीक्षण (कृषि) सम्मेलन, आईएलओ कन्वेंशन 1969 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्रदान की गयी। हालाँकि भारत ने इनमें से किसी भी सम्मेलन के संकल्पों की पुष्टि नही की है।

उपर्युक्त सम्मेलनों से काफी अलग आईएलओ के कन्वेंशन संख्या 177 के अनुसार गृह आधारित कार्य पर अनुच्छेद 4, गृहकार्य पर आधारित श्रमिकों के लिए समानता को बढावा देने को भी शामिल किया गया है। जिसमें उन्हें संगठित होने का अधिकार, भेदभाव से संरक्षण, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण आदि तक पहुँच आसानी से बनाई जा सके। आयोग का मानना है कि उनके सम्मेलन का समर्थन लाखों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा।

इससे पहले 23 जून 1965 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आइएलसी) ने घरेलू कामगारों के रोजगार की शर्तों से सम्बन्धित एक और संकल्प पास किया। यह न्यूनतम जीवनयापन के लिए जरूरी मानकों को स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण पहल थी। संकल्प के अनुसार सामाजिक सुरक्षा, ''व्यक्ति के सम्मान और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अवश्यम्भावी और विकास के अनुरूप है। साथ ही यह सामाजिक न्याय के लिए जरूरी भी है।''

1987 में आईएलओ के महानिदेशक ने ''अनौपचारिक क्षेत्र की दुविधा'' पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें उन्होंने इसे क्षेत्र की भूमिका को रोजगार के प्रचार के लिए भेजा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कानूनों की अनुपस्थिति और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानकों के आवेदन के दायरे का उल्लेख किया।

1996 में आईएलओ ने यूएनडीपी की तकनीकी सहायता सेवा के तहत भारत में असंगठित क्षेत्र के सामाजिक संरक्षण का एक अध्ययन किया। रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों में मौजूदा नीतियों की समीक्षा की गयी है:

(1) असंगठित क्षेत्र में सामाजिक बीमा का प्रचार;
(2) बुढापे, मातृत्व और अपंगता के लिए सामाजिक सहायता; और
(3) संगठित क्षेत्र में सामाजिक बीमा का विस्तार।

आईएलओ (1998) की एक रिपोर्ट में कहा गया है: आईएलओ के सौ साल पूरा होने के उपलक्ष्य में की गयी एक घोषणा में कहा गया है कि आईएलओ के सदस्य देशों का यह दायित्व है कि वे अपने यहाँ उन प्रावधानों को लागू करें जिनमें जनमानस के सम्मान को बढावा देने और उनकी गरिमा को बनाए रखने के एहसास से सम्बन्धित मौलिक अधिकार सिद्धान्त को लागू किया गया है। आईएलओ द्वारा प्रतिपादित मुख्य सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:

(क) संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी की प्रभावी पहचान
(ख) मजबूर श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन
(ग) मजबूरी में काम करने के सभी तरीकों का प्रभावी प्रतिबन्ध।
(घ) बाल मजदूरी का प्रभावी उन्मूलन।
(ड़) रोजगार और व्यवसाय के सम्बन्ध में भेदभाव को समाप्त करना।

एक साल बाद 1999 में आई एल ओ के महानिदेशक ने ''सभ्य कार्य'' पर अपनी रिपोर्ट में सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षा प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

(1) काम करने का अधिकार;
(2) रोजगार का अधिकार;
(3) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार; और
(4) सामाजिक संवाद का अधिकार

समाज में व्याप्त मुख्य समस्याएं जिनके लिए जनमानस को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, निम्न प्रकार हैं:

(1) स्वास्थ्य एवं देखभाल की सुविधा;
(2) वृद्धावस्था सहायता;
(3) अक्षमता/विकलांगता सहायता;
(4) बेरोजगारी बीमा;
(5) लिंग आधारित भेदभाव से सुरक्षा;
(6) व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा; और
(7) प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक संरक्षण।

इस बीच भारत ने 26 अक्टूबर 1998 को 1964 में आईएलओ द्वारा अपनाए गये रोजगार और सामाजिक नीति कन्वेंशन नंबर 122 की पुष्टि कर दी। सन् 2000 में आईएलओ की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कुछ मामलों में मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। कुछ मामलों में जहाँ कहीं भी नए कानूनों और प्रावधानों को लागू किया जाना है वहाँ उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

जून 2001 में, आईएलओ के महानिदेशक ने दोहराया कि ''सभ्य काम'' प्रदान करने की आवश्यकता के प्रावधानों पर जोर दिया जाना चाहिए। इसी वर्ष सामाजिक सुरक्षा के संकल्प को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृति प्रदान की

गयी। यह महसूस किया गया था कि दुनिया की आबादी के अधिकांश समाज सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। इस संकल्प को आगे बढाने के लिए सदस्य देशों को इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक अभियान चलाने के लिए प्रयास शुरू करने हेतु दिशानिर्देश दिए गये।

उपरोक्त आइएलओ सम्मेलनों में प्रस्तावित और पारित घोषणाओं से पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण न्याय–सम्मत अधिकार है जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समुचित उपाय किए जाने आवश्यक हैं।

सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का संवैधानिक आधार

संविधान की प्रस्तावना में अन्य बातों के साथ यह बात भी प्रमुखता से कही गयी है कि राज्य का अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना एक प्रमुख कर्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इस तथ्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि ''राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं दूर करने एवं जनमानस के कल्याण को बढावा देने के प्रयास करने चाहिए। साथ ही आम लोगों, समूहों और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के प्रभावी उपाय करने होंगे। अनुच्छेद 39 में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि राज्य को अपने नागरिकों को निम्न साधन प्रदान करने के प्रभावी उपाय करने होंगे–

(1) आजीविका के पर्याप्त साधन;
(2) स्वास्थ्य और श्रमिकों की ताकत और बच्चों की तरुण अवस्था में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर ऐसा कोई काम नही लिया जाएगा जो उनकी उम्र या ताकत के बस के बाहर हो और उनका शारीरिक और मानसिक शोषण न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुरूप ऐसे प्रबन्ध करेगा जिससे लोगों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके और राज्य अपने विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए ऐसे प्रयास करेगा कि शिक्षा के दौरान, बेरोजगारी में, बुढापा में, बीमारी और विकलांगता में नागरिकों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य को महिलाओं को मातृत्व सहायता, न्यायिक और मानवीय परिस्थितियों में उनके संरक्षण के प्रावधान करेगा। हालाँकि कानूनी अदालत में ये प्रावधान लागू नहीं होते। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ये प्रावधान देश के संविधान और शासन के मूलभूत सिद्धान्तों में निहित हैं और उन्हें बनाए रखना राज्य का परम पुनीत कर्तव्य है।

अनुच्छेद 43 में राज्य के सभी श्रमिकों को कृषि, औद्योगिक या अन्यथा कार्यरत कामगारों को, एक समुचित मजदूरी, काम की शर्तों, जीवन का एक सभ्य मानक सुनिश्चित करने और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनन्द लेने के लिए आवश्यक अवकाश की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है।

अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में, उसके लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को बढाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए व्यवस्था करना भी राज्य का प्रमुख दायित्व है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आइटम नं. 23 के तहत सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा आंकडे 23 और श्रम कल्याण, कार्यदशाएं, भविष्य निधि, नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ, कामगार की अपंगता और बुढापे में पेंशन और मातृत्व लाभ सहित 24 घटकों का वर्णन है।

उपरोक्त सिद्धान्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त भाग में शामिल 'राज्य आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित रखने के राज्य के दायित्व' भाग में वर्णित हैं। जिसके तहत राज्य यह प्रयास करता है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को बढाने के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने का कार्य करे। यही देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का आधार है। आईएलओ के सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) सम्मेलन में निर्देश दिए गए हैं कि बेरोजगारी, बुढापे, बीमारी, विकलांगता, मातृत्व राहत और सुधार के मामलों में सहायता के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए।

हालांकि इन निर्देशों को एक अदालती आदेश से चुनौती दी जा सकती है। फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत सिद्धान्त हैं। इसलिए, वे भारत में एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की स्थापना के लिए परोक्ष रूप से संवैधानिक जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा एक मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है: ''कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नही किया जा सकता।''

आजीविका का अधिकार

यद्यपि भारत का संविधान इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार नही करता, सर्वोच्च न्यायालय ने आजीविका के अधिकार पर कहा है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार में निहित है जो कि एक मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा का अधिकार आजीविका के साधनों को सुनिश्चित करता है जोकि जीवन के अधिकार में ही निहित है।

एसियाड मामले में, न्यायालय ने माना कि श्रमिको के लिए अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अंतर राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के तहत लाभों से इनकार करने से अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। इस प्रकार मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार उन आधारों में से था जहाँ पर उपरोक्त को अधिनियमित करने के लिए कर्मचारियों की बुनियादी मानव गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेकों मामलों में राहत दी गयी।

सामाजिक सुरक्षा पर दूसरा श्रम आयोग

श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया कि सामाजिक सुरक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिशों पर बल देते हुए कहा कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिसमें प्राथमिक और बुनियादी स्तर की सुरक्षा प्रदान करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की हो और राज्य संघ सहायक योजनाएं लागू कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसका अर्थ यह होगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य की होगी और संघ सरकार इसमें एक भागीदार के रूप में रहेगी और नागरिकों को भी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में भागीदार बनाया जाएगा।

देश के सभी अवधारणात्मक मुद्दों और जनसांख्यिकीय विवरण को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपरोक्त कोई भी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। इस समस्या के हल के लिए बहुआयामी रणनीति बनानी पडेगी। भारतीय संदर्भ में यही प्रासंगिक होगा।

आयोग द्वारा गठित सामाजिक सुरक्षा अध्ययन समूह आईएलओ कन्वेंशन के अनुपालन की सहमति व्यक्त करता है और कहता है कि आईएलओ के सभी अभिसमयों को तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा पर अध्ययन समूह ने महसूस किया कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों में से एक माना जाता है और भारत सरकार ने इसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के नियमों को मान्यता देकर मान्य किया है। समूह का मानना है कि भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार मानकर इसके लिए आवश्यक संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। अध्ययन समूह ने तदनुसार सुझाव दिया है कि श्रम पर राष्ट्रीय आयोग संविधान में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश करे ताकि इसे मौलिक अधिकार बनाया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कैसे प्रदान किया जाए

इसके बाद यह महसूस किया जाने लगा कि संविधान के भाग चार में सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की गारन्टी के लिए नया खण्ड जोडा जाए। यह महसूस किया जाने लगा कि सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व और बाल देखभाल, भविष्य निधि लाभ, आवास, पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए मुआवजा या रोजगार के दौरान चोट, सेवानिवृत्ति के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ सहित सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है:

हमारे देश में आजीविका के संसाधनों का वितरण समान नही है। जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन हैं वे तो ठीक परन्तु जिनके पास संसाधन नही है उन्हे दूसरों के संसाधनों पर ही निर्भर रहना पडता है। इसलिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं, उचित वेतन एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता दूसरों से अधिक होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम द्वारा किए गए एक अध्ययन (2018) के अनुसार, देश में 71 प्रतिशत सम्पत्ति 1 प्रतिशत लोगों के पास है। दूसरी तरफ भूख और गरीबी में जी रहे लोगों के पास अब तक 12.5 प्रतिशत संसाधन थे जो अब तक सिर्फ 1 प्रतिशत बढे हैं। अर्थात् 60 प्रतिशत लोगों के पास केवल 13.5 प्रतिशत संसाधन हैं जोकि रहने के आवास भर के लिए भी काफी नहीं होते और लोग छोटी–छोटी संकीर्ण कोठरियों में रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा का महत्व काफी बढ जाता है।

रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति:

देश में कुल श्रम बल का 93.98 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में काम करता है। जनसंख्या का यह भाग सभी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से वंचित है। इसकी संख्या दिनोंदिन बढती ही जा रही है और संविधान प्रदत्त सुविधाओं का सुरक्षा छत्र दिनोंदिन घटता जा रहा है।

निम्न तालिका में देश में श्रमबल के आँकडे दिए गये हैं।

तालिका

देश में श्रम बल की स्थिति

क्रमांक	श्रेणी	श्रमबल (मिलियन में)		
		1993-94	1999-2000	2004-05
1.	कुल श्रमबल	382.0	406.0	469.9
2.	कुल बेरोजगार	374.5	397.0	459.1
3.	बेरोजगारी	7.5	9.0	10.8
4.	बेरोजगारी दर	1.9	2.2	2.3
5.	संगठित क्षेत्र में रोजगार	28.8	28.0	26.5
6.	असंगठित क्षेत्र में रोजगार	346.5	369.0	432.6
7.	रोजगार सृजन की वार्षिक दर	–	4.6	12.4
8.	गरीब कामगार	–	122.0	130.0

स्रोतः भारत सरकार (**2009**), *एजेण्डा नोट,* स्टैण्डिंग श्रम समिति सम्मेलन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

यूँ तो भारत सरकार ने उस तबके को राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। फिर भी कई वजहों से इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नही पहुंचता। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कुछ जरूरी सुधार करने की प्रबल आवश्यकता है। इन सुधारों में से कुछ मुख्य निम्न प्रकार हैं।

- देश में जागरूकता का अभावः लाभार्थियों और आम लोगों में सामान्य योजनाओं के बारे में जानकारी एवं जागरूकता की काफी कमी है, इसलिए जागरूकता फैलाने की बड़ी आवश्यकता है।
- प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करनाः सामान्यतः लाभ प्रदान करने की प्रक्रियाएं बहुत जटिल और हितग्राही की पहुंच से दूर होती हैं। इसलिए मध्यस्थों और अन्य लोगों को प्रक्रिया में भूमिका निभानी पड़ जाती है। इससे लाभराशि का एक बड़ा भाग अहितग्राहियों द्वारा ले लिया जाता है।
- परिचालन केन्द्रों का दूर होनाः अक्सर सहायता देने वाले केन्द्र हितग्राहियों से दूर होते हैं। अतः परिचालन केन्द्रों की दूरी कम करनी चाहिए।
- परिचालन अवधि अधिक होती है, इसे भी कम करना चाहिए।
- प्रशासनिक कर्मियों के असमान फैलाव
- सूचना के प्रचार–प्रसार का अभाव
- हितग्राहियों की भागीदारी का अभाव
- प्रारम्भिक तैयारियों का अभाव
- विशिष्ट कार्यक्रमों की अनिश्चित कवरेज
- अनुचित साम्प्रदायिक/राजनीतिक हस्तक्षेप
- हितग्राही संगठनों का अभाव
- प्रशासनिक एवं परिवहन के साधनों का अभाव
- लाभ राशि नगण्य होना
- लाभ के लिए की गयी भागदौड़ और प्रक्रिया पूरी करने में ही कभी–कभी काफी समय और धन लग जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पर्याप्त नही होता।

सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कुछ कार्यनीतियों के लिए सुझावः

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सर्वव्यापीकरण
- लाभ राशि में एकरूपता
- सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और योजनाओं का एकीकरण
- सर्वोच्च/केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना
- सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्राधिकरण
- पात्र व्यक्ति की उच्च स्तर की सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच एवं मूलभूत सुविधाओं (स्वास्थ्य, आवास, खाद्य; संकट में रोजगार सुरक्षा; दुर्घटना लाभ; वृद्धावस्था पेंशन) तक सबकी पहुँच बनाना।
- न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा के लिए लाभ पैकेज समान होना चाहिए। इससे धन का उचित विवरण रखने और व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।
- सभी प्रमुख योजनाओं का एकीकरण।
- आज कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जो अक्सर भ्रम और गम्भीर प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रही हैं, ऐसी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द करना तथा उचित व्यवस्था होने तक उस मद में वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के धन का दुरूपयोग करने वालों को दुरूपयोग किए गये धन से कम–से–कम डेढ़ गुणा धनराशि दण्ड के रूप में वसूलने के प्रावधान

के साथ ही निश्चित समयसीमा में धन की व्यवस्था करने की प्रक्रिया विकसित की जाए। निश्चित समय–सीमा गुजरने के बाद दण्ड राशि दोगुणा कर देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य प्रकार के जालसाजी, धोखाधडी की अनेकों घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। इन्हें रोकने के लिए कुछ नए प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। जर्मनी आदि कई देशों में शारीरिक दण्ड से अधिक आर्थिक दण्ड देने का प्रावधान है। छोटे–छोटे अपराधों के लिए भी भारी आर्थिक दण्ड के प्रावधान किए गये हैं। इससे यह देखने में आया है कि लोग छोटे–छोटे अपराध करने से भी डरते हैं।
- लाभ के लिए पात्रता क्षेत्र की आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ क्षेत्रों और जनसमूह को सामाजिक सुरक्षा के सरकारी प्रावधानों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि पिछड़े, गरीब एवं दूर–दराज के क्षेत्रों के लोगों को आवश्यकता है।
- सर्वोपयोगी केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा फण्ड के लिए संसाधनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण फण्ड में सुविधा के प्रावधान होने चाहिए। आवश्यक निधि एवं पूँजी के समुचित प्रावधान किए जाने चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों का अवलोकन करने से यह देखने में आता है कि लाभ राशि से अधिक प्रशासनिक खर्च होता है। कई योजनाओं के गहन अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि 30 पैसा लाभ देने के लिए 350 रूपये प्रशासनिक लागत आयी। ऐसे में योजनाओं का परमपावन उद्देश्य ही गौण हो जाता है। अतः योजनाओं की क्रियान्वयन लागत में कमी लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- एकल खिड़की के माध्यम से लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सारांश

इसके अलावा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नही किए जाते, परिणामस्वरूप लोगों को योजनाओं के बारे में उचित जानकारी नही हो पाती और उनका प्रभाव नगण्य ही रहता है। दूसरे एक छोटा–सा हिस्सा या अनेकों पात्र लोगों में से केवल कुछ को लाभ मिलने से बाकी लोगों में योजना के प्रति रूचि कम हो जाती है। अतः सरकार को व्यापक एवं समान लाभ प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के अलावा और भी कई संस्थाएं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत हैं। किन्तु उनका भी सामान्य जनमानस पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नजर नही आता। अतः अधिकाँश मामलों में सामाजिक सुरक्षा आम लोगों को एक दिवास्वप्न जैसी ही दिखाई पड़ती है। लोगों में आज भी अपने बलबूते जीने और अभाव होने पर बिना किसी सहायता के मर जाने का आज भी डर बना रहता है। आज के आधुनिक समाज में कल्याणकारी सरकार होने के बावजूद लोगों को अधिक उम्मीदें नही हैं।

कार्यक्रमों और योजनाओं के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी काफी उतार चढाव आते रहते हैं। निश्चित समयावधि में सहायता के समयान्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया सहजता से कार्यरत नहीं है। कई मामलों में लागू करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों तक को प्रक्रिया और लाभ पात्रताओं तक का ज्ञान नही होता। कई योजनाएं लोगों की उपेक्षाओं और उनकी संगठित भागीदारी को ध्यान में रखकर नही बनाई गयी हैं। अतः उनमें अनुकूल परिवर्तन कर उन्हे व्यापक लाभ प्रदायक योजना के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लाभ पात्रों और हितग्राहियों की भागीदारी का अभाव भी है। योजनाओं के समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में न तो उन्हें प्रक्रिया की जानकारी हो पाती है और ना ही अधिकारियों और कार्यालयों की। अतः योजनाओं की लाभ राशि, सम्बन्धित अधिकारियों, कार्यालयों, प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशों का समुचित प्रचार–प्रसार अत्यंत आवश्यक है। लागू करने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों, हितग्राहियों और सभी सम्बधित लोगों के लिए उचित एवं स्पष्ट दिशा–निर्देश विवरणिका तैयार कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। आज इंटरनेट के युग में फोन कॉल के जरिये, छोटे संदेशों के माध्यम से, व्हाट्सएप एवं फेसबुक जैसे सामाजिक माध्यमों का सहारा लेकर व्यापक प्रचार–प्रसार करना कोई बहुत मुश्किल काम नही है। साथ ही व्यापक निरीक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बार–बार निरीक्षण से जमीनी स्तर पर योजनाएं लागू करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों में काम के प्रति लगन एवं इसे सही तरीके से करने का दबाव बना रहता है।

कहना न होगा कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में निस्संदेह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, किन्तु जनसंख्या का एक बडा भाग आज भी उन लाभों से अछूता है। अतः उन लोगों तक भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सभ्यता का रहस्य

मुंशी प्रेमचंद

यों तो मेरी समझ में दुनिया की एक हजार एक बातें नहीं आतीं – जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं? क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गयी है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता? एक साथ ही सभी पढ़े–लिखे आदमियों की आँखें क्यों इतनी कमजोर हो गयी हैं? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या कुछ और? लोग खिताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं? इत्यादि – लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या हैं? सरसरी नजर से देखिए, तो इससे ज्यादा आसान और कोई सवाल नहीं होगा। बच्चा–बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन जरा गौर से देखिए, तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट–पतलून पहनना, टाई–हैट कालर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में तेरह बार कोको व चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा, जो सड़क पर शाम को कभी–कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे से आँखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए, रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन! क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं! तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से।

मेरे इने–गिने मित्रों में एक राय रतनकिशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती। एक चौथाई वेतन तो बँगले ही की भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम–से–कम मैं नहीं जानता, हालांकि कहने वाले कहते हैं – लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपये निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो, तो जवाब देते हैं इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किये जाएँ रिआया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते, जितने कि अपने रोजनामाचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गप–शप करते रहते हैं, पर किसी की क्या मजाल कि राय साहब की नेकनीयती पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती।

एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डाँट रहे थे। दमड़ी रात–दिन का नौकर था, लेकिन रोटी खाने घर जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गाँव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ न आ सका। इसलिए डाँट पड़ रही थी।

राय साहब – जब हम तुम्हें रात–दिन के लिए रखे हुए हैं, तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे।

दमड़ी – हजूर, एक मेहमान आ गये थे, इसी से न आ सका।

राय साहब – तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो।

दमड़ी – सरकार, अब कभी ऐसी खता न होगी।

राय साहब – बक–बक मत करो।

दमड़ी – हजूर.....

राय साहब – दो रुपये जुरमाना।

दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गयी। दो रुपये जुरमाना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था।

यह एक रात को गैरहाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न था, उसका दंड! और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था।

दमड़ी के पास कुल छः बिस्वे जमीन थी। पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके दो लड़के, दो लड़कियाँ

और स्त्री, सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियाँ नहीं मयस्सर होती थीं। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती! अगर सब–के–सब घर से निकल मजूदरी करने लगते, तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजूदर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए दो बैल बाँध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने–चारे ही में उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थीं, पर खेती छोड़कर मजूदर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है, वह कहीं मजूदर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाये ? किसानी के साथ मजूदरी करना इतने अपमान की बात नहीं, द्वार बँधे हुए बैल उसकी मान–रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर कहाँ मुँह दिखलाने की जगह रह सकती है!

एक दिन राय साहब उसे सरदी से काँपते देखकर बोले – कपड़े क्यों नहीं बनवाता ? काँप क्यों रहा है?

दमड़ी – सरकार, पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊँ ?

राय साहब – बैलों को बेच क्यों नहीं डालता ? सैकड़ों बार समझा चुका, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी–सी बात तेरी समझ में नहीं आती।

दमड़ी – सरकार, बिरादरी में कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। लड़की की सगाई नहीं हो पायेगी, टाट बाहर कर दिया जाऊँगा।

राय साहब – इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। (मेरी तरफ फिरकर) क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का कोई इलाज है ? जाड़ों मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बाँधेंगे।

मैंने कहा – जनाब, यह तो अपनी–अपनी समझ है।

राय साहब – ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई बार हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थीं, रिश्तेदारों को न्यौते दिये जाते थे, गरीबों को कपड़े बाँटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या ? मुफ्त में चार–पाँच हजार की चपत पड़ती थी। सारे कसबे में बावेला मचा, आवाजें कसी गयीं, किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवा! आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी, बड़ी दिल्लगी थी। कसबे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे ले। पुश्तों से रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं ? मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोये–धोये, लेकिन दूसरों का रोना–धोना सुनूँ, या अपना फायदा देखूँ। लकड़ी से ही कम–से–कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गयी। अब कोई भूलकर भी इन चीजों के लिए दिक करने नहीं आता।

मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है, कुल–प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल–मर्यादा को बलि देने वाले राय रतनकिशोर।

राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फँस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगीं। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाय, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊँ। डालियाँ लगाई गयीं, सिफारिशें पहुँचाई गयीं, पर राय साहब पर कोई असर नहीं हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला, तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी।

रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगीं। 20 हजार की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुईं कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आयीं और कहने लगीं–ले लो, ले लो! तुम न लोगे तो मैं ले लूँगी।

राय साहब ने कहा – इतनी बेसब्र न हो। वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेंगी। कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं ? माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एकबारगी तुम्हारे आये दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊँगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहूदी बातचीत करनी हो, तो यहाँ से चली जाओ। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती।

स्त्री – यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरी–खोटी सुनायी। क्या इतना भी नहीं जानती ? बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी।

राय साहब – यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी, तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे।

यह कहते हुए राय साहब ने गद्‌गद होकर पत्नी को गले लगा लिया।

स्त्री – अजी, मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले न टलती। रो–रोकर जान दे रही है।

राय साहब – उससे वायदा तो नहीं कर लिया ?

स्त्री – वादा ? मैं तो रुपये लेकर संदूक में रख आयी। नोट थे।

राय साहब – कितनी जबरदस्त अहमक हो, न मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं।

स्त्री – अब क्या देगा ? देना होता, तो दे न दी होती।

राय साहब – हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर लिए। अगर किसी तरह बात खुल जाय, तो कहीं का न रहूँ।

स्त्री – तो भाई, सोच लो। अगर कुछ गड़बड़ हो, तो जाकर मैं रुपये लौटा दूँ।

राय साहब – फिर वही हिमाकत! अरे, अब तो जो कुछ होना था, हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो, यह साँप के मुंह में उँगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अबकी बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूँगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चलने भी पाये ?

स्त्री – मैं जाकर लौटाये देती हूँ।

राय साहब – और मैं जाकर जहर खाये लेता हूँ।

इधर तो स्त्री–पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गाँव के मुखिया के खेत में जुआर काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल से न ले सकता था। घरवालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलायी तो थी, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा। उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूँछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोसकर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सबेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊँगा।

लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आँखें खुलीं, तो देखा कि दोनों बैल अभी नाँद पर खड़े हैं। चाँदनी रात थी, दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आँखे सजल हो आयीं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आँखों से भाग गयी। कुछ सोचता हुआ उठा। हँसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गाँव के बाहर बाजरे और जुआर के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ काँपने लगे। लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता, तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा, जितना बैलों को रात–भर के लिए काफी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया, तो उससे कह दूँगा, बैल भूखे थे, इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े–से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है, जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफी था। चोर उतना काटता, जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब? गाँव के लोग दमड़ी को चारा लिये जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इलजाम में न फँसाता, लेकिन संयोग से हलके के थाने का सिपाही उधर आ निकला। वह पड़ोस के एक बनिये के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा, तो संदेह हुआ। इतनी रात गये चारा कौन काटता है ? हो न हो, कोई चोरी से काट रहा है। डाँटकर बोला – कौन चारा लिये जाता है ? खड़ा रह।

दमड़ी ने चौंककर पीछे देखा, तो पुलिस का सिपाही। हाथ–पाँव फूल गये, काँपते हुए बोला – हुजूर, थोड़ा ही–सा काटा है, देख लीजिए।

सिपाही – थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी। खेत किसका है ?

दमड़ी – बलदेव महतो का।

सिपाही ने समझा था, शिकार फँसा, इससे कुछ ऐंठूँगा; लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़कर गाँव में लाया और जब वहाँ भी कुछ हत्थे चढ़ता न दिखायी दिया तो थाने ले

गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब के इजलास में पेश किया।

राय साहब ने दमड़ी को फँसे हुए देखा, तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले – यह मेरी बदनामी की बात है। तेरा क्या बिगड़ा, साल–छः महीने की सजा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर न होता, तो मैं हलकी सजा देता; लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी–से–कड़ी सजा दूँगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रिआयत की।

यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को छः महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया।

उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे–से–बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर परदा डाल सकते हैं, तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटिलमैन हैं। अगर आप में यह सिफ़त नहीं तो आप असभ्य हैं, गँवार हैं, बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है।

व्यथित कश्मीर

बीरेन्द्र सिंह रावत*

धरती के स्वर्ग पर राज, करने के सपने सबने संजोये।
पर सोच स्थिर न कर पाने से, हमने अनेकों वर्ष, नागरिक व जवान खोये।।
स्वर्गाधिपति होने के अभिमान में, राजा की मति गयी थी मारी।
भारत में विलय की बात न मानी, अरु कबाईली संकट आया भारी।।

भागते पहुंचा दिल्ली दरबार में, मिली यहाँ से सहायता तत्काल।
पर भूल दरबार से भी हुई, सोचा नहीं क्या कह रहा सरदार।।
और रजवाड़ों की तरह विलय हो, तब जोर देकर बोला था सरदार।
किस कश्मीर–प्रेम, संशय में पता नहीं, दे दिया उन्हें जनमत का अधिकार।।

क्यों कर दिया झंडा संविधान अलग, धारा 370 का किया प्रबंध खास।
विश्व कल्याण की सोच वाली दिल्ली ने, कभी क्यों नहीं किए गंभीर प्रयास।
किसी एक या दूसरी वजह से, उस अधिकार को गया है टाला।
भारत–विभाजन की सोच वाले पड़ोसी, के कारण बना यह सूलों की माला।।

पीढ़ियों से, कोई तीन तो कोई दो, वहाँ पर कर रहे हैं बारी से राज।
जब–तब स्वयं अथवा सिपहसालार, सैनिकों पर छोड़ते रहे हैं शब्द–बाण।।
पत्थरबाजों अरु आतंकियों की, वे करते हैं मानवाधिकारों की बात।
राजनीतिक लाभ लेने में हिचकते नहीं, कह देने में पाकिस्तान जिंदाबाद।

दृढ़ता से सोच स्थिर करके, सोचना होगा सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा।
अंतिम प्रहार का समय आ गया है, वर्ना ये भस्मासुर होता रहेगा खड़ा।।
प्राथमिकताओं में प्रथम स्थान प्रदान कर, कश्मीर समस्या का सोचो समाधान।
स्विट्जरलैंड, स्वर्ग बनेगा कश्मीर, अरु विश्व में बढ़ेगा भारत का मान।।

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

आजादी के सत्तर साल

राजेश कुमार कर्ण*

भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय सभ्यता दुनिया में अनोखी है। यहां हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोगों की कुछ मामलों में अपनी विशिष्ट पहचान है। भारत को गुलामी की जंजीर तोड़कर आजादी प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार स्वतंत्रता सेनानियों एवं आम नागरिकों के त्याग एवं बलिदान के बदौलत भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। सदियों की गुलामी ने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया था। हमारे पास न आर्थिक शक्ति थी, न सैनिक शक्ति थी, न सामाजिक बल और न धार्मिक एकता थी। इन कमजोरियों के बावजूद तब से अब तक के इन 70 वर्षों में भारत ने कमोबेश जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और अनेक उपलब्धियां हासिल की है। औद्योगिकीकरण, विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में देश का परचम लहराया है। भारत नए सपनों, नए संकल्पों एवं नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत औद्योगिक दृष्टि से बहु–विकसित, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से विशिष्ट और राजनीतिक दृष्टि से स्थिर है। इन 70 वर्षों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। यही वजह है कि दुनिया हमारी ओर विस्मयभरी उम्मीद से देख रही है और हमें आशा है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।

विभाजन की त्रासदी और दंगों की पृष्ठभूमि में मिली आजादी को लेकर यह आशंकाएं तक जताई गई थीं कि भारत कदाचित अपनी आजादी को संजोकर नहीं रख सकेगा। किंतु आजादी के 70 साल के सफर ने दिखाया है कि भारत ने न केवल अपनी आजादी को अक्षुण्ण रखा है, बल्कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी। इस सफर को हमने कदम–दर–कदम तय किया है। एक सच्चा लोकतंत्र वही हो सकता है, जहां ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए सरकारें बदली जाएं। इस कसौटी पर भारत पूरी तरह सफल हुआ है। यहां केन्द्र एवं राज्यों में सदैव शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन होता आ रहा है। इन 70 वर्षों में 16 बार जनतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वहीं भारत के साथ ही अस्तित्व में आए पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में भी लोकतंत्र आता–जाता रहा है। भारत ने लोकतंत्र को सहेजा और उसका मान बढ़ाया। यहां लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सत्ता को ठुकराने की कुछ मिसालें लोकतंत्र को बार–बार मजबूत कर गईं और कुछ नेताओं के आदर्शों ने इसे ताकत भी दी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी और उन्होंने जोड़–तोड़ के बजाए इस्तीफा दे दिया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि ''पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा।'' हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को आजादी के पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है किंतु अमेरिका, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, को यह अधिकार अपने नागरिकों को देने में 150 वर्ष लग गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी समुदाय के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। यह देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहां विश्व में सभी धर्मों के लोग सद्भावना के साथ रहते हैं। विविधता में एकता हमारी अनमोल धरोहर है।

आजाद भारत में यह सत्य है कि बहुत कुछ नहीं हो सका जिसका होना जरूरी था लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसने होते रहने की उम्मीद को मजबूत किया। आजादी के समय अधिकांश भारतीय अशिक्षित तथा बेहद गरीब थे। यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आजादी के समय जहां 88% आबादी निरक्षर थी, प्रति व्यक्ति आय महज 247 रुपए थी और जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, वहीं आज 74% आबादी साक्षर है, प्रति व्यक्ति आय 1,03,214 रुपए है और जीवन प्रत्याशा बढ़कर 68–77 वर्ष हो चुकी है। वर्ष 1947 में भारत की विकास दर महज 1% थी। आजादी के बाद कई योजनाबद्ध कार्यक्रम बने जिसके चलते भारत 10% से भी अधिक विकास दर हासिल कर सका। वर्ष 1947 में भारत की जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपए थी जो अब बढ़कर 152 लाख करोड़ तक पहुंच गई है।

आजादी के समय हम पेट भरने के लिए बाहर से अन्न मंगाते थे, लेकिन आज हम न केवल खाद्य पदार्थों के मामले में

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

आत्मनिर्भर हो गए है, बल्कि दूसरे देशों को अनाज निर्यात भी करते हैं। कारों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है और ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में हम दुनिया में तीसरा स्थान रखते हैं। देश में लोगों का जीवन–स्तर उन्नत हुआ है। घर–घर में मोटरसाइकिल, एयरकंडीशनर, कम्प्यूटर, टेलीविजन और अधिकांश जेबों में मोबाइल फोन पहुंच चुके हैं।

संचार क्रांति में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत ने 1990 के दशक तक पोस्टकार्ड, अंतरदेशीय, लिफाफे और तार के जरिए ही नाते–रिश्तेदारों, नौकरी, दफ्तर, मुकदमा नोटिस को जाना पहचाना। अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। स्मार्टफोन एवं इंटरनेट ने वो कर दिया है जो आज से 25 वर्ष पहले सोच से परे था। वीडियो कॉल कीजिए, फेसबुक पर पूरी जमात के साथ बने रहिए, ट्विटर पर देश–विदेश का हाल रखिए, इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर सबको बताइये, चैनलों की खबर देखिए, बस सेकेंड भर में पूरी दुनिया आप तक और आप दुनिया तक। आज भारतीयों के पास 121 करोड़ मोबाइल हैं जिसमें 20 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन हैं। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला देश बन चुका है। दूरसंचार क्रांति ने भारत के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर गहरा असर डाला है। इसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया है और लोगों का रहन–सहन जड़ से बदल दिया है।

देश में इन वर्षों में हवाई अड्डों, सड़कों एवं रेल मार्गों का काफी विस्तार हुआ है। सड़कों एवं रेलवे का नेटवर्क अंग्रेजों ने अपनी सुविधा एवं जरूरत के हिसाब से फैलाया था। जब हम आजाद हुए तो देशभर में कुल 4 लाख कि.मी. से कम सड़कें ही बनी थीं, बाकी देश कच्ची पगडंडियों पर ही रेंग रहा था। लेकिन अभी लगभग 50 लाख कि.मी. रास्ते पक्की सड़कों में तब्दील हो चुके हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के लगभग सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। सड़कों ने जहां गांव एवं शहरों की दूरी कम की है, वहीं व्यापार एवं रोजगार के दिशा में काफी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आज भारत के पास विश्व में अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है। वर्ष 1951 में भारत में बिछी पटरियों की कुल लंबाई 64000 कि.मी. थी जो आज बढ़कर लगभग 1 लाख 20 हजार कि.मी. हो गई है। इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाईश है। कई शहरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधा लोगों को मिल रही है। अहमदाबाद–मुम्बई के बीच बुलेट ट्रेन की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। एक अमेरिकी निजी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप वन द्वारा मुंबई एवं पुणे के बीच आवाज की स्पीड से चलने वाली हाइपरलूप सेवा शुरू किए जाने

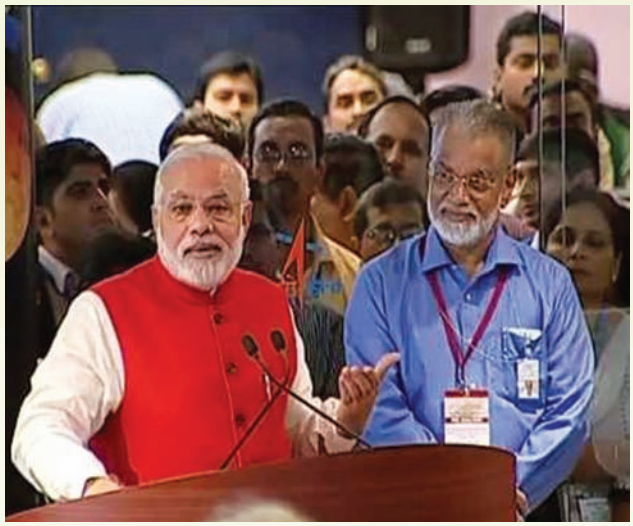

के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इंटेंट एग्रीमेंट पर दस्तखत हाल ही में किया है।

बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पहले शहरी क्षेत्रों को भी कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती थी, किंतु अब गांवों में भी 15–20 घंटे बिजली मिल रही है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु शक्ति एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत आज विश्व के देशों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। भारत आज पूरे विश्व में सौर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा जिसे रूसी रॉकेट के जरिए लांच किया गया था। किंतु वर्ष 2014 के मंगलयान अभियान ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार ''भारत के टैलेंट की कमाल देखिए, 65 करोड़ कि.मी. मार्स की यात्रा की हमने। एक कि.मी ऑटो रिक्शा में जाना हो तो 10 रुपया लगता है, हमें मार्स पर पहुंचने में मात्र 7 रुपया लगा एक कि.मी. के लिए।'' आज भारत दुनिया के दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर अरबों रुपए कमा रहा है। भारत ने वर्ष 2017 में स्वदेशी अंतरिक्ष यान में अपने तथा विभिन्न देशों के 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर (जिसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देशों के उपग्रह भी शामिल थे) दुनिया को अचंभित कर दिया है। ऐसी उपलब्धि अब तक अमेरिका भी हासिल नहीं कर सका है। आज हम मानव युक्त अंतरिक्ष यान और सौर मंडल से बाहर टोही यान भेजने की सोच रहे हैं। दुनिया में नेविगेशन यानी अंतरिक्ष से कौन सी चीज कहां है यह चीज देखने या रास्ता बताने का सिस्टम जिसको हम जीपीएस कहते हैं वह या तो अमेरिका के पास थी या रूस के पास। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो भारत ने अमेरिका से कहा था कि आप अपनी जीपीएस के जरिए पाकिस्तानी फौज की लोकेशन बताने में हमारी मदद करें

लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भारत ने यह तय किया कि उसे अपना जीपीएस सिस्टम तैयार करना ही होगा। वर्ष 2013 में पहला सेटेलाइट एवं 2016 में सातवां सेटेलाइट छोड़कर भारत ने यह साबित कर दिया कि जिस काम को रूस एवं अमेरिका करने में दशकों लगा गए हमने बस तीन साल में कर दिया। इस जीपीएस सिस्टम के आपरेशनल होने के बाद 15 से 20 मीटर की दूरी से हर चीज दिख सकती है।

1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय हमारे पास जो भी रक्षा उपकरण था वह द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष था– टैंक, आर्टिलियरी तोपखाना, हवाई जहाज, समुद्री जहाज सारे के सारे आउटडेटेड टेक्नॉलाजी के थे। अभी हमने रक्षा के हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है और इससे देश की ताकत काफी बढ़ी है। अभी भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थलसेना, पांचवीं बड़ी वायुसेना तथा सातवीं बड़ी जलसेना है। भारत ने अनेक मिसाइलों का विकास करके देश की प्रतिरक्षा तंत्र को काफी मजबूत किया है। आज हमारे पास अग्नि–5 जैसी इंटरकांटिनेंटल मिसाइल है जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक (पांच हजार कि.मी. तक) मार कर सकती है। नवंबर 2015 में भारत ने दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को सीमा में घुसते ही रास्ते में ही रोककर उसे नष्ट कर देने वाली एंटी–बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने में यह एक बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2009 में अपने देश में बने सुपरसोनिक 'ब्रम्होस' मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आजादी के बाद भारत की एक बड़ी कामयाबी लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट 'तेजस' का अपने देश में बनना है। इसकी तुलना अमेरिका के एफ–16, फ्रांस के मिराज 2000 तथा स्वीडन के जेएस 39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों से की जाती है। चीन एवं पाकिस्तान ने आपस में मिलकर जो जेएफ–17 विमान बनाया है उससे कहीं बेहतर है हमारा तेजस। तेजस की तरह ही पनडुब्बी अरिहंत (अर्थात दुश्मन का नाश करने वाला) भारत में ही बनायी गयी है। भारत 'अरिहंत' की तरह ही 6 और परमाणु पनडुब्बी बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे चीन एवं उसके सहयोगी पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है।

देश में कम्प्यूटर क्रांति आई और विज्ञान–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने आशातीत उन्नति की है तथा उसका विश्व में दबदबा बना है। जब–जब विकसित देशों ने हमें तकनीक देने से इंकार किया हमने उसे खुद विकसित किया। परमाणु शक्ति, क्रायोजेनिक इंजन और सुपर कम्प्यूटर इसके उदाहरण हैं।

आजादी के बाद भारत में औद्योगिक विकास ने अपनी रफ्तार पकड़ी। देश में उद्योगों का जाल बिछ गया है। इन उद्योग–धंधों में न केवल उत्पादकता में वृद्धि हुई बल्कि गुणात्मक सुधार भी हुआ। कुछ उद्योग के मामले में भारत विश्व में अग्रणी है। सबसे बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश भारत में हुआ है। पूरी दुनिया भारत के आर्थिक विकास को एक प्रभावी उपलब्धि मानती है। जीएसटी के लागू होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तर्ज पर नियमित एवं व्यवस्थित हो गयी है। भारत को आज एक बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। 21वीं सदी को भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय औद्योगिक विकास के रूप में देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका तथा चीन के बाद भारत सबसे शक्तिशाली देश है जिसका ज्यादातर श्रेय हमारे उद्योग–धंधों, नई तकनीक तथा कुशल श्रमिकों को जाता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर भारतीयों का वर्चस्व बढ़ा है। उन्होंने अपने सफलता के झंडे वहां गाड़ दिए हैं। पेप्सी, गुगल तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के पदों पर भारतीय इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला विराजमान हैं।

इन 70 वर्षों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बहुत बढ़ी है और दुनिया भारत की आवाज आदर के साथ सुनती है। अमेरिका, रूस, जापान, इजरायल, यूरोप के अलावा बड़ी संख्या में इस्लामिक अथवा मुस्लिम बहुल देश भारत के करीब आए हैं। उरी, पठानकोट तथा अन्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों और उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में सऊदी अरब, ईरान, इराक सहित सार्क के सभी देश (पाकिस्तान को छोड़कर) भारत के साथ खड़े रहे। यह भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। 1962 की लड़ाई में लाचार–सी नजर आने वाली हमारी सेना आज चीन को ललकारने का आत्मविश्वास दे रही है। डोकलाम में धैर्यपूर्वक एवं कड़ाई के साथ अपना गौरव न खोते हुए भारत ने जिस तरह मामले को डील किया उससे विश्व में हमारी धाक जमी। कोई भी देश भारत में दखल देने से पहले 10 बार सोचता है। टाइम्स पत्रिका में 'सुपर इंडिया द नेक्स्ट मिलिटरी पॉवर' शीर्षक से प्रकाशित लेख में बताया गया है कि, ''पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष इतनी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है कि अब रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसी शक्तियां उसकी उपेक्षा नहीं कर सकतीं।'' यद्यपि आज भी पाकिस्तान और चीन की ओर से खतरा यथावत कायम है परंतु देश की एकता और अखंडता के समक्ष हमारे शत्रु देशों द्वारा पेश की जानेवाली चुनौतियों के बावजूद आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।

देश में शिक्षा के बड़े–बड़े संस्थान एवं विश्वविद्यालय खुल गए हैं। हमारे देश के शिक्षित–प्रशिक्षित युवा दुनिया भर में अपने ज्ञान एवं हुनर का परचम लहरा रहे हैं।

पिछले 70 वर्षों में शिक्षा पर जो काम हुआ उसने तमाम कमियों के बावजूद कुछ बेहतर सूरत जरूर बनाई है। वर्ष 2002 में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का कानून बनाया गया और वर्ष 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। आज भारत में 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय तथा 30 हजार से ज्यादा कॉलेज हैं जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं।

इन 70 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए बड़े–बड़े अस्पताल खुले हैं, जहां कई अन्य देशों के मुकाबले सस्ते एवं बेहतर इलाज उपलब्ध हैं। मार्च 2014 में हम पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुके हैं। शिशु एवं मातृ–मृत्यु दर घटी है। भारत में अपना पहला महीना पूरा करने से पहले वर्ष 1960 में प्रति हजार में जहां 165 बच्चे दम तोड़ देते थे अब उनकी संख्या घटकर 26 रह गयी है। इसे वर्ष 2030 तक 12 पर समेटने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षात्मक हेल्थकेयर के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान स्थापित किया है तथा यह देश–दुनिया में एक जन–आंदोलन बन रहा है। देश में संचार उपकरणों का व्यापक प्रसार हुआ है। ई–प्रशासन से लेकर ई–कॉमर्स और आईटी आउटसोर्सिंग से लेकर दूरसंचार तक कामयाबी के अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

इसके उलट कुछ ऐसी सच्चाई भी है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भूख, कुपोषण, गरीबी, असमानता, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद, वंशवाद, साम्प्रदायिकता की समस्या से देश अभी भी पूर्णतः उबर नहीं पाया है। भारत में अकूत संपत्ति और दरिद्रता दोनों समान रूप से विद्यमान हैं। यदि विकास से समृद्धि बढ़ी है तो आर्थिक विषमता भी बढ़ती चली गई है। इस गैर–बराबरी के कारण आज देश की बड़ी आबादी का जीवन–स्तर बद से बदतर होता जा रहा है क्योंकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर घर, बिजली–पानी, सैनिटेशन आदि सुविधाओं का भार उठा पाने में समर्थ नहीं हैं। ऑक्सफैम की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 73% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। दौलत के थोड़े से लोगों के हाथों में जमा होने का असर देश की राजनीति पर भी पड़ा है क्योंकि अरबपतियों के पास राजनीतिक ताकत आ गई है। नतीजतन समाज के कमजोर तबकों की उपेक्षा आम बात होती जा रही है। आर्थिक सुधारों ने हालत में जबर्दस्त बदलाव किया। दुनिया में पूंजी के अथाह प्रवाह के बावजूद फायदा प्रायः उन्हीं के हिस्से गया है जो पहले से अमीर थे। इससे अमीर और अमीर होते चले गए, कुछ गरीब जरूर मध्यम वर्ग में आ गए किंतु बहुत से गरीब वहीं खड़े रह गए। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार अभी भी लगभग 30% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर हैं। समावेशी नीतियों के अभाव के कारण न गरीबी मिटी है और न असमानता। दलित एवं आदिवासी समुदाय आज भी हाशिए पर रहने के लिए अभिशप्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, संपत्ति आदि मामलों में ये तबके बेहद पीछे हैं। देश की आबादी एवं अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्हें पीछे रखकर विकास और समृद्धि का सपना साकार नहीं हो सकता है। यह स्थिति हर हाल में बदलनी चाहिए। यह बेहद जरूरी है कि देश के सर्वाधिक वंचित तबकों तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ तुरंत पहुंचाने के ठोस प्रयास किए जाएं। खैरात बांटने के बजाय सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने में निवेश किया जाना बेहतर विकल्प है। इस रास्ते को अपनाने के बाद ही अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित देश गरीबी हटाने में सफल हुए हैं।

भारत की आबादी का 15.2% हिस्सा गंभीर कुपोषण से त्रस्त है। बच्चों में यह संख्या 38.7% है। इन्हें सामान्य स्वास्थ्य के लिए वांछित भोजन भी उपलब्ध नहीं है जबकि एक लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न बेहतर रखरखाव के अभाव में हर साल सड़ जाते हैं। वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वारा जारी ''वैश्विक भूख सूचकांक'' में 118 विकासशील देशों की सूची में भारत 97वें पायदान पर है। पाकिस्तान (107) को छोड़कर हमारे सभी पड़ोसी देश– चीन (29), नेपाल (72), म्यांमार (75), श्रीलंका (84) एवं बांग्लादेश (90) हमसे बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1992 के बाद भुखमरी की हालत में सुधार हुआ है तथा बच्चों के कुपोषण का आंकड़ा 1990 के दशक के 60% से अधिक स्तर से गिरकर 40% से नीचे आ गया है, लेकिन संख्या की दृष्टि से भयावहता में कमी नहीं आई है। भारत की आबादी में युवाओं की सर्वाधिक संख्या है जो आगामी कई वर्षों तक बनी रहेगी। कुपोषित बचपन की नींव पर हम विकास और समृद्धि की आकांक्षाओं को वास्तविकता के रूप में तब्दील नहीं कर सकेंगे।

उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद की जो समस्या एक बड़े खतरे के रूप में उभरी है, वह गरीबी, आर्थिक विषमता एवं बेरोजगारी बढ़ने का परिणाम है। देश में 65% आबादी युवाओं की है। उनके पास बेहतर भविष्य के सपने और हौसले तो हैं, पर उन्हें पूरा करने के पर्याप्त मौके नहीं हैं। आजादी के 70 साल बाद भी सरकारी नौकरी देश के निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों के युवाओं की पहली पसंद है किंतु आजादी के बाद से सरकारी

नौकरियां लगातार भाई–भतीजावाद और भ्रष्टाचार की शिकार हुई हैं। युवाओं में शिक्षण–प्रशिक्षण तो बढ़ा है, पर बेरोजगारी भी बढ़ती चली गई है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर, शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार कर, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं औद्योगीकरण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर हम काफी हद तक बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान तब ही संभव है जब व्यावहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए।

शिक्षा का सीधा संबंध तो रोजगार के साथ जुड़ गया है पर शिक्षा को अभी तक रोजगारोन्मुख नहीं बनाया जा सका है। कुछेक आईआईटी या आईआईएम खोल देने से समूचे देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठता, उसके लिए बिल्कुल निचले स्तर से उसे ऊपर उठाने का प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर गिर रहा है तथा वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। देश में स्तरीय शिक्षकों के अभाव से शिक्षा का स्तर चौपट हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के लगभग 72% बच्चे दो और दो का जोड़ तक हल नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के तहत स्कूल में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन कहीं–कहीं तो 200 बच्चों पर एक शिक्षक ही तैनात हैं, जबकि कुछ जगहों पर पूरा का पूरा विद्यालय ही शिक्षामित्र के सहारे चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संसद में वर्ष 2016 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो एक अकेले शिक्षक के दम पर चल रहे हैं। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां इकलौते शिक्षक वाले ऐसे स्कूल न हों। साथ ही, शिक्षकों को पढ़ाई के अतिरिक्त मिड डे मील की व्यवस्था, जनगणना एवं चुनाव संबंधी ड्यूटी भी करनी पड़ती है। सोचा जा सकता है कि इन स्कूलों में अकेला शिक्षक अलग–अलग कक्षा के बच्चों को आखिर कैसे और कितना पढ़ा पाता होगा? दुनिया का इतिहास गवाह है कि विकसित देशों के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकसित देशों में नीतिगत रूप से शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है किंतु हमारे देश में शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, उसे निजी क्षेत्र के हाथों सौंप दिया गया है। सरकारी शिक्षा का स्तर और 100% साक्षरता का मिशन 70 वर्ष बाद भी बड़े सवालों की तरह खड़े हैं। हमें शिक्षा ऐसी रखनी चाहिए जिससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तो हो ही, ज्ञान बढ़े लेकिन साथ ही शिक्षा पूर्ण करने के बाद सबको उपयुक्त रोजगार के अवसर मिलें।

भारत गांवों का देश है, जहां की लगभग 65% आबादी गांवों में ही रहती है। यदि यह कहा जाए कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में गांवों ने देश के विकास एवं प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किंतु यहां गांव सुविधासंपन्न एवं खुशहाल नहीं हैं। आज भी गांवों में लगभग 30% लोग निरक्षर हैं तथा मात्र 29.7% परिवारों के पास ही सिंचित भूमि है एवं भूमि की मिल्कियत, जो गांव में सशक्तीकरण का प्रमुख माध्यम है, दिनानुदिन कम हो रही है। कृषि हमारी श्रमशक्ति के 60% को रोजगार देती है पर जीडीपी में जहां मात्र 14% का ही योगदान कर पाती है। हम बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नाकामयाब रहे हैं। खेती के लिहाज से भारत को जितनी तरक्की करनी थी, वैसी नहीं हुई, किसानों की हालत जितनी सुधरनी थी, उतनी नहीं सुधरी। खेती अलाभकारी होती जा रही है। एक तरफ देश के किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ उनकी उपज खासकर फल–सब्जियां बाजार में आम उपभोक्ताओं को काफी महंगी मिल रही है। किसानों के दुख–दर्द शाश्वत हैं, हर साल औसतन 10 हजार किसानों की आत्महत्या हमें शर्मसार करती है। जरूरत है कि उन्हें बीज, खाद, पानी, कीटनाशक, डीजल, बिजली आदि में सब्सिडी देकर लागत मूल्य को कम किया जाए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रयास किया जाए एवं लागत मूल्य का डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। कृषि के साथ–साथ ग्रामीण उद्योग–धंधों विशेष तौर पर फूड प्रोसेसिंग, दस्तकारी समेत लघु–कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर तथा खेती को लाभकारी बनाकर गांवों को खुशहाल बनाना होगा और गांवों को मुख्यधारा से जोड़ना होगा। विकसित गांव ही विकसित भारत का आधार–स्तंभ बन सकते हैं।

गरीबी एवं अशिक्षा के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई है एवं इसके आगे विकास बौना साबित हो रहे हैं। जब हम आजाद हुए तो हमारी आबादी 37 करोड़ थी जो बढ़कर अब 125 करोड़ से ज्यादा हो गई है अर्थात हमारी आबादी साढ़े तीन गुणा बढ़ी। देश की खुशहाली, प्रगति, औद्योगिक विकास, आर्थिक उन्नति को बढ़ती हुई जनसंख्या रूपी सुरसा का मुख निगल जाता है। बढ़ती आबादी से सामाजिक एवं पर्यावरण की दिक्कतें बढ़ी हैं। यद्यपि सरकार ने आबादी नियंत्रण के अनेक उपाय किए, 'हम दो हमारे दो' का नारा भी दिया किंतु जनसंख्या में अनवरत वृद्धि जारी है। देश की जनसंख्या सवा अरब से ज्यादा है और हम जनसंख्या नियंत्रण के तमाम लक्ष्यों से पीछे हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो कुछ वर्षों बाद भारत चीन से भी अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की बेहतर नीति बनाना जरूरी है।

देश में सरकारी अस्पतालों की कमी है एवं इनमें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। न जरूरी उपकरण, न जांच और न इलाज की बाकी सुविधाएं हैं। डॉक्टर भी वहां हमेशा नहीं मिलते। देश में मात्र 18800 सरकारी अस्पताल (ग्रामीण क्षेत्रों में 15000 एवं शहरी क्षेत्रों में 3800) हैं। सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी के कारण बच्चे बेमौत मारे जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में महंगी चिकित्सा एवं कथित लूट–खसोट पर तेज होते शोर के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय परिवारों पर सबसे बड़ा आर्थिक बोझ दवाओं का होता है। इस बोझ को कम करने की जरूरत है।

समाज में नैतिकता, ईमानदारी, सामाजिक समरसता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द का क्षरण हुआ है। जबकि भारतीय संस्कृति 'सर्वेभवन्तु सुखिन' की बात करती है, दूसरों से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ईर्ष्या, द्वेष या घृणा करने की बात नहीं करती है। किंतु गरीबों एवं औरतों पर अत्याचार रूके नहीं हैं। लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ने के कारण प्रतिकार होने लगा है, जो बहुत बड़ी बात है। आज सरकार की, प्रशासन की जवाबदेही पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। अतः सुधार जरूर हुआ है लेकिन रामराज्य या सुराज की जो कल्पना है, उससे हम कोसों दूर हैं।

बेशक हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा है किंतु विधानसभाओं एवं संसद में महिलाएं एवं गरीब अभी तक अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। देश की कुल आबादी में 49% महिलाएं हैं किंतु मात्र 11.3% महिला सांसद। जाहिर है, अभी हमारे लोकतंत्र को लंबी दूरी तय करनी है। 16वीं लोकसभा के सदस्यों की औसत संपत्ति 14 करोड़ रुपए है। जिस देश में करोड़ों लोग खाली पेट सोने के लिए अभिशप्त हों वहां यह आंकड़ा चौंकाता है। मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि लखपति एवं करोड़पति विधायकों/सांसदों से भरी विधानसभा/संसद गरीबों के पक्ष में कितने फैसले ले पाएगी? समाज और राजनीति की यह दूरी निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

महिलाओं के लिए तमाम कानून एवं योजनाएं बनीं, लेकिन वे आज भी पहले की तरह ही असुरक्षित हैं। यद्यपि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, महिलाओं का अशिष्ट–रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, गर्भधारण पूर्व लिंग–चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013 आदि कानून तथा सरकारी शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के कारण महिलाओं को बेहतर जीवन–दशाएं प्राप्त करने का हौसला मिला है।

समाज सहयोग एवं सद्भाव से बनता है किंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा और आपदा के शिकार लोगों के मामले में हमारा समाज निरंतर संवेदनशील होता जा रहा है। छेड़खानी, बलात्कार, दुर्घटना की स्थिति में प्रायः राहगीर/सहयात्री पीड़ित की मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने में लग जाते हैं। नतीजतन महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है एवं घायलों की अकाल मौत हो जाती है जिन्हें बचाया जा सकता था। लोग सोशल मीडिया पर सरकारों को कर्तव्यनिष्ठ होने की सलाह, उपदेश देने के बजाय यदि अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करें तो महिलाओं के प्रति अपराध कभी आकार ही न ले। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक आकलन का यह निष्कर्ष चौंकाता है कि राजधानी में 85% लोग सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे नहीं आते। परिणामतः सड़क हादसों के शिकारों में 52% लोग समय रहते मेडिकल सहायता नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं। बेशक हमने साधन–सम्पन्न अस्पताल तो बना लिए पर सहकार की सनातन परंपरा को भुला दिया।

जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र एवं भाषा के विभेदों को पाटना अभी बाकी है। अनेकता में एकता के भावुक नारे के बावजूद यह कटु सत्य है कि यहां अलगाव और आपसी नफरत की आंधी भी चलती रही है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी एवं अलगाववादी आंदोलन जारी है। इन आतंकवादियों एवं अलगाववादियों पर कड़ाई जारी रखने के साथ–साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी

वाजपेयी जी के 'कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत के दायरे' वाली नीति से कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। जब कोई देश अपने बचाव के लिए आक्रामक होता है तभी हिंसा और आतंक के प्रायोजकों पर कारगर दबाव पड़ता है। कश्मीर को लेकर आजादी से अब तक का एक बड़ा नीतिगत बदलाव मौजूदा केन्द्र सरकार में अब दिखा है। पहली बार भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर आधिकारिक रूप से अपना हक जताया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि ''जम्मू–कश्मीर के चार हिस्से हैं– जम्मू, लद्दाख, कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। सरकार को पीओके के निर्वासित लोगों से सम्पर्क करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए।'' कुछ राज्यों में माओवादी अलग राग अलापते रहते हैं। नक्सली हिंसा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, दस राज्यों के 106 जिले इसकी चपेट में हैं। बीते दो दशक में 9300 नागरिक एवं 2700 सुरक्षाकर्मी इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। विस्तार और गंभीरता के लिहाज से नक्सली हिंसा विशेष समाधान की मांग करती है।

जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। जातिवाद के कारण वर्तमान में ऊंच–नीच की भावना पनपी एवं सामुदायिक भावनाएं संकीर्ण होती जा रही हैं। समाज जाति, वर्ग, समुदाय में विभाजित होते जा रहा है। आरक्षण एवं वोट की राजनीति ने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया है। राष्ट्र एवं समाज के दृष्टिकोण की उपेक्षा कर केवल जातिगत कल्याण के लिए सोचने एवं कार्य करने के परिणामस्वरूप स्वस्थ राष्ट्रीयता की भावना के विकास का पथ अवरुद्ध हो गया है। जातिवाद से समाज में कटुता पैदा हो रही है और जो ऊर्जा देश के विकास में लग सकती थी वह उसके विरोध में खर्च हो रही है। जातिवाद के प्रसार को रोकने के लिए हमारे राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों को जातिविहीन समाज की रचना हेतु ठोस कदम उठाने होंगे। क्या यह सच नहीं कि हम आज भी जातिवाद, साम्प्रदायिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए हैं? भाषा, जाति के नाम पर आज भी हम एक–दूसरे से लड़ने–भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? आखिर क्यों?

हमने शिक्षा के लिए एक पराई भाषा अंग्रेजी को तरजीह दी परिणामस्वरूप 90% भारतीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। सभी भारतीय भाषाओं में आंतरिक एकता एवं संगतता है। ये हिन्दी को ज्यादा करीब लाते हैं। इन्हीं देशी भाषाओं से देश की एकता एवं अखंडता बरकरार है, इसे अक्षुण्ण बनाए रखना जरूरी है। तो फिर हम अंग्रेजी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? भारत एवं भारतीयता को बचाना है तो भारतीय भाषाओं को बचाना बहुत जरूरी है। हमें अंग्रेजी का अतिमोह त्यागना होगा। अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है इसे नकारा नहीं जा सकता किंतु अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। लोगों से यह अपेक्षा है। हिंदी में अंग्रेजी के बराबर ही सामर्थ्य है।

आजादी के 70 वर्षों के बाद जिस शिखर तक हमें पहुंचना चाहिए था, वहां तक हम तमाम तरह के भ्रष्टाचार, कुशासन, समावेशी नीतियों के अभाव के कारण नहीं पहुंच पाए। भ्रष्टाचार का घुन ही विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार के कारण ही कार्यालय, बाजार एवं अन्य कार्यक्षेत्र में चोरबाजारी, रिश्वतखोरी आदि पनपते हैं। हमारे देश में सांगठनिक रूप पा चुके भ्रष्टाचार का ही सबूत है कि कुछ भ्रष्ट लोगों का 5000 करोड़ से ज्यादा का कालाधन स्विस बैंकों में जमा है और हम भारतीय हर वर्ष करोड़ों रुपए घूस में देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च की वर्ष 2015 की रिपोर्ट बताती है कि भारत का औसत शहरी परिवार हर वर्ष 4400 रुपए और औसत ग्रामीण परिवार हर वर्ष 2900 रुपए घूस में खर्च करता है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से भारत को हर वर्ष जीडीपी का 0.5% नुकसान होता है। हमारे देश में जो बड़े घोटाले हुए हैं उनको ही जोड़ दें तो देश के कुछ भ्रष्ट नेता एवं अधिकारी द्वारा मिलकर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डकारी जा चुकी है। उदाहरणार्थ– 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला, 133 करोड़ का यूरिया घोटाला, 950 करोड़ का शेयर बाजार घोटाला, 7 हजार करोड़ का सत्यम घोटाला, 43 हजार करोड़ का स्टाम्प पेपर घोटाला, 70 हजार करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1 लाख 67 हजार करोड़ रुपए का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2 लाख करोड़ रुपए का अनाज घोटाला एवं 447 कंपनियों द्वारा किया गया 3200 करोड़ का टीडीएस घोटाला। ऊपर से विजय माल्या (900 करोड़), नीरव मोदी (12700 करोड़), तथा विक्रम कोठारी (3695 करोड़ रुपए) जैसे कुछ भ्रष्ट कारोबारियों ने जो कर्ज लिया और नहीं लौटाया वह चार लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इतना ही नहीं, वो कर्जे जिनके अब लौटने की उम्मीद नहीं है वो भी चार लाख करोड़ के आसपास है। कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश को होने का अनुमान है। सभी सार्वजनिक बैंक एनपीए के जाल में फंस गए हैं। नतीजतन, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल कैपिटलाइजेशन निजी बैंक एचडीएफसी से भी कम है। सार्वजनिक बैंक गहरे संकट का शिकार हैं और वे किसी असाधारण उपाय से ही सुधर सकते हैं। बैंकों के प्रबंधन का ढ़ांचा बदला जाना चाहिए और इसके रेग्यूलेटरी मैकेनिज्म को दुरूस्त किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की जड़ बने सरकारी ठेकों में ई–टेंडरिंग की व्यवस्था कर धांधली पर काफी हद तक

रोक लगाई जा सकती है। साथ ही, सरकार की दृढ़ता एवं सबके सहयोग से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। यह सुखद है कि ऊपर से जारी एक रुपया में लाभार्थी तक मात्र 15 पैसे पहुंचने की परंपरा अब खत्म हो चुकी है। भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाए एवं कालाधन बाहर आ जाए एवं देश के काम में लगा दिया जाए तो विकास, बेहतरी की रफ्तार कई गुणा बढ़ सकती है।

कुशासन के कारण आत्मघाती उन्माद बढ़ा है। थानों पर, सैन्य शिविरों पर हमले हो रहे हैं। माओवादियों, आतंकवादियों व अन्य समाज विरोधी तत्वों की विध्वंसक गतिविधियां अभी भी जारी हैं। इस पर प्रशासन भी लगाम लगाने में असफल रहा है। देश में कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है। हत्या, लूटपाट, डकैती और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं। मासूम बच्चियों और वृद्धाओं तक से बलात्कार हो रहे हैं। न्याय व्यवस्था मुकदमों के बोझ, भ्रष्टाचार तथा शिथिलता से चरमरा गई है, नतीजतन न्याय मिलने में अनावश्यक रूप से देरी की समस्या विकराल होती जा रही है। 'तारीख–पे–तारीख' में उम्र गुजर जाती है, पर न्याय नहीं मिलता। न्याय में देरी से धन और समय की बर्बादी तो बढ़ती ही है, वादी के हित भी प्रभावित होते हैं, परिणामस्वरूप न्याय प्रणाली के प्रति लोगों की आस्था घटी है। अब तो न्यायाधीश भी इंसाफ मांगने लगे हैं। सचमुच 'न्याय में देरी, न्याय से इंकार' है। इसलिए न्याय यथाशीघ्र दिया जाए तथा यह सस्ता और सुलभ भी हो।

यह तस्वीर बदल सकती है बशर्ते कि 'डेमोग्राफिक डिविडेंट' बताई जा रही विशाल युवा आबादी को समुचित अवसर मिले। युवाओं का मन ऐसी भावना से ओत–प्रोत होता है कि 'मैं यह कर सकता हूँ' और इससे उम्मीद बंधी है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र के गर्भ तक भारतीय मेधा की धमक है और आधी से ज्यादा आबादी अपनी नौजवानी की ऊर्जा से विकास का कोई भी लक्ष्य भेद सकती है। किसानों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, शिक्षकों, वकीलों एवं अन्य पेशेवर लोगों को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्पेस मिशन, रक्षा मिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन में देश को कामयाबी दिलाने के लिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने जरूरी मदद मुहैया कराई है। इसलिए देश के युवाओं को राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था से दूरी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि देश को सभी क्षेत्रों में महान बनाने के लिए इसके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के वास्ते उन्हें आगे आना चाहिए। वे ही आपसी ईर्ष्या, कलह, द्वेष, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीयता एवं जातीयता से मुक्त समाज की स्थापना कर उसमें व्याप्त आतंकवाद, हत्या, अपहरण, अनाचार, दुराचार, कालाबाजारी, घूसखोरी आदि असामाजिक तत्वों की जड़ों को काट सकते हैं। इसलिए इस मानव पूंजी को व्यावहारिक शिक्षा, कौशल, ज्ञान एवं नजरिए से लैस करना होगा जिससे देश उच्च विकास के पथ पर लगातार चलने के योग्य बन सकेगा।

कमजोर को संरक्षण एवं सशक्तीकरण की जरूरत होती है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, वंचित तबकों तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ यथाशीघ्र पहुंचाने के ठोस प्रयास किए जाएं एवं प्रशासनिक सुधार, भूमि सुधार, श्रम सुधार एवं चुनाव सुधार किए जाएं। साफ–सुथरा चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। देश में कई राजनीतिक दल होना भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। किंतु भारतीय राजनीतिक दलों में वंशवाद हावी है। दुर्भाग्यवश अधिकतर राजनीतिक दल एक–एक सुप्रीमो के अधीन काम कर रहे हैं और वही चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन करते हैं जिसमें अपने परिवार के लोगों को वरीयता दी जाती है। वंशवाद के कारण काबिल लोग राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र के बारे में कोई कानून नहीं है। नतीजतन अधिकतर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत तमाम तरह के भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ विकास और समृद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर हो सके।

भारत की नियति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत बनने की है। इस महान यज्ञ में 125 करोड़ भारतीय 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ अपना योगदान देकर भारत को सफलता का पर्याय बनने में मदद कर सकते हैं जहां न निर्धनता हो, न निरक्षता, न भय और न ही असुरक्षा। निस्संदेह, अगर हम मिल–जुलकर प्रयास करें तो, कोई भी काम असंभव नहीं है। आखिर कब तक हम विकासशील देश ही कहलाते रहेंगे? हमें विकास को पहला एजेंडा बनाकर विकसित देश बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा विकास में सभी जातियों, धर्मों, समुदायों और वर्ग के लोगों की समान भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। निश्चित रूप से इन 70 वर्षों में रोटी, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति हुई है लेकिन बुनियादी ढ़ांचे के विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर अभी बहुत काम करना बाकी है। हमारी प्रगति की गति पर विवाद हो सकता है, पर प्रगति पर नहीं। इन वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया है, पर उससे कहीं अधिक पाना अभी शेष है।

जगत में सबसे वैभवशाली अपना हिन्दुस्तान हो.....

गजेन्द्र सोलंकी*

श्रम की विजय जगत में होती मूलमंत्र का ज्ञान हो,
सबसे वैभवशाली जग में अपना हिन्दुस्तान हो।
अखिल विश्व में सबसे न्यारी भारत माँ की शान हो,
जय श्रम एव जयते–जय श्रम एव जयते बोलो।।

व्यक्ति प्रगति के सोपानों पर श्रम से ही चढ़ पाता,
ऊँचे–ऊँचे भवन सुनाते श्रम की गौरव गाथा,
पर्वत, घाटी, नदियाँ, सागर श्रम को शीश झुकाते,
खेत और खलिहान–बगीचे श्रम से ही मुस्काते,
कोटि करों के श्रम पर भी अब भारत को अभिमान हो
अखिल विश्व में सबसे न्यारी भारत माँ की शान हो.....

सभ्यताओं, संस्कृतियों को निज श्रम से महकाते,
तन–मन, जीवन तपा सदा जो गीत सृजन के गाते,
खुशहाली–समृद्धि ही जिनके पौरुष की भाषा,
धरती माँ का आँचल महके बस जिनकी अभिलाषा,
ऐसे श्रमिकदेव का पूरा नवयुग में सम्मान हो
अखिल विश्व में सबसे न्यारी भारत माँ की शान हो.....

मगर चुनौती आज सामने संकट बनकर आई,
युवा शक्ति और श्रमिक शक्ति पर तनिक निराशा छाई,
श्रमिकों का हो संरक्षण, कुछ ऐसे कदम बढाएं,
उद्योगों की रंगोली से भारत को आज सजाएं,
जन–जन के घर आँगन में अब आशा का दिनमान हो
अखिल विश्व में सबसे न्यारी भारत माँ की शान हो.....

प्रेम और विश्वास श्रमिक–मालिक के मन में छाए,
बीच रहे ना दूरी–खाई कर्म योग मुस्काए,
अधिकारों के लिए श्रमिक भी निज कर्तव्य निभाएं,
पुरुषार्थी पगडंडी पर चल नव विश्वास जगाएं,
कर्मनिष्ठ और जागरूक अब हर मजदूर किसान हो
अखिल विश्व में सबसे न्यारी भारत माँ की शान हो.....

* पूर्व सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी वर्ग–पहेली प्रतियोगिता का आयोजन

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में बुधवार, 27 दिसम्बर 2017 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी वर्ग–पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरु करने से पहले संस्थान की ओर से डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो ने सभी प्रतियोगियों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और हिंदी वर्ग–पहेली प्रतियोगिता में सफलता के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 29 सदस्य कार्यालयों से 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया। श्री बीरेन्द्र सिह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा प्रतियोगिता के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के उपरांत स्वागताध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

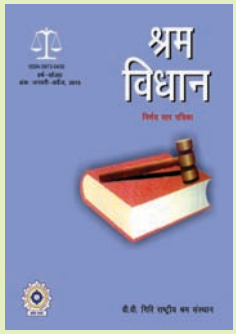

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in